खण्ड-196, अंक-4
शुक्रवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1880
(8 अगस्त, 1958 ई0)

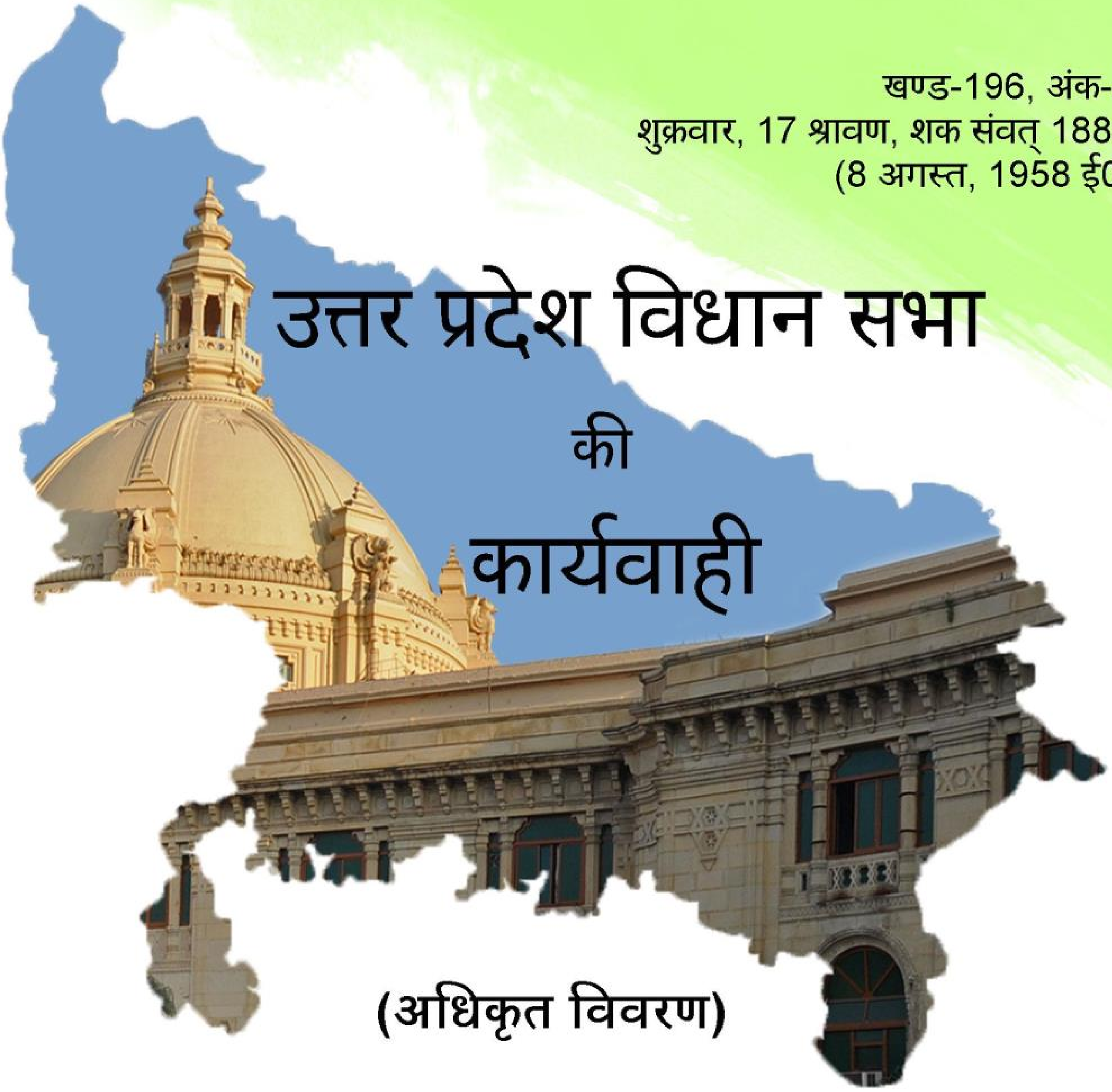

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 196 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1958

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२४३–२४७
प्रश्नोत्तर	२४७–२६५
अतिवृष्टि से कतिपय पश्चिमी जिलों में हानि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	२६५–२६६
उत्तर प्रदेश गोवध–निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूचना ..	२६७
आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (द्वितीय भाग) (प्रस्तुत किया गया) ..	२६७
विभिन्न संकल्पों के लिये समय निश्चित करने की प्रार्थना	२६७–२६८
अश्वासन समिति के सम्बन्ध में वैधानिक प्रश्न	२६८
आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (द्वितीय भाग) (प्रस्तुत किया गया) ..	२६८–२७०
विभिन्न स्थायी समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना ..	२७०
प्रदेश में अभाव की समस्या के निराकरणार्थ उच्चस्तरीय समिति की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प (विवादोपरान्त अस्वीकृत)	२७०–२९९
दो संकल्पों को एक साथ लेने का सुझाव (अस्वीकृत)	२९९–३०१
साढ़े छः एकड़ तक की जोत को लगान मुक्त करने के सम्बन्ध में संकल्प (विचार जारी)	३०१–३१५
उत्तर प्रदेश गोवध–निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन	३१५–३१६
कार्य-क्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना	३१६–३१८
नत्थियां	३१९–३२१

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ८ अगस्त, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३५६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर , श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मि र, श्रीमती

प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह श्री
हरिदत्तकांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ८ अगस्त, १९५८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नगरपालिका कोंच, जिला जालौन का चुनाव कराने का विचार

**१—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५८ में वह नगरपालिका कोंच (जालौन) का चुनाव करायेगी या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इस नगरपालिका का चुनाव इसी वर्ष में कराने का विचार है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नगरपालिका के चुनाव एक बार कराने के आदेश प्रसारित कर दिये गये थे ? यदि हां, तो चुनाव क्यों नहीं कराया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सही बात है कि विचार किया जा रहा था कि चुनाव करा दिये जायं, लेकिन बाद में पता चला कि सुपरसेशन के बाद जो प्रबन्ध हो रहा था वह बहुत अच्छा हो रहा था और कुछ खास बातें वह पूरी करना चाहते थे । तो वह एक साल का समय मांगते थे । हमने ६ महीने के लिये केवल उनका समय बढ़ाया है और इसके अलावा बरसात में चुनाव हो भी नहीं सकता था । इसलिये हमने दिसम्बर में चुनाव कराने का विचार किया है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चनाव कराने के विचार को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी तो श्रीमन्, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है । थोड़े दिन पहले आर्डर्स चले जायेंगे और चुनाव हो जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोंच नगरपालिका क्या सुपरसीडेड थी और यदि थी तो कितने काल से ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक साल के लिये थी । उसके बाद ६ महीने के लिये उसकी मियाद और बढ़ायी गयी ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह ६ महीने की अवधि किस तारीख को पूरी होती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—३१ दिसम्बर, १९५८ को।

सीतापुर में सस्ते अनाज की दुकानें

**२—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर में तारीख ३१-७-५८ तक सस्ते गल्ले की दूकानें कहां-कहां खोली गई हैं ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—सीतापुर में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के आदेश १२ जुलाई, १९५८ को दे दिये गये थे और वे दूकानें निम्नलिखित स्थानों पर ४ अगस्त, १९५८ से चलने लगी हैं :—

१—पुराना सीतापुर काजियारा	१	दूकान
२—तारिमपुर	१	दूकान
३—थामसनगंज	१	दूकान
४—लोहारबाग	१	दूकान
५—जेल रोड	१	दूकान
योग ..	५	दूकानें

श्री गनेशी लाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन दूकानों के खुलने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यहां से आदेश जाने के बाद जो लोग दूकानें चलाने वाले थे उनकी दरख्वास्तें आयीं, उनको देखा गया और फिर इस के अलावा यह भी कुछ कारण हुआ कि यह भी खयाल था कि इन दूकानों के साथ मुहल्ला कमेटीज भी बना दी जायं। तो इन दोनों कारणों से कुछ देर लग गयी ।

तारांकित प्रश्न

*१-२.—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

सहकारी संघ, राजा का रामपुर, जिला एटा में स्टाक की जांच

*३—श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ, राजा का रामपुर, जिला एटा की सन् १९५६, मार्च से सन् १९५७ ई० दिसम्बर तक किसी कोआपरेटिव अधिकारी द्वारा जांच की गई थी ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां ।

*४—श्री भूपकिशोर—यदि हां, तो इस सहकारी संघ, राजा का रामपुर में कितने बोरे अमोनियम सल्फेट के स्टाक से ज्यादा बढ़े थे और स्टाक बढ़ने का कारण क्या था ?

श्री मोहनलाल गौतम—अमोनियम सल्फेट के बोरे स्टाक से ज्यादा बढ़ने की कोई रिपोर्ट नहीं थी ।

*५—श्री भूपकिशोर—अगर स्टाक बढ़ा हुआ पकड़ा गया, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भूपकिशोर--क्या माननीय मंत्री महोदय इस आयी हुई रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहन लाल गौतम--एक बार नहीं, इसका इंस्पेक्शन कई बार हुआ। सर्किल आफिसर ने किया, असिस्टेन्ट डेवलपमेंट आफिसर ने किया, बी० डी० ओ० ने किया और वहां कोई गलती नहीं पायी गई ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस जांच पड़ताल में किसी प्रकार की अनियमितता मिली ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैं ने निवेदन किया कि कोई खास अनियमितता नहीं मिली।

बाराबंकी जिले में चेचक

*६--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में १ फरवरी, सन् १९५८ से लेकर १४ अप्रैल तक कितने व्यक्ति चेचक की बीमारी से ग्रसित हुये और कितने मरे ?

स्वास्थ्य उप मंत्री (डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी)--जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसीलों में चेचक से ग्रस्त और मृत्यु संख्या १ फरवरी, सन् १९५८ से १४ अप्रैल, सन १९५८ तक निम्नांकित हैं:

	ग्रस्त	मृत्यु
१--हैदरगढ़ तहसील	४०	४
२--रामसनेही घाट तहसील	४	१
३--सदर तहसील	१	०
४--फतेहपुर तहसील	..	..
योग ..	४५	५

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह रिपोर्ट हैल्थ आफिसर की है या ग्राम सभा द्वारा प्राप्त की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--डिपार्टमेन्ट द्वारा आई है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी--इस चेचक में केवल स्माल पाक्स शामिल है या मीजिल्स वगैरह भी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ये टेक्नीकल टर्म्स तो डाक्टर ही बता सकते हैं।

हरदुआगंज ट्रान्सफार्मर से पर्याप्त विद्युत् न मिलना

*७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा हरदुआगंज में कितनी शक्ति का ट्रांसफार्मर काम कर रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)--हरदुआगंज सब-स्टेशन पर स्थित ट्रान्सफार्मर की शक्ति १२५ के०वी०ए०, ३७.५,.४ के० वी० है।

*८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसफार्मर के कमजोर हो जाने के कारण एक दूसरा बड़ा ट्रांसफार्मर वहां पहुंच चुका है ? यदि हां, तो वह पिछले पूरे वर्ष में भी अब तक क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री धर्मसिंह--विद्युत् की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस समय उक्त सब-स्टेशन में लगे हुये ट्रान्सफार्मर की क्षमता पर्याप्त है। इसलिये कोई दूसरा ट्रांसफार्मर हरदुआगंज नहीं पहुंचाया गया ।

ऐसी स्थिति में दूसरा ट्रान्सफार्मर लगाने अथवा उसको लगाने में देर होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*९--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां २४ घंटे के बजाय अब १२ घंटे की बिजली देना क्यों कर दिया गया और यह कब तक पूर्ण किया जा सकेगा ?

श्री धर्मसिंह--वैसे तो हरदुआगंज में २४ घंटे विद्युत् उपलब्ध है परन्तु पावर लोड के लिये उपलब्ध विद्युत् शक्ति का वितरण पारी पारी से किया जाता है ।

२४ घंटे की स्वच्छंद रूप से पुनः प्रारम्भ करने पर उस समय विचार किया जायेगा जब और अधिक विद्युत् शक्ति उपलब्ध होगी ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदुआगंज में २४ घंटे की स्वच्छंद विद्युत् देना कब कार्यरूप में बदल देगी ?

श्री धर्मसिंह--इसका उत्तर तो दिया जा चुका है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूरी बिजली कब तक मिल जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रयास कर रहे हैं, जब लोड मिल जायगा तो पूरी हो जायगी ।

श्री शिवप्रसाद नागर--हरदुआगंज ट्रांसफार्मर को बिजली कहां से सप्लाई होती है ?

श्री धर्मसिंह--हरदुआगंज के पावर स्टेशन से ही होती है ।

होम्योपैथी के प्रोत्साहन के लिए डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त करने की मांग

*१०--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के अन्दर डिप्टी डाइरेक्टर हैं उसी प्रकार होम्योपैथी के अन्दर डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति सरकार द्वारा हुई है ? यदि हुई है, तो कब से ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--जी नहीं ।

*११--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--होम्योपैथी के क्षेत्र में अभी इतना अधिक कार्य नहीं है कि एक पृथक् डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति की जाय ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास ऐसा कोई तुलनात्मक आंकड़ा है कि जिससे ज्ञात हो सके कि प्रदेश में विभिन्न जिलों में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का कार्य विस्तार क्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे बताने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हैं तो, लेकिन आंकड़े इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के निमित्त सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी संस्थाओं को ग्रान्ट वगैरह देते हैं, कालेज भी एक खोला है, पढ़ाई होती है ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या होम्योपैथी को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने कोई अलहदा डाइरेक्टोरेट बनाया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--नहीं, इस वक्त तो ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

बलिया जिले में बरिया नगर का विद्युतीकरण करने का विचार

*१२--श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बलिया में सरकार तहसीलवार किन-किन ग्रामों में बिजली लगाने जा रही है ?

श्री धर्मसिंह--बलिया जिले की तहसील में केवल बरिया नगर का विद्युतीकरण विचाराधीन है ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में ग्रामों को जो बिजली सप्लाई होगी वह निजी पावर हाउस से होगी या किसी हाइडेल से सप्लाई होगी ?

श्री धर्मसिंह--मऊ के पावर स्टेशन से ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--किस कारण से बरिया ग्राम ही विद्युत् करण के लिये चुना गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बलिया जिले में यही विशेषता है ।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार रसड़ा तहसील के ग्राम सराय भारती, जो सारे देश के ग्रामों में विकास के कार्यों में अग्रणीय रहा है, को विद्युत् देन पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--रसड़ा में हो चुका है । सराय भारती के लिये जानकारी नहीं है ।

नवीन गोसदन खोलने की योजना

*१३--श्री गंगप्रसादसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने गो सदन हैं और उनके संरक्षण में कितने पशुओं का पालन हो रहा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--इस समय राज्य में ४ राजकीय गोसदन, ५ निजी गोसदन तथा ७ जिला गोसदन कार्य कर रहे हैं और ३० जून, १९५८ को इन सब में मिला कर २,४१६ पशु थे ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि इन ४ राजकीय गोसदनों में कितने पशु हैं और उन पर क्या खर्चा लग रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--गरजियासोत, रामनगर, जिला नैनीताल में ३२९; मलगांव, इटावा में १८३; रानीपुर, बांदा, में ५१; और बछिया, बहराइच में २१३ हैं । खर्चे के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में कुछ नये गोसदन भी खोलने का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम---विचार है और प्रयत्न भी हो रहा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार गो सदनों की वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम---योजना के अनुसार गो सदन खोले जा रहे हैं, प्रयत्न हो रहा है, उसके लिये खर्चा भी हो रहा है । यह बात दूसरी है कि जितनी तेजी से कोई साहब चाहें भले ही न हो, लेकिन प्रयत्न हो रहा है ।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो गो सदन खोले जा रहे हैं, उनमें से कुछ बुन्देलखंड में भी खोले जा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यदि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ध्यान से सुना होता तो यह प्रश्न न उठता । मैंने कहा कि ४ गोसदन खोले जा रहे हैं जिनमें से एक रानीपुर जिला बांदा में खोला जा रहा है जो बुन्देलखंड में है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो नये गो सदन खोले जाने वाले हैं वे कहां-कहां खोले जायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी २ राजकीय गो सदन लखीमपुर और मिर्जापुर में खोले जा रहे हैं, फिर बाराबंकी में भी खोला जायगा । ये राजकीय गोसदन हैं । बाकी जगह जहां-तहां प्राइवेट लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं । ७ जिला गोसदन स्थापित हो चुके हैं, १२ की इमारत बन चुकी है, १७ के लिये भूमि का प्रबंध हो रहा है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन गोसदनों को खोलने का सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है, उनमें दूध की उत्पत्ति का प्रयत्न किया जाता है या नस्ल को बढ़ाने का ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि बहुत ब्योरे का सवाल है, ये सब चीजें पहले सदन में आ चुकी हैं और इन पर बहस हो चुकी है ।

*१४---श्री गंगाप्रसादसिंह---[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

क्षय-रोग-शय्या बढ़ाने की जानकारी

*१६---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश को केन्द्र से कितना धन १९५७-५८ में टी० बी० के अस्पतालों में मरीजों के विस्तर बढ़ाने के लिये प्राप्त हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ नहीं ।

*१७---श्री भीखालाल (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त धन में से कितना धन किस-किस स्थान पर व्यय किया गया और कितने-कितने नये विस्तर बढ़ाये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न नहीं उठता ।

ऐग्रीकल्चरल ऐण्ड स्टेटिस्टिकल एटलस तैयार करने का प्रयास

*१८—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार प्रदेश की Agricultural and Statistical Atlas निकलने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार इस एटलस को तैयार करने के लिये प्रयत्नशील है । कुछ आर्थिक और अन्य कठिनाइयों के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि निकट भविष्य में इसको निकालना सम्भव है ।

*१९—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो सरकार का इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—७०,००० रुपये का कागज व अन्य छपाई का सामान खरीदा गया था, जो सुरक्षित है । अन्य कोई व्यय नहीं हुआ है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस एटलस को निकालने का निश्चय पहले पहल कब किया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—सन् १९५३ के शुरू में गवर्नमेंट ने इसको मंजूर किया था ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वे नयी कठिनाइयां क्या हैं जिनके कारण अब माननीय मंत्री जी को यह एटलस निकालने में कठिनाई हो रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस एटलस को तैयार करने के लिये कुछ स्टाफ मांगा गया था जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मंजूर नहीं किया और अब यह सवाल हो रहा है कि उसको किस तरह से निकाला जाय, कहां छपवाया जाय । इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, इन दोनों के मेल से उसका मसाला तैयार किया जा रहा है और अभी बहुत-सी चीजें हैं जिनके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एटलस को तैयार कराने में कुल कितना रुपया व्यय होने का अनुमान है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सूचना तो मैं देख कर ही बतला सकता हूं । इस वक्त मुझे याद नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जब सन् १९५३ में इस एटलस को बनाने के लिये ७०,००० रुपये का कागज खरीदा गया तो उसके लिये उस समय लेजिस्लेचर से सैंक्शन नहीं लिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी सूचना इस समय तो मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एटलस को तैयार करने के लिये कुछ बाहर से गैरसरकारी एक्सपर्ट्स और सलाहकार भी रखे जायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी यह सवाल उठा नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का ध्यान एप्रोप्रिएशन आडिट रिपोर्ट के उस पैराग्राफ की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें कहा गया है कि ७०,००० रुपये का कागज जो खरीदा गया वह इनफ्क्चुअस एक्सपेंडिचर है और बेकार कागज पड़ा हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना के लिये मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का ध्यान एप्रोप्रिएशन आडिट रिपोर्ट के उस पैराग्राफ की तरफ गया है जिसमें कहा गया है कि ७०,००० रुपया जो सन् १९५३–५४ में कागज खरीदने में व्यय किया गया वह कागज बरबाद हो रहा है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह कागज बरबाद नहीं हो रहा है बल्कि इसकी कीमत बढ़ गयी है । अगर आज यह कागज बेंचा जाय तो ७०,००० रुपये से अधिक में ही बिकेगा ।

*२०—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया ।]

आयुर्वेदिक तथा यूनानी अधिकारियों को चिकित्सा संबंधी शुल्क न मिलना

*२१—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १४ डिवीजनल क्षेत्रीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी अधिकारियों तथा औषधि निर्माण-शाला के प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक को चिकित्सा प्रतिबन्ध क रूप में दिया जाने वाला क्षति पूर्ति शुल्क कब से दिया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—औषधि निर्माणशाला के प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक को यह शुल्क क्रमशः २०–३–५६ तथा २२–६–१९५६ से दिया जा रहा है क्योंकि इन दो पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी अस्थायी रूप से नयी सर्विस केडर (स्टेटमेडिकल सर्विस आफ आयुर्वेद) में लिए जा चुके हैं ।

१४ आयुर्वेदिक तथा यूनानी अधिकारियों को अभी यह शुल्क नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इन अधिकारियों की अभी इस नयी सर्विस केडर में नियुक्ति नहीं हो पाई है । देरी का कारण कुछ वैधानिक कठिनाइयां हैं । कमीशन ने जो राय दी है उस पर विचार हो रहा है और अब शीघ्र निर्णय हो जाने की आशा है ।

*२२—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया ।]

बाराबंकी जिले में रामनगर को बिजली देने की प्रार्थना

*२३—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में रामनगर में बिजली पहुंचाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक लागू होगी और कितना धन व्यय किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

कैन्सर तथा तपेदिक रोगों की चिकित्सा का प्रबन्ध

*२४—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तपेदिक व कैन्सर रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था कहां-कहां हैं और वहां कितनी कितनी शय्यायें हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तपेदिक अस्पतालों और शय्याओं की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१९–३२० पर)

कैन्सर की रेडियम चिकित्सा श्रीमती लक्ष्मी पन्ना लाल कैन्सर इंस्टीट्यूट आगरा में और डीप एक्सरे थेरेपी की सुविधायें आगरा तथा लखनऊ मेडिकल कालेजों में उपलब्ध हैं । इसी प्रकार की सुविधायें कमला नेहरू स्मारक चिकित्सालय, इलाहाबाद तथा लावेट

चिकित्सालय, रामनगर जिला वाराणसी में भी हैं । इसके अतिरिक्त एक नवीन कैन्सर विंग कमला नेहरू स्मारक चिकित्सालय में खोला जा रहा है जो शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ।

कानपुर में जे० के० इन्स्टीट्यूट की योजना भी तैयार हो रही है ।

इस समय कैन्सर के इलाज के लिये आगरा के लक्ष्मी पन्ना लाल कैन्सर इन्स्टीट्यूट में १० शय्याओं का प्रबन्ध है ।

*२५--श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कबाल टाउन्स में सरकारी अनुमान से क्षय रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सरकार की ओर से प्रदेश में ऐसे रोगियों की अभी तक कोई गणना नहीं की गई है ।

सहकारी पय परिषद्, कानपुर के कर्मचारियों की कथित शिकायतें

*२६--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास सहकारी पय परिषद्, कानपुर की व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कोई शिकायत आई है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं ।

*२७--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या इस शिकायत में उक्त संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता और साप्ताहिक छुट्टी न दिये जाने की भी शिकायत है ?

श्री मोहनलाल गौतम--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या माननीय मंत्री जी पुनः अपने कार्यालय से इस बात की छान-बीन करा कर और फिर संशोधित उत्तर देने का कष्ट करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--अगर माननीय सदस्य कोई डेफिनिट इनफार्मेशन देंगे तो उसकी जांच करा लूंगा ।

*२८-२९--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०-३१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--[२७ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ९--१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

देहरादून जिले के भाउवाला क्षेत्र में राजकीय अस्पताल की आवश्यकता

*३२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि भाउवाला क्षेत्र, जिला देहरादून में कोई राजकीय अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो उपर्युक्त कमी को पूरा करने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां । उक्त क्षत्र से दो मील की दूरी पर स्थित प्रेम नगर में एक राजकीय चिकित्सालय होने के कारण भाउवाला म अस्पताल स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर अभी अस्पताल है वह भाउवाला क्षेत्र से कितनी दूर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--करीब २ मील है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस इलाके की घनी आबादी को देखते हुये यहां पर निकट भविष्य में कोई दूसरा अस्पताल खोलने की योजना बना रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं।

*३३--कुंवर श्रीपालसिंह--[१ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोंडा जिले के पशु चिकित्सालयों में दवाइयों पर व्यय

*३४--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के पशु-चिकित्सालयों को १९५७-५८ में दवाइयों के लिये कितना-कितना धन दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम-- जिला गोंडा में १९५७-५८ में जिला बोर्ड गोंडा ने स्वचालित पशु चिकित्सालयों के वास्ते २,२२८ रुपये ३० नये पैसे दवाइयों के क्रय करने में व्यय किया।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि किन-किन रोगों में कितना कितना खर्च किया गया ?

श्री अध्यक्ष--माननीय कृषि मंत्री के पास यदि ब्यौरा हो तो वे दे दें।

श्री मोहनलाल गौतम--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास ब्यौरा है। मैं मंगा कर दे सकता हूं।

पीलीभीत जिले में बीसलपुर अस्पताल की मरम्मत तथा स्त्री चिकित्सालय खोलने की प्रार्थना

*३५--श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार पीलीभीत जिले में बीसलपुर अस्पताल भवन का पुनःनिर्माण करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी नहीं।

*३६--श्री मुनीन्द्रपालसिंह--क्या सरकार बीसलपुर, जिला पीलीभीत में स्त्री चिकित्सा अस्पताल बनवाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि बीसलपुर अस्पताल की इमारत इतनी क्षीण हो गयी है कि उसका बनवाना अनिवार्य हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तो सिविल सर्जन के पास से कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अगर खराबी होगी तो वे अवश्य रिपोर्ट करेंगे।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह--बीसलपुर तहसील में स्त्रियों के इलाज के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तो संभवतः उसी अस्पताल में वे बेचारी भी दवा पाती हैं।

श्री उग्रसन—क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई थी कि सालाना मरम्मत बोसलपुर अस्पताल की नहीं हुआ करती थी जिससे भवन गिर गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना आई नहीं है, जहां तक मुझे याद है ।

दियोरिया डिस्पेन्सरी, जिला पीलीभीत में इन्डोर वार्ड

*३७—श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह दियोरिया डिस्पेन्सरी, जिला पीलीभीत में स्त्रियों की चिकित्सा के लिये क्या व्यवस्था कर रही है और क्या वह उक्त डिस्पेन्सरी में मरीजों के रहने के लिये इन्डोर वार्ड बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—दियोरिया डिस्पेन्सरी, जिला पीलीभीत में अभी ४ शय्याओं का इन्डोर वार्ड बनाया गया है जिन में २ शय्यायें स्त्री रोगियों के लिये सुरक्षित कर दी गई हैं ।

श्री मुनीन्द्रपालसिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि स्त्रियों की देखरेख के लिये दियोरया की डिस्पेंसरी में कोई नर्स या डाक्टर है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*३८-४०—श्री उग्रसेन—[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१—श्री गंगाप्रसादसिंह—[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४२-४३—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

रिहन्द बांध के काम की प्रगति

*४४—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि रिहेन्ड डैम की बिजली मिर्जापुर नगर को नहीं दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

*४५—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि रिहैन्ड डैम की इस समय क्या प्रगति है और यह डैम कब तक बन कर पूर्ण रूप से तैयार हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिहन्द बांध की नींव की खुदाई पूर्ण हो चुकी है । बांध के पूरा होने के लिये ६१३ लाख घन फीट कांक्रीट की भराई की जानी है जिसमें से १३४ लाख घन फीट कांक्रीट भरी जा चुकी है ।

विद्युत् गृह में विद्युत् उत्पादन के लिये (Generating sets) के निर्माण का कार्य हो रहा है । (Draft tube liners) को कांक्रीट में दबा दिया है । डेम पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और जून, १९६१ तक पूर्ण होने की आशा है पिपरी-वाराणसी व पिपरी-मिर्जापुर के बीच १३२ के० वी० डबल सरकिट लाईन का आर्डर दे दिया गया है । दूसरी लाईनें जो बनना हैं उनका काम चल रहा है ।

महाराजगंज तहसील की सिसवा बाजार में पशु चिकित्सालय खोलने की योजना

*४६—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के बहदुरी बाजार, आनन्दनगर, फरेंदा, बलुआ लेजार, महादेवा, धानी बाजार में पशु चिकित्सालय खोलने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—विभागीय पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में एक नया चिकित्सालय महाराजगंज तहसील में सिसवा बाजार में स्थापित किया जायगा। इसके अतिरिक्त पशु-पालन विभाग के लिये गोरखपुर जिले में चिकित्सालय खोलना संभव नहीं है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी कोई पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—वहां इस समय ५ चिकित्सालय हैं । गोरखपुर, बांसगांव नटवर कोठी, महाराज गंज और भटहट में ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में राज्य सरकार का एक भी पशु चिकित्सालय नहीं है ?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने निवेदन किया कि ५ हैं जिनके नाम पढ़कर सुनाये ।

अहरौला अस्पताल, जिला आजमगढ़ में डाक्टर न होना

*४७—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि अहरौला अस्पताल, जिला आजमगढ़ में डाक्टर कितने दिनों से नहीं है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—अहरौला अस्पताल जिला आजमगढ़ में दिनांक १३ सितम्बर, १९५७ से डाक्टर नहीं था । अब एक डाक्टर दिनांक ४ अगस्त, १९५८ से काम कर रहा है ।

राज्य में बिना डाक्टर के अस्पताल

*४८—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में कितने अस्पताल ऐसे हैं जहां इस समय बिना डाक्टर के काम चल रहा है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—प्रदेश में १०१ अस्पताल ऐसे हैं जहां इस समय डाक्टर के बिना काम चल रहा है ।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन अस्पतालों में जहां डाक्टर नहीं है किस तरह से काम चल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—येन केन प्रकारेण ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डाक्टर का काम किस कर्मचारी से लिया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जवाब तो दे दिया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन १०१ अस्पतालों में डाक्टर न होने का कारण यह भी है कि वहां पर एल० एम० पी० ग्रेड के डाक्टर रखे जाते हैं और जो नहीं मिलते हैं और एम० बी० बी० एस० वालों का ग्रेड ज्यादा है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न ४७–४८ श्री भगवतीसिंह विशारद ने पूछे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अस्पतालों में अब कम से कम एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की जरूरत होती है और उनकी तादाद कम है। कोशिश की जा रही है और आयोग से दरख्वास्त की गई है कि वह एडवर्टाइज करे और आशा है कि लोग मिलेंगे और पूर्ति करेंगे।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं वहां कम्पाउंडर भी हैं या नहीं जिनसे काम होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संभवतः कम्पाउंडर हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी इस व्यवस्था को हटाकर सुव्यवस्थित ढंग से अस्पतालों को चलाने का आश्वासन देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब डाक्टर मिल जायेंगे तो यह योजना हटा दी जायगी और काम ठीक तरह से चलने लगेगा।

गोरखपुर जिले के नौतनवां बेसिक बीज भण्डार से वितरित धान के बीज की शिकायत

*४९—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि N. E. S. Block नौतनवां के सुर्मपुरा, बरनहवां, सिरसिया, मशकों, जमुहानी, जिगिना, शीशमहल, खोरिया बाजार, गनेशपुर बगहा, बखाकला, बेलहिया, परसोत्तमपुर तथा खैरतवा ग्राम सभाओं को बेसिक बीज भंडार से उन्नतिशील बीज मिला है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री मोहनलाल गौतम—धान का उन्नतिशील बीज दिया गया था और इसके वांछित आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२१ पर।)

*५०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार को यह पता है कि गोरखपुर जिले के नौतनवां बेसिक बीज भंडार से उन्नतिशील धान का बीज जो वितरित हुआ है उसमें काफी मात्रा में पइया रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुछ बीज में पइया अवश्य था। ज्यादातर बीज में नहीं था।

*५१—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त बीज भंडार की शिकायतों की दरख्वास्तें तथा महज्जरनामें किसानों की तरफ से अधिकारियों को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस संबंध में कुछ शिकायतें प्रश्नकर्त्ता के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई थीं और उनके प्राप्त होने पर संचालक ने सूचित किया है कि पइया लगा हुआ बीज प्रश्नकर्त्ता के समक्ष साफ कराकर किसानों में वितरित किया गया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बतायेगी कि जो पइयाशुदा बीज किसानों में बांटा गया उसके लिये वह क्या कर रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यदि किसी किसान की शिकायत आयेगी तो उस पर गौर करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पइया के कारण जो नुकसान हुआ बीजों से उसका जिम्मेदार कोई अधिकारी समझा गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी यही नहीं मालूम कि किस किसान के पास कितना पइया लगा हुआ बीज गया। इसलिये उसके बाद का हिसाब लगाना मुश्किल है।

जौनपुर जिले में मलेरिया निरोधक योजनान्तर्गत परिगणित तथा पिछड़ी जाति के कमचारी

*५२—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिल में 'मलेरिया निरोधक' योजना के अन्तर्गत कितने 'फील्ड वर्कर' जमादार और चपरासी रखे गये हैं ? उनमें परिगणित जाति और पिछड़ी जाति के कितने कर्मचारी हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—३३ सुपीरियर फील्ड वर्कर (जमादार), १६१ फील्ड वर्कर और ४ चपरासी तथा १ चौकीदार नियुक्त हैं।

इन सब में से २० परिगणित जाति के और ५३ पिछड़ी जाति के कर्मचारी हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३५ सुपीरियर फील्ड वर्कर्स तथा १६५ फील्ड वर्कर्स (जमादारों में) अलग-अलग कितने हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

नये कनेक्शन न देने वाली बिजली सप्लाई कम्पनियां

*५३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन बिजली सप्लाई कम्पनी हैं जिन्होंने नये कनेक्शन देना बन्द कर दिये हैं, वह क्यों और कब से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, मुरादाबाद व मेरठ की एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनियों ने जिनका प्रबन्ध सर्वश्री मार्टिन बर्न करते हैं, ४ मार्च, १९५८ के बाद से बिजली के नये कनेक्शन देना बन्द कर दिया है। उनका कहना है कि उनके पास धन (capital) न होने के कारण वे नए कनेक्शन देने में असमर्थ हैं।

*५४—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५५-५६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—[१८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६१-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

वाईरस इनसेफलाइटिस से मृत्युएं तथा रोग की रोकथाम के उपाय

*५७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि] इस महीने में किन-किन जिलों में Virus Encephalitis नामक नयी बीमारी से कितने-कितने बच्चों की मौतें हुई हैं तथा उसकी रोकथाम के लिये क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जुलाई माह में विभिन्न नगरों से जो वाइरस इनसेफलाईटिस रोग से मृत्यु की संख्या की सूचना प्राप्त हुई है वह निम्न आकड़ों में अंकित है :

नगर	मृत्यु संख्या
लखनऊ	५९
आगरा	१५
कानपुर	१८
सीतापुर	५
फर्रुखाबाद-कम्-फतेहगढ़	५
वाराणसी	२
इलाहाबाद	४
बस्ती	४
अलीगढ़	२
बरेली	१
बलिया	..
एटा	..
देहरादून	१
इटावा	१
फैजाबाद	१
हरदोई	१
गाजीपुर	१
मैनपुरी	१
आजमगढ़	१
योग	१२२

उपरोक्त रोग की रोकथाम के लिये जो उपाय किये जा रहे हैं वे निम्न हैं :

प्रथम—सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

द्वितीय—बीमारी की रोकथाम के लिये गैमेक्सीन का छिड़काव, रोग-ग्रस्त मकानों और गन्दे कूड़ों के स्थानों पर किया जा रहा है ।

तृतीय—जलपान-गृहों तथा भोजनालयों में स्वच्छता रखने पर ध्यान दिया जा रहा है ।

चतुर्थ—१२ जुलाई से इस बीमारी को नोटीफाईबिल (notifiable) कर दिया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन जिलों की सूची उन्होंने दी है उनमें कितने बच्चे बीमार हुए थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखनऊ में २५७, आगरा में ६५, कानपुर में ३२, सीतापुर में १२, फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़ में १०, वाराणसी में ९, इलाहाबाद में ८, बस्ती में ४, अलीगढ़ में २, बरेली में २, बलिया में १, एटा में १, देहरादून में १, इटावा में १, फैजाबाद में १, हरदोई में १, गाजीपुर में ३, मैनपुरी में १, और आजमगढ़ में १ ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब बीमारी की क्या स्थिति है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कंट्रोल में है । कब्जे में आ गई है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नयी बीमारी के लिये कोई डेफिनिट इलाज जांच से निकाला जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खोज हो रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात की भी जांच करने में सफल हुई है कि इसका इन्फेक्शन किस प्रकार होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बताया जाता है कि कंटेमिनेटेड फूड के जरिये से होता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रोग पर ऐलोपैथिक मेडिसिन ज्यादा सक्सेसफुल हुई या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी कोई खास दवा निकली नहीं ।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—सदन की भाषा हिन्दी है और माननीय मंत्री जी अभी अंग्रेजी में बोल रहे थे जिसे बहुत से एम० एल० ए० नहीं समझ पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—उसी वक्त आप कह देते तो मैं रोक देता ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी इसकी सूचना देंगे कि देवरिया में भी इस बीमारी से बच्चों की मृत्युएं हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने सुना होगा जब उन्होंने जिलों के नाम पढ़े थे ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, सूची में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—अगर नहीं है तो वहां मृत्युएं नहीं हुई होंगी ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बीमारी को काबू में लाने के लिये उन्होंने कौन-कौन से उपाय किये हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका भी जवाब दिया जा चुका है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नई बीमारी बढ़ रही है उसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—वह भी उन्होंने बता दिया कि खोज हो रही है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी ने इस बात की खोज करवाई है कि यह बीमारी यहीं पैदा हुई या विदेशों से इम्पोर्ट हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पता चला है जमशेदनगर में कहीं पहले हुई थी १९५३ में । और यहां भी हुई थी और जगह का हाल मुझे ठीक नहीं मालूम ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मंत्री जी कानपुर की स्थिति को देखते हुए कि वहां ३२ में से १८ बच्चे मरे तो वहां कोई विशेष प्रिकाशनरी मेजर लेंगे जिससे बीमारी का इलाज हो सके और बढ़ने न पाये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है ।

झांसी में मृत्तिका गवेषणा मन्दिर पर व्यय

*५८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में जो मृत्तिका गवेषणा मंदिर है उसमें किस-किस पद पर कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन तथा उक्त मंदिर के रख-रखाव में वार्षिक कितना व्यय होता है व उनका क्या कार्य-क्रम रहता है ?

श्री मोहनलाल गौतम—कुल १३ कर्मचारी जिनके वेतन पर लगभग १९,००० रुपये वार्षिक व्यय होता है निम्नलिखित पदों और वेतन-क्रमों में कार्य करते हैं :

पद और संख्या	वेतन-क्रम रुपये
१—एस० ए० एस० ग्रूप १ का एक कर्मचारी ..	२००–३५०
२—एस० ए० एस० ग्रूप २ का एक कर्मचारी	१२०–२५०
३—एस० ए० एस० ग्रूप ३ के छः कर्मचारी	७५–१२०
४—मिनिस्टीरियल सर्विस का एक कर्मचारी	६०–११०
५—इन्फीरियर सर्विस के चार कर्मचारी	२७–३२

मन्दिर के रख-रखाव पर लगभग ४,००० रुपये वार्षिक व्यय होता है ।

उनका कार्य अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी का वैज्ञानिक विश्लेषण, भूमि खंडों का वर्गीकरण तथा उन भूमिखंडों पर उगने वाली विभिन्न फसलों के लिये उपयुक्त खाद तथा उसकी मात्रा की खोज करना है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उक्त मन्दिर में पूरा मौजूदा स्टाफ का रखना कहां तक सार्थक है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी जांच करने की कोई जरूरत नहीं है । जो काम हो रहा है उसकी देखभाल होती है और सार्थक समझ कर ही वह काम किया जा रहा है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें जो स्टाफ रखा गया है उसमें सब ऐक्सपर्ट हैं या साधारण लोग भी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो नाम से ही मालूम होता है कि जो सर्विस के हैं वे चुने हुए हैं, आवश्यक क्वालीफिकेशन्स को पूरा करते हैं जिनकी जरूरत है । वे बेकार आदमी नहीं हैं ।

रिहन्द बांध के पावर हाउस से उत्पादित बिजली के उपयोग की योजना

*५९—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध के पावर हाउस से उत्पादित बिजली के उपभोग की कोई योजना सरकार के पास है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री धर्म सिंह—रिहन्द बांध के पावर हाउस से उत्पादित बिजली के उपभोग की योजना अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*६०—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध के निर्माण में प्रयुक्त मशीनों के लिये किसी विदेशी कम्पनी को ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो वह कितने रुपये का है और उसकी क्या शर्तें हैं ?

श्री धर्म सिंह—जी हां । मशीनों के लिये इंगलिश इलैक्ट्रिक कम्पनी को ठेका दिया गया है । मशीनों की कीमत और उनको स्थान पर लगाने का ठेका लगभग २ करोड़ २७ लाख रुपये का है । शर्तों की सूची करीब डेढ़ सौ सफे में है । उनके बताने में सदन का बहुत समय व्यर्थ जावेगा । यदि माननीय प्रश्नकर्ता महोदय उनको देखना चाहें तो मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रिहेन्ड डैम से गत वर्ष कितने किलोवाट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है ?

श्री धर्मसिंह—इन्सटाल्ड केपेसिटी है २ लाख ५० हजार किलोवाट और फर्म केपेसिटी है १ लाख ५ हजार किलोवाट ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि एल्यूमुनियम फैक्टरी पर बिजली प्राप्त करने के लिये प्रमुख उद्योगपति बिड़ला ने कोई लिखा पढ़ी की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, काफी गाहक आ रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने तीन-चार वर्ष पूर्व ही अपना विचार घोषित कर दिया था कि रिहन्द बांध द्वारा पूर्वी जिलों को बिजली दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हां, ऐसा खयाल जाहिर किया गया था ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि यह रिहन्द बांध की स्कीम अब फिर स्थगित होने की परिस्थिति में आ गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, कतई नहीं ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि अभी जो जोनल कान्फ्रेन्स हुई थी उस में रिहन्द बांध के बारे में माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त ने अपनी राय जाहिर की है कि मध्य प्रदेश सरकार की ४०,००० एकड़ जमीन बिना मुआवजे के यू० पी० सरकार ने ले ली है उस पर आपत्ति उठी है और इसे बन्द करने की योजना चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई बन्द करने की योजना नहीं चल रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—जो काफी ग्राहक आ रहे हैं उस में बिड़ला भी आये हैं और वह कितनी बिजली के लिये आये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तादाद तो नहीं बता सकता, लेकिन उन में से एक गाहक बिड़ला भी हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जब सरकार तीन-चार वर्ष पहले यह विचार घोषित कर चुकी है तो पुनर्विचार की क्या आवश्यकता पड़ी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को मालूम है कि इस समय रिहन्द बांध पर काम होना स्थगित है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा नहीं मालूम है, काम हो रहा है ।

आजमगढ़ जिले में घोसी अस्पताल की बिजली कट जाना

*६१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी अस्पताल, जिला आजमगढ़ में लगी हुई बिजली क्यों काट दी गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—बिजली के बिल का पैसा अदा न करने के कारण बिजली काट दी गई ।

*६२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उक्त अस्पताल में फिर से बिजली लगाने का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस सम्बन्ध में ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी ने हाइडिल विभाग को फिर से बिजली लगाने को लिखा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या विद्युत् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिजली के बिल का पैसा किस विभाग द्वारा दिया जाता था और उसने क्यों अदा नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो बिजली इस्तेमाल करता था और जिस विभाग से उसका ताल्लुक था उन्हीं को देना चाहिये था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या विद्युप् मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विकास अधिकारी द्वारा बिजली विभाग को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ताकि बिजली फिर लग जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार फिर से जानकारी हासिल करने की कृपा करेगी कि ब्लाक विभाग के अधिकारी भुगतान करते थे और उन्होंने लापरवाही से भुगतान नहीं किया और इसी कारण से बिजली काट दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो प्रश्नकर्ता को स्वयं ही मालूम है क्योंकि वह इत्तला द रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि कितने मास से बिजली के बिल का भुगतान नहीं हुआ और वह कितने रुपये का था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिर्फ १,७५२ रुपया ११ आने का।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इतने दिन तक इतनी बकाया रहने का कारण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कितने पीरियड का बकाया था यह नहीं बतला सकता हूं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घोसी अस्पताल की बिजली कब से कटी हुई है और कब तक लग जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विद्युत् विभाग कंसर्न से मामला तय हो जायगा तब लग जायगी। कब से कटी हुई है यह नहीं बतला सकता।

*६३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२२ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

अतिवृष्टि से कतिपय पश्चिमी जिलों में हानि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री मलिखानसिंह जी ने भेजा है—

"आज का सदन प्रस्ताव करता है कि बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी आदि पश्चिमी जिलों में अति वर्षा होने के कारण कुछ खरीफ की फसल बोई नहीं जा सकी और जो बोई गयी वह पांच, छः और सात अगस्त, १९५८ की अतिवृष्टि होने से प्रायः समाप्त हो चुकी है। इस भयंकर वर्षा के कारण उत्पन्न परिस्थिति से आज जनता में भारी क्षोभ है और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः आज यह सदन विचार करने के लिए कार्य स्थगित करता है।"

इसके बारे में कि कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कोई माननीय सदस्य ने किसी जांच की रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ नहीं दी है।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके मेरे पास स्वयं वाकयात आये हैं। इससे पहले जो बारिश हो रही थी उसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी थी। लेकिन तीन-चार दिन में अधिक बारिश हुई। इसकी स्वयं आकर उन्होंने रिपोर्ट दी है। जब पूरा कन्फर्म हो गया है उस समय मैं प्रस्ताव लाया हूं।

श्री अध्यक्ष---जो आपको रिपोर्ट मिली है वह भेज देनी चाहिये थी मेरे यह बात जानने के लिये कि विषय निश्चित है या नहीं। प्रस्ताव केवल आपने दे दिया जिससे कुछ पता नहीं लगता है।

श्री मलिखानसिंह---उस क्षेत्र से स्वयं वाकयात आये हैं।

श्री अध्यक्ष---आपने कोई सूचना प्रस्ताव के साथ भेजी नहीं है, यह निश्चित नहीं मालूम होता है। प्रस्ताव में और भी चीजें हैं। भुखमरी की परिस्थिति पैदा हो गयी है। उसके परिणाम भी आपको दो-तीन रोज के अन्दर मालूम हो गये और सरकारी अफसरों ने कोई कार्यवाही की या नहीं यह भी पता नहीं है। इसलिए अनिश्चित होने के कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मलिखानसिंह---मैं आपकी जानकारी के लिए लिखित भेजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष---इस वक्त मैं अस्वीकृत कर रहा हूं। यह अनिश्चित होने के कारण खत्म होता है।

माननीय संबंधित मंत्री अगर कोई सूचना देना चाहें तो मैं उनको इजाजत दे सकता हूं इन जिलों के बारे में परन्तु वह भी संक्षेप में उसे कृपा कर के दें।

*वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अलीगढ़, एटा और मैनपुरी की कोई खबर हमारे पास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स से मालूम करा रहे हैं। लेकिन आगरा और मथुरा की खबर है, वह आप इजाजत दें तो सुना दूं।

श्री अध्यक्ष---सुना दीजिये।

श्री चरणसिंह---वह इस प्रकार है :--

इस साल छाता में जुलाई मास में लगभग २१ इंच वर्षा हुई है। उसकी वजह से १६६ गांवों में वाटरलागिंग हो गयी है, पानी भर गया है कल्टीवेटेड एरिया में। जो उनके यहां से हमारे पास टेलीग्राम मेसेज आया है उससे साफ नहीं जाहिर होता है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि ७८ हजार ७ सौ एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। १५ सौ मकान गिरे हैं या उनको नुकसान हुआ है। ७५ हजार रुपया तकावी, ५ हजार रुपया ग्रेटुटस रिलीफ और पांच हजार रुपया मकान बनाने के लिए सब्सिडी के तौर पर सैंक्शन कर दिये गये हैं।

जहां तक आगरा का सम्बन्ध है खैरागढ़ और किरावली की सूचना मैं पहले सुना ही चुका हूं। फीरोजाबाद तहसील में ८ गांवों में बराबर वर्षा होने की वजह से और १६ गांवों में सिरसा नदी में बाढ़ आने की वजह से, ६ गांवों में सेंगर नदी में बाढ़ आने की वजह से वाटर-लागिंग हो गयी है। कुल एरिया जो प्रभावित है वह ५ हजार एकड़ है। जो फसल है वह ४ हजार एकड़ की है ये सब तखमीने हैं। कोई भी गांव मैरूंड नहीं हुआ है। कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। ५ सौ रुपया ग्रेटुटस रिलीफ और १ हजार रुपया की तकावी कलेक्टर के डिस्पोजल पर रख दी गयी है।

बस इन दो जिलों की रिपोर्ट मेरे पास आयी थी और मैंने सुना दी।

श्री मलिखानसिंह---माननीय मंत्री जी ने अभी यह बतलाया कि ३ जिलों की रिपोर्ट नहीं आई है। तो उनकी रिपोर्ट आने के बाद क्या वह सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर आप प्रश्न करेंगे तो उत्तर आपको मिल जायगा। आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सूचना

सचिव, विधान सभा--विधान परिषद् से मेरे पास यह पत्र आया है कि--

महोदय,

आपके पत्र संख्या २६२४ (२)/२११-५८, दिनांक ६ अगस्त, १९५८ के संदर्भ में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की नियमावली के नियम १९६ (३) के अन्तर्गत मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ७ अगस्त, १९५८ की बैठक में कृषि मंत्री का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९५८ ई० के उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर दे, स्वीकार कर लिया है।

२--विधान परिषद् ने अपनी उसी दिन की बैठक में उपर्युक्त समिति पर कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को भी निर्वाचित किया है--

(१) श्री पीताम्बर दास,
(२) श्री महाराज सिंह भारती,
(३) श्री ज्योति प्रसाद उपाध्याय,
(४) श्री एस० एन० काटजू,
(५) श्री महफूज अहमद किदवई
(६) श्री इन्द्रसिंह नयाल,
(७) श्री रामकुमार शास्त्री,
(८) श्री शिवप्रसाद सिनहा।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में इस आदरणीय सदन की तरफ से अगर माननीय मंत्री उचित समझें तो आज ५ बजे के बाद थोड़ा-सा समय बढ़ा कर, समिति के लिये नाम पेश कर सकते हैं।

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--मैं ५ बजे के बाद नाम पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष--उस समय ५ बजे के पहले समय बढ़ाने का प्रस्ताव आ जाना चाहिये।

आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (द्वतीय भाग)

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसार इस समिति के प्रथम प्रतिवेदन के दूसरे भाग को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

(श्री महीलाल के खड़े होने पर श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह बैठ गये।)

विभिन्न संकल्पों के लिये समय निश्चित करने की प्रार्थना

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज के कार्यक्रम के लिये समय निश्चित कर दिया जाय। मेरा सुझाव यह है कि श्री नारायणदत्त तिवारी के संकल्प को १। बजे समाप्त कर दिया जाय और इसके बाद टीकाराम जी का संकल्प ४।। बजे समाप्त हो जाय। इसके बाद अगला संकल्प लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अगर इसमें सर्वसम्मति हो तो मैं इसकी इजाजत दे दूंगा लेकिन अगर सर्वसम्मति इस विषय में नहीं है तो यह चीज नहीं होगी। किन्तु यह अधिकार आपको है कि आप प्रश्न उपस्थित करने के लिये किसी वक्त भी कह सकते हैं। १। बजे किसी संकल्प को खत्म करना ह तो १ बज प्रश्न उपस्थित करने का प्रश्न उठाये तो वह सदन चाहेगा तो वह खत्म हो जायगा। अब आपका जो यह टाइम मुकर्रर करने का प्रस्ताव है इसके ऊपर मैं राय ले लूंगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---जो प्रस्ताव उधर से समय निर्धारित करने के लिये रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। जो यह संकल्प है यह बहुत महत्त्व रखता है। पूर्वी और पर्वतीय जिलों की खाद्य समस्या पर इस सदन को विचार करना है इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है।

श्री अध्यक्ष---विरोध होने के कारण प्रस्ताव पर अब मैं राय नहीं लूंगा।

आश्वासन समिति के सम्बन्ध में वैधानिक प्रश्न

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं भी एक बात उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह बात तो खत्म हो गई।

श्री राजनारायण---अगर आप आज्ञा दें तो मैं एक जानकारी प्रतापसिंह जी से आपके द्वारा कर लूं। नारायणदत्त जी वाले प्रस्ताव के पूर्व एक प्रस्ताव चल रहा था, किन्तु सहमति से यह तय हुआ कि इस पर केवल चर्चा चल जायगी। इस समझौते के साथ वह प्रस्ताव चलने दिया गया। अब नारायणदत्त जी वाले प्रस्ताव पर दो दिन बहस हो चुकी है। अगर सरकार को मानना होगा तो मान लेगी और नहीं मानना होगा तो नहीं मानेगी।

श्री अध्यक्ष---इसमें क्या दिक्कत है मेरी समझ में नहीं आता। वह क्लोजर मूव करेंगे तो आप उसका समर्थन कर दीजियेगा।

आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (द्वितीय भाग) (क्रमागत)

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप ने अभी यह मान लिया कि यदि इधर से कोई सदस्य बोल रहा है और उधर से कोई सदस्य खड़े हो जाते हैं तो जब तक आपकी आज्ञा न हो तब तक हमको नहीं बैठना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---स्वेच्छा से यदि बैठना न हो तो नहीं बैठना चाहिये। बात यह है कि यदि कोई सदस्य खड़ा होकर वक्ता को टोकने का प्रयत्न करे तो वक्ता सदस्य कह सकता है कि मैं ईल्ड नहीं करता, आप चाहे कितना डिगाने की कोशिश करें लेकिन मैं नहीं बैठता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, क्या जब उधर से वे माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये थे तब आपकी आज्ञा उनको प्राप्त हो गयी थी ?

श्री अध्यक्ष ---चूंकि उनके खड़े होने पर ये बैठ गये इसलिये मैंने समझा कि शायद अब वे कुछ अधिक नहीं बोलना चाहते।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं निवेदन करूंगा कि जब कोई दूसरे सदस्य खड़े होते हैं तब बोलने वाला सदस्य इसलिये भी ईल्ड कर देता है कि शायद वह कोई प्रश्न पूंछना चाहते हैं। इस गलतफहमी में ऐसा होता है। चूंकि आपने उनको पुकारा नहीं था इसलिये इनको बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं है। क्योंकि इस समय तक हमारे काम की शुरूआत नहीं हुई है और कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ इस कारण सदस्यों को आपत्ति हो तो वह बोल सकते हैं।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—मैं इसी विचार से बैठ गया था कि चूंकि वे खड़े हुये थे। अगर आपकी आज्ञा हो तो दो, चार शब्द कह दूं।

समिति का निर्माण आपके द्वारा पिछले वर्ष हुआ था। यह हमारे प्रदेश का गौरव है कि हमारे देश में बहुत कम सूबे हैं जहां आश्वासन समिति का निर्माण हुआ है। सदन और सदन के सदस्यों को जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है उसको पूरा करने में इस समिति का बहुत बड़ा हाथ रहता है। इस समिति का मुख्य कार्य यह है उसके नाम के अनुरूप, कि जो सरकार या मंत्री या उपमंत्री वर्ग सदन में यहां पर कोई आश्वासन देते हैं किसी प्रश्न के संबंध में या अपने भाषणों में, उनकी कहां तक पूर्ति हुई है उसको देखना। उनकी देख-रेख का काम आश्वासन समिति का रहता है।

एक समस्या हमारे सामने यह थी कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारे यहां होता है उसको आश्वासन माना जाय या न माना जाय। पहले हमारी यह धारणा थी कि वह भी आश्वासन की ही कोटि में आता है। श्रीमन्, हमने इस संबंध में लोक सभा से सम्पर्क स्थापित किया और उनके विचार मांगे। वहाँ उनकी ऐसी पद्धति बन गई है कि वहाँ जब राष्ट्रपति का भाषण होता है तो उसे आश्वासन नहीं माना जाता। अतः हम भी अपने नियमों में संशोधन कर के उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि जो यहां पर मंत्रिगण या सरकार के सदस्य आश्वासन दें उसको हम देखें।

समिति का प्रथम प्रतिवेदन हमने पहली अप्रैल सन् १९५८ को आपकी आज्ञा से सदन में प्रस्तुत किया। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इसका दूसरा प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का दूसरा वर्ग, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा और चौथा वर्ग मुद्रणालय में है, छप रहा है और आशा की जाती है कि बहुत शीघ्र ही हम उसको श्रीमन् के सामने पेश करेंगे।

एक बात अवश्य है कि हम लोग अभी तक पिछली विधान सभा के आश्वासनों के बारे में ही विचार कर पाये हैं। आपके द्वारा एक व्यवस्था दी गयी थी कि जो पिछली असेम्बली में आश्वासन दिये गये हैं वे विधान सभा के विघटन हो जाने से लुप्त नहीं हो जाते। अतः उसी के अनुसार हम लोग अभी पिछली ही विधान सभा के आश्वासनों पर विचार कर सके हैं और जो इस विधान सभा में आश्वासन दिये गये हैं वहां तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाये हैं। हां, हमने अब पुराने आश्वासनों की पूर्ति कर ली है और आशा है कि अब हम नयों को भी देखेंगे, जो द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें ९६ केसेज पहले थे। जो रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसे आप देख सकते हैं। हमारी जो प्रगति है वह संतोषजनक नहीं हो पायी है। अभी इसका महत्त्व संभवतः विभागीय कर्मचारी समझे नहीं हैं। सदन इस बात को मानता है कि सरकार के सदस्य जो आश्वासन देते हैं उनकी पूर्ति भी की जाय लेकिन इस पूर्ति करने के प्रति जो प्रगति है वह बहुत धीरे-धीरे हो रही है। मैं आशा करता हूं कि जिस उदारता के साथ सरकार आश्वासन देती है वैसे ही उन आश्वासनों की पूर्ति के आदेश भी वह अपने विभागीय कर्मचारियों को देगी। तभी वे उस पर ध्यान देंगे। इस संबंध में मैं एक ही उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस संक्षिप्त कथन में ब्यौरा नहीं आना चाहिये, क्योंकि इस प्रतिवेदन पर बहस नहीं होने वाली है। सब लोग इसको पढ़ लेंगे।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह—सन् १९५५ के आश्वासन पड़े हुए हैं कि जिन पर अभी तक कोई विचार नहीं हो पाया है। अभी तक उनके लिये जवाब आते हैं कि वे सरकार के विचाराधीन हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह]

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को पेश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इसको सफल बनाने तथा समिति के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार और हमारे मंत्रिगण इस ओर ध्यान देंगे और अगर थोड़ा-सा कष्ट करके वह समिति की रिपोर्ट को देख लेंगे तो स्वयं उनको मालूम हो जायगा कि विभागीय कार्यवाही किस प्रकार चलती है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि जो यह आश्वासन समिति की रिपोर्ट पेश हुई है उसके संबंध में आपने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लोग पढ़ लेंगे तो क्या इस पर कोई ऐसा फैसला हो गया था और श्रीमन्, अगर समिति की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सरकार के आश्वासनों पर ८० और ९० फीसदी पर, कोई काम नहीं होता तो यह विषय सदन के लिये बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—जो समिति की रिपोर्ट है वह सदन की रिपोर्ट समझी जाती है इसलिये जो टीका-टिप्पणी करनी है उस संबंध में आप प्रश्न पूछ कर कि फलां आश्वासन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई इस प्रकार से टीका करें। आप पूछ सकते हैं कि जब कि समिति की रिपोर्ट में अमुक बात दी गयी है और अभी तक सरकार ने अपने आश्वासन की पूर्ति नहीं की, उसका क्या कारण है इत्यादि। दूसरे अपने भाषण में सदस्यगण यह जिक्र कर सकते हैं कि सरकार ने अमुक बात कही थी परन्तु उसे पूरा न करके सरकार सदन की अवहेलना कर रही है। लेकिन इस समिति की रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं होती है।

विभिन्न स्थायी समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन संबंधी सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट की सदस्यता के लिये ५-५ सदस्यों हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इस्टीट्यूट, कानपुर परामर्श समिति के लिये १ सदस्य और प्राक्कलन समिति में एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये १ सदस्य के निर्वाचन से संबंधित क्रमशः १३, १०, ५ और ५ अभ्यर्थियों के नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनसे संबंधित नामों की वापसी के लिये अंतिम तिथि तथा समय १३ अगस्त, १९५८ के सायंकाल ४ बजे तक के लिये नियत है। अतः उस समय तक निर्धारित निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नाम, यदि वापस न लिये गये तो निर्वाचन १४-८-५८ को २ बजे से ५ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

प्रदेश में अभाव की समस्या के निराकरणार्थ उच्च स्तरीय समिति की स्थापना के संबंध में संकल्प†

श्री अध्यक्ष—अब श्री नारायण दत्त जी तिवारी के प्रस्ताव पर विवाद आरम्भ होगा। श्री गोविन्द नारायण तिवारी भाषण दे रहे थे।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण-दत्त तिवारी जी ने जो प्रस्ताव पिछली मीटिंग में सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था उस सिलसिले में मैं निवेदन कर रहा था कि मुझे आपकी आज्ञा से इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने और विशेष रूप से मंत्रिमंडल के सम्मुख बुन्देलखंड की समस्या के विषय में कुछ निवेदन करना आवश्यक है। वैसे तो बुन्देलखंड दो हिस्सों में चला गया है। एक भाग के चार जिले उत्तर प्रदेश में हैं और दूसरे भाग के जिले मध्य प्रदेश में चले गये हैं। बुन्देलखंड के ये चार जिले झांसी, बांदा, जालौन और हमीरपुर उनकी बाबत कुछ आंकड़े दो शब्दों में श्रीमन् के सामने उपस्थित कर देना चाहता हूं। वह यह है कि इन चारों जिलों का क्षेत्रफल

† २५ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही से।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

११,३१० वर्ग मील है, यहां की जन-संख्या २८,८८,५१२ है और यहां का टोटल एकरेज जिसमें खेती की जाती है ७,८४,४८२ एकड़ है। किसी तर्क को सिद्ध करने के लिये श्रीमन्, यह आवश्यक होता है कि उसके लिये कुछ फैक्ट्स भी सामने रखे जायं।

मैं दो बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि आज इन बुन्देलखंड के चार जिलों की परिस्थिति क्या भुखमरी और स्केयरसिटी की है, दूसरी यह कि इस समस्या का हल क्या है? वैसे पूर्वी जिलों में बड़ी भारी मुसीबत भुखमरी वगैरह की आती रहती है जिसके बारे में यह सदन भी जानता है। उत्तरी अंचल के बारे में भी कहा जाता है कि वहां भी इंसान दरख्तों की जड़ें खाता है, मगर इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश का वह भू-भाग, जिसने उत्तर प्रदेश और देश की लड़ाई में सबसे प्रथम भाग लिया और वह, देश का वह भाग है जिसका इतिहास आज भी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के लिये अनुकरणीय है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। झांसी की लक्ष्मीबाई, तथा राजा छत्रसाल इस बुन्देलखंड में ही हुए हैं। यहीं वह स्थान चित्रकूट है, जहां राजा रामचन्द्र ने अयोध्या से जाकर शरण ली थी। वह बुन्देलखंड आज बिलकुल सरकार की ओर से नैगलेक्टेड है, उसकी ओर से सरकार उदासीन है। बुन्देलखंड में किसी इंडस्ट्री का नाम भी नहीं है जब कि वहां पर रा मेटीरियल बहुत ज्यादा पाया जाता है। वहां पर चमड़ा, गन्ना और रुई पैदा होती है, धान भी पैदा होता है और हर एक प्रकार की चीजें पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी बुन्देलखंड में कोई औद्योगीकरण नहीं हुआ है।

मैं अपने जिले जालौन की बात, श्रीमन् बता दूं। वहां पर ५ हजार एकड़ जमीन में गन्ने की खेती होती है, लेकिन किसान के लिये कोई फैक्टरी या मार्केट का प्रबन्ध नहीं है जब कि दूसरे जिलों में कई-कई फैक्टरीज हैं। इन चार जिलों की आबादी करीब २८-३२ लाख है, लेकिन उनके लिये सरकार ने इतना भी नहीं किया है कि उनके लिये कोई चीनी की फैक्ट्री भी नहीं खोली गयी है। अगर चीनी की कोई फैक्ट्री जिला जालौन या बुन्देलखंड के इन चार जिलों में से किसी में खोल दी जाय तो मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि बुन्देलखंड की अन्न, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक हल हो जायगी, लेकिन बड़ा दुःख है कि यह सरकार इसका कोई प्रबन्ध नहीं कर पायी है।

सरकार कहा करती है कि बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बैकवर्ड क्षेत्र है। यद्यपि बुन्देलखंड का आत्म सम्मान यह मानने की इजाजत नहीं देता कि वह एक बैकवर्ड क्षेत्र कहा जाय, मगर यह दलील मान भी ली जाय तो भी सरकार को यह कोशिश करनी चाहिये कि इन चार जिलों की ओर सबसे पहले ध्यान दिया जाय। वहां पर फैक्ट्री आदि लगाये और बैकवर्ड जिलों की तरक्की के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे।

बुन्देलखंड की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। हमें उम्मीद थी कि माताटीला बांध बन रहा है और उससे बुन्देलखंड के पानी और अन्न की समस्या हल हो जायगी। आज तो वहां हालत यह है कि बुन्देलखंड का किसान साल में एक फसल पैदा करता है जबकि पश्चिमी जिलों की तरफ का किसान एक-एक साल में ३-३ फसलें पैदा करता है। वह गन्ना भी बोता है, सीरियल्स भी पैदा करता है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी फसलें पैदा करता है, जिससे उन जिलों की काफी तरक्की होती है। अंग्रेजों ने जब बुन्देलखंड में कैनाल्स की स्थापना की तो वे प्रोटेक्टिव कैनाल्स के रूप में ही थीं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार उन प्रोटेक्टिव कैनाल्स को प्रोडक्टिव कैनाल्स के रूप में बढ़ाती चली जा रही है। दूसरी जगह लोगों को कैनाल्स से हमेशा पानी मिलता है लेकिन बुन्देलखंड वालों को यदि पानी दिया जाता है तो केवल एक ही पानी दिया जाता है।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

इस सम्बन्ध में मैं एक बात आपसे निवेदन करूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने खरीफ आन्दोलन का शिलान्यास किया तो हम बुन्देलखंड वालों ने बहुत कोशिश की कि हम खरीफ की फसल बोयें। हमने धान बोने की कोशिश की, हमने पर्याप्त मात्रा में गन्ना बोया हमने ५०० एकड़ कपास बोया, लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि इस नहर विभाग के जरिये हमको एक पानी प्रारम्भ में मिला, उसके बाद कोई पानी नहीं मिला। फल यह हुआ कि जो थोड़ी बहुत कोशिश हमने इस खरीफ आंदोलन में की थी, वह समाप्त हो गयी। हमारा विश्वास यह हो गया कि हमारी सरकार कहती तो जरूर है कि हम पानी देंगे, तुम अपनी खेती की तरक्की करो, लेकिन जब पानी देने का वक्त आता है तो सरकार उसको भूल जाती है। हमने स्वयं अपने जिले में बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से किसानों को पानी मिले, लेकिन पानी मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ।

इसक साथ ही साथ श्रीमन्, एक बात और है कि बुन्देलखंड में भी कैनाल रेट करीब-करीब वही है जो कि पश्चिमी जिलों में हैं। अगर हमारे पास आबपाशी की सुविधा नहीं है, अगर हम अपने खेतों में ज्यादा फसल नहीं बो सकते तो यह बात न्यायसंगत नहीं मालूम होती कि बुन्देलखंड में भी वही कैनाल रेट्स रखे जायं जो कि पश्चिमी जिलों में हैं। हमारा तो कहना यह है और आपके द्वारा श्रीमन्, मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बुन्देलखंड में खेती के सम्बन्ध में जितनी आवश्यकतायें हैं, जितनी जरूरतें हैं, विशेष रूप से पानी और खाद की, अगर उनका पर्याप्त प्रबन्ध हो जाय तो बुन्देलखंड इस बात का दावा करता है कि उत्तर प्रदेश में जो भुखमरी की व अन्न की कमी की समस्या है, जो पूर्वी जिलों में अन्न की कमी की समस्या है, वह बहुत हद तक हल हो जायगी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो हमेशा केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी झोली डाले खड़ी रहती है, उत्तर प्रदेश को इस बात की आवश्यकता नहीं रह जायगी कि वह उससे यह पूछता रहे कि दूसरे देशों से आस्ट्रेलिया और कनाडा से गेहूं आया कि नहीं आया। मेरा यह विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अन्न की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायगी और साथ ही साथ यह होगा कि बुन्देलखंड में जो गरीबी और बेकारी की समस्या है, वह भी हल हो जायगी। हमारे पास जमीन की कमी नहीं है, मगर हमारे पास साधनों की बहुत कमी है।

श्रीमन्, अभी थोड़े दिन हुए, यह सदन और यह सरकार भी जानती है कि बांदा के जिले में कैसी मुसीबत पड़ी। पहले पहल बुन्देलखंड के इतिहास में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जहां के इंसानों ने दरख्तों की पत्तियां खायीं, जहां के आदमियों को पानी नहीं मिला और जहां भुखमरी की समस्या पैदा हुई। तो वह बुन्देलखंड जहां आज तक कभी भुखमरी की समस्या पैदा नहीं हुई उस बुन्देलखंड में इस वक्त भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी। मेरा श्रीमन्, यह कहना है कि बुन्देलखंड में खेती के सिलसिले में कोई साधन नहीं है, जिसकी बहुत जरूरत है। अगर सरकार यह बात कहे कि बुन्देलखंड की आबादी बहुत बढ़ गयी है और जमीन पर प्रेसर बहुत हो गया है, इसलिये वहां भुखमरी है या गल्ला कम पैदा हुआ, तो यह बात गलत है। श्रीमन्, बुन्देलखंड की जो आबादी बढ़ी है वह ७.४ परसेंट बढ़ी है जब कि पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी ११.८ परसेंट बढ़ी है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि आबादी बहुत बढ़ गयी है इसलिये बुन्देलखंड में यह भुखमरी है और यह गरीबी की समस्या पैदा हुई है।

श्रीमन्, इस सिलसिले में मुझे एक बात और कहनी है कि मेरे जिले में वाटर लागिंग की समस्या भी पैदा हो गयी है। जब वर्षा होती है तो हजारों एकड़ जमीन पानी से भर जाती है जिसकी वजह से उसमें कोई फसल पैदा नहीं होती। बराबर इस बात की कोशिश की गयी, सरकार ने आश्वासन दिया कि वाटर लागिंग की समस्या को ठीक किया जायगा, परन्तु यह समस्या ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है।

श्रीमन्, बुन्देलखंड की तरक्की के लिये वृहत् जोत कर बड़ा हायल है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर इस बात का दावा करते हैं कि जितना मेरठ के जिले में पैदा होता है उतना ही पूर्व के जिलों में पैदा होता है तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं बुन्देलखंड की तरफ से कि हम मेरठ की १ एकड़ जमीन के लिये बुन्देलखंड की २ एकड़ जमीन देने के लिये तैयार हैं। हम तो साल में वहां १ ही फसल पैदा कर पाते हैं। वृहत् जोत में ३,६०० की आमदनी पर टैक्सेशन नहीं होगा और दूसरे ३० एकड़ तक किसी तरह से वृहत् जोत पर टैक्सेशन नहीं होगा, लेकिन हमारे बुन्देलखंड में केवल एक ही प्रोटेक्शन प्राप्त है। अगर वृहत् जोतकर में मौजूदा कानून में जो एकरेज है बुन्देलखंड के लिये भी वही बनी रहे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां की खेती में बड़ा नुकसान होगा।

पढ़े-लिखे आदमियों से कहा जाता है कि वे गांव की तरफ जायं और खेती करें, लेकिन जब उनको वहां पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती तो वे गांव की तरफ नहीं जाते। इस प्रकार बुन्देलखंड की बेकारी बढ़ती चली जायगी। इसीलिये १९३९ के कानून में बुन्देलखंड के २ एकड़ उत्तर प्रदेश के अन्य भागों के १ एकड़ के बराबर माने गये हैं। १९५२ में जमींदारी एबालीशन में भी बुन्देलखंड के २ एकड़ उत्तर प्रदेश के अन्य भागों के १ एकड़ के बराबर माने गये। एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स में बुन्देलखंड के २ एकड़ अन्य स्थानों के १ एकड़ के बराबर माने गये। तो अब कौन-सी ऐसी बात हो गयी कि बुन्देलखंड का १ एकड़ अन्य स्थानों के १ एकड़ के ही बराबर कर दिया गया। सरकार इस पर जरा विचार करेगी अगर उसे बुन्देलखंड की खेती की तरक्की करनी है तो। जब तक उसी प्रकार की सुविधा बुन्देलखंड को प्राप्त नहीं होती जो कि पश्चिमी जिलों को प्राप्त है तब तक वहां की समस्या किसी प्रकार से हल नहीं हो सकती, जब तक कि वृहत् जोत-कर ऐक्ट मौजूदा शक्ल में मौजूद है। उसका तब्दील होना निहायत जरूरी है।

वहां बुन्देलखंड में कोई मिनरल सर्वे भी नहीं किया गया। अगर वहां मिनरल सर्वे कराया जाय तो लोहा, हीरा, तांबे आदि की खानें वहां प्राप्त हो सकती हैं और लोगों को रोजगार मिला सकता है और प्रदेश की आमदनी भी बढ़ सकती है, लेकिन मेरा तो साफ-साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का बुन्देलखंड के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार रहा है। माननीय सदस्य पश्चिमी जिलों को जा कर देखें और फिर जरा बुन्देलखंड को जा कर देखें तो उनको जमीन आसमान का अन्तर मिलेगा। अगर इसी तरह की परिस्थिति चलती रही तो बुन्देलखंड को यह कहना पड़ेगा कि वह उत्तर प्रदेश का अंग नहीं रहेगा।

मुख्य मंत्री जी पोलिटिकल ट्रूस की बात करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पोलिटिकल ट्रूस की डेफिनीशन तक नहीं दी कि पोलिटिकल ट्रूस है क्या? न यह बताया गया कि कैसे उसे कार्यान्वित किया जाय? मैं तो समझता हूं कि Political truce is another name of political stunt given by the Chief Minister of Uttar Pradesh after the second General Elections to defend the indefensible policies of the Government before the bar of public opinion. यह पोलिटिकल ट्रूस की बात अगर कही जाती है तो उसको कार्यान्वित करने के लिये बुन्देलखंड में उसकी बेरोजगारी और बेकारी की समस्या के ऊपर उसके औद्योगीकरण के ऊपर और उसको पर्याप्त पानी और खाद देने के सिलसिले में उसको कार्यान्वित करना पड़ेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करता हूं। इस विवाद को बन्द करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में--७,
विपक्ष म--४४ ।)

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो नारायणदत्त जी तिवारी द्वारा यह संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है वह एक तरह से मेरी समझ में अधूरा है । अगर उसे गौर से पढ़ा जाय तो उन्होंने पूर्वी पर्वतीय और बुन्देलखंड की आवाज जहां उठायी है और स्थायी हल करने के लिये कमेटी नियुक्त की है तो वह पूरे उत्तर प्रदेश को कवर नहीं करता है । मेरा यह कहना है कि जहां उनका यह सुझाव है उसमें इतना और जोड़ दिया जाय कि मध्यवर्ती और पश्चिमी जिले जहां कि अभाव है, कमी है, परेशानी है और कभी कभी उनको भी यह जरूरत महसूस होती है जैसे कि अब आजकल स्थिति है कि वहां अन्न का अभाव है । तो यह भी अगर जोड़ दिया जाता है तो मैं यह समझता हूं कि यह पूरे उत्तर प्रदेश को कवर करता है और उस पर यह कमेंटी कायम होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मध्यवर्त्ती और पश्चिमी जिलों का सवाल है और जिलों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कि अभी बुन्देलखंड के एक भाई कह रहे थे, मैं तो उनको दावत देता हूं, वह मेरे साथ चलकर पश्चिमी जिलों की हालत को देखें । तीन वर्ष से गर्की और बाढ़ की वजह से उनकी जो हालत वहां गई है वह अकथनीय है । उनकी नदियों का बहाव ऐसा है कि बुलन्दशहर और अलीगढ़ वगैरह को छोड़कर जहां कि उनसे नुकसान होता है और जगह अतिवर्षा से जो गर्की होती है वह बाढ़ से किसी कदर कम नहीं है । वहां का एरिया नीचा है, क्योंकि वह एरिया ऐसा है जहां २२ से २४ इंच से ज्यादा साल भर में वर्षा नहीं होती, लेकिन इधर तीन साल से देखने में आ रहा है कि एक-एक हफ्ते में २५ से ३० इंच तक वर्षा हो गई है । तो यह अन्दाजा हो सकता है कि वह इलाका इतनी अधिक वर्षा का आदी नहीं है । इसलिये वहां लोगों में पक्के मकान भी ज्यादा नहीं बनाये । तो अब जब तीन साल से गर्की है तो जो कच्चे मकान हैं वे करीब-करीब गिर चुके हैं ? इसलिये जहां की मुतवातिर यह हालत रही हो वहां के लिये आप यह नहीं कह सकते कि वह क्षेत्र अन्न में सरप्लस है । तो मैं तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि यह संकल्प अधूरा है ।

दूसरे पश्चिमी जिलों में जो मवेशी पालने की सुविधाएं थीं---घी, दूध का व्यापार होता था तथा गाय, बछड़े, भैंस बाहर भेजे जाते थे, कलकत्ते तक जाते थे, वह स्थिति भी अब जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् तथा चरागाह खत्म होने के बाद नहीं रही है । इसलिये जो मवेशी दूध देने वाले पहले ज्यादा पालते थे उनमें कमी आ गई है ।

तीसरे और भी ऐसी चीजें हैं । जैसे मथुरा का जिक्र करूं आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी जो पास का एरिया है जहां इस समय शुगर मिल या और दूसरे प्रकार के उद्योग-धंधे नहीं हैं जिसकी वजह से गृह-उद्योग पनप सकें, जिसके परिणाम स्वरूप जो तीन साल से गर्की और अधिक वर्षा हो रही है उससे जो स्थिति पैदा हो गई है उसका हल भी गृह-उद्योग न होने के कारण नहीं हो पा रहा है । अगर गृह-उद्योग होते तो कुछ हद तक लोगों की परेशानी कम हो सकती थी । तो मेरे कहने का मतलब है कि पूर्वी, पर्वतीय और बुंदेलखंड से किसी हालत में भी पश्चिमी जिलों की हालत कम खराब नहीं है । इसलिये पश्चिमी जिलों को इनसे अलग कर देना और यह समझना कि यह एरिया मालदार है, वहां अन्न का भंडार है, यह मैं किसी प्रकार मानने के लिये तैयार नहीं हूं । इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जहां और क्षेत्रों की तरफ उसका ध्यान है वहां इस एरिया की तरफ भी ध्यान दे, जहां निरंतर बाढ़ और गर्की रही है । इसलिये नारायणदत्त तिवारी जी का जो संकल्प है यह अधूरा है और जब तक यह पूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका माननीय चन्द्रजीत यादव जी के संशोधन के साथ समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश में कई अंचल ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं, यह बात सर्वमान्य है और उनके अभावग्रस्त होने की बात भी नई नहीं है। इस पर कोई विवाद नहीं है। कुछ दिनों से यह क्षेत्र अभावग्रस्त चले आ रहे हैं। लेकिन अभाव कितना है, वह केवल अभाव की स्थिति है, या अकाल की स्थिति है, वहां भुखमरी से लोग मरते हैं या नहीं मरते हैं, सरकार की ओर से समस्या का समाधान करने के लिये जो प्रयत्न किया जा रहा है वह पर्याप्त है या नहीं है, इस सम्बन्ध में तीव्र मतभेद है। इसलिये और इसलिये भी कि समस्या ऐसी है कि जिसको सब दलों के सम्मिलित प्रयत्न से ही दूर किया जा सकता है। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करे और इस बात को भी सरकार स्वीकार करे कि वह समिति जो हो वह सर्वदलीय हो और उस में विशेषज्ञ भी हों ताकि हमें इस समस्या का सामना करने के लिये सब दलों का सहयोग मिल सके। उसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता इसलिये है कि बाढ़ का सवाल, सूखे का सवाल है, यह सब सवाल ऐसे हैं जो बिना विशेषज्ञों के सहयोग के हल नहीं किये जा सकते। इसके अलावा यह समिति उच्चस्तरीय भी होनी चाहिये। जब तक आप इन बातों को नहीं मानेंगे तबतक ऐसी विकट समस्या का हल नहीं किया जा सकता जिसका सामना करने की कोशिश हम इतने दिनों से कर रहे हैं। यह भी यहां अच्छा नहीं मालूम पड़ता कि आये दिन सत्ताधारी दल और विरोधी दलो में तू-तू मैं-मैं और बहस होती रहे और उसमें कटुता भी आती रहे, भुखमरी है या नहीं और उचित उपाय हो रहे हैं या नहीं यह विवाद रोज होता है। यदि ऐसी सर्वदलीय समिति स्थापित हो जायगी और उसकी ओर से मिलजुल कर एक प्रयत्न होगा तो इस तरह के विवाद जो कटुता पैदा करने वाला है वह न होगा और उसका स्वयं ही अन्त हो जायगा।

इस समस्या का हल करने के लिये ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहीं सदन में सब लोगों से राजनीतिक सुलह की अपील की थी, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि राजनैतिक सुलह की अपील तभी सफल हो सकती है जब राजनैतिक सुलह की क्लाइमेंट या वातावरण पैदा किया जाय और उस वातावरण को तैयार करने के लिये पहला कदम सरकार की तरफ से उठना चाहिये और वह कदम यही हो सकता है कि वह चीजें जो कि जनहित में है और जिनका इस समस्या के हल करने से सम्बन्ध है, जिसका हल सरकार भी निकालना चाहती है उसको वह पूरा करे और सरकार इस बात का परिचय दे कि सच्ची सद्भावना के साथ राजनीतिक सुलह करके इस समस्या को हल करने के लिये वह उनका सहयोग चाहती है।

अकसर जब इस विषय पर वादविवाद होता है तो दोनों ओर से यह बात कही जाती है कि ऐसे विषयों को राजनैतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। मैं उन लोगों में से हूं कि जो सदैव इस बात को मानते हैं कि जनहित के इस तरह के बड़े कामों को हमें राजनैतिक अखाड़ेबाजी का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। मैं ऐसी सद्भावना का सच्चे हृदय से स्वागत करता हूं, लेकिन एक दूसरे पर यह आरोप लगाने से कि राजनीति का अखाड़ा बनाते हो, काम नहीं बनता, इधर से भी सरकार पर आक्षेप किये जाते हैं और उधर से भी कहा जाता है कि विरोधी राजनैतिक दल हर प्रश्न को राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं, कहा गया कि विद्यार्थी आन्दोलन को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया, अभावग्रस्त क्षेत्र के प्रश्न को भी राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, इस तरह के आरोप एक दूसरे पर शोभनीय नहीं हैं, शोभाजनक नहीं हैं। उधर से कहा जा सकता है कि उधर के लोग जनता की मुसीबतों से राजनीतिक पूंजी कमाते हैं, लेकिन जब सस्ते गल्ले की दुकानें दी जाती हैं तो सरकार की तरफ से लाभ उठाया जाता है और वह एक तरह से पोलिटिकल कैपिटल बनाया जाता है, उससे पूंजी कमाई जाती है, लेकिन केपिटल का लाभ उठाते हैं, कहने से लाभ नहीं है।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कोयले का अभाव होता है, जो परमिट पाते होंगे वह पोलिटिकल केपिटल कमाते हैं। इसलिये अच्छा यही है कि एक दूसरे को न कहकर सब मिलकर काम करें। एक बार पहले भी इस तरह की सर्वदलीय समिति बनी थी, परन्तु उससे प्रदेश ने जनता ने जो आशा की थी वह पूरी नहीं हुई।

तो उस समय जो कुछ भी हुआ हो, कुछ भी कारण रहे हों जिससे मतभेद रहा हो, उस समय आवश्यकता न समझी गई हो, लेकिन एक बार फिर से प्रयत्न करना चाहिये सच्चाई के साथ इस प्रश्न को लेकर। वह समिति कुछ सीमित कामों के लिये थी, इसलिये भी कहा गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिये इस समिति को यदि स्वीकार कर लिया जायगा तो समस्याएं अपने आप हल हो जायंगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं इसलिये कि मैं यह जानता हूं कि सदन के और सदस्य भी बोलना चाहते हैं, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से बहुधा यह कहा जाता है कि प्राकृतिक प्रकोप आ जाते हैं तो हम क्या करें? बाढ़ और वर्षा को कैसे रोकें? क्या हमारे वश की बात है? यह हमारे वश से परे की बात है। मेरा निवेदन यह है कि आज के इस युग में जब कि नये-नये मानव निर्मित चंद्र आसमान में छोड़े जा रहे हैं और बनाये जा रहे हैं, जब कि मनुष्य चन्द्रलोक की यात्रा की तैयारी कर रहा है, जब कि मंगल ग्रह में मनुष्य रहने के लिये प्लाट खरीद रहा है। उसमें यह कहना कि प्राकृतिक प्रकोप के सामने सरकार कुछ नहीं कर सकती है, मैं समझता हूं कि सरकार स्वयं मानेगी कि यह सरकार के लिये शोभनीय नहीं है।

मानव सभ्यता के विकास द्वारा जो बाधायें या कठिनाइयां आती हैं उनका सामना करने में और उन पर विजय प्राप्त करने में ही है और जब हम यह कहते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप का सामना नहीं कर सकते तब हम मान लेते हैं कि प्रकृति ने मानव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और मानव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली तो सरकार के लिये यह बात कभी भी शोभनीय नहीं है।

इसलिये मैं आशा करता हूं कि अगर सरकारी शासन की शक्ति से परे की यह बात है तब तो सर्वदलीय समिति की और भी ज्यादा आवश्यकता है, जिससे पूछा जाय कि बाढ़ की समस्याएं, सूखे की समस्याएं और बारिश की समस्याएं कैसे हल की जा सकती हैं। इनके दूर करने के लिये ऊंचे स्तर वाली एक सर्वदलीय समिति की आवश्यकता है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। मैं तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने पूर्वी अंचल, पहाड़ और बुन्देलखंड का नाम लिया और उन्होंने भी वही रवैया अख्तियार किया जो हमारी शिकायत सरकार से है। विरोधी दल से भी हमें आशा नहीं बंधी कि वह भी इस प्रदेश की समस्याओं को समान दृष्टि से देख सकेगा।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत के बारे में मैंने पहले एक दफा एक बात कही थी उसी को दुहराना चाहता हूं। इस सदन का और सरकार का एक खयाल पश्चिमी प्रदेश की ओर से बन चुका है और वह यह है। मने मथुरा की बात कही थी कि वहां किसी की सुसराल थी। वहां वह गया, मजाक का दौर था। सालियों ने कहा जीजाजी जमुना जी स्नान के लिये चलेंगे जमुना में जब स्नान हुआ तो लड़कियाँ सब जीजाजी के ऊपर सवार हो गयीं और काफी देर तक सवार रहीं और उसके प्राण पखेरू उड़ गये। थोड़ी देर बाद जब वह पानी के ऊपर उभरा तो उसका मुंह मरने के बाहर खुला हुआ था और उसके दांत चमक रहे थे। लड़कियों ने कहा कि जीजा जी अभी हंस रहे हैं यही

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हालत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। हमारे पश्चिमी प्रदेश के लोग विशेषकर बाढ़ग्रस्त और दैवी प्रकोप और टैक्सेज जो उनके ऊपर हैं उन सब से वह मर चुके हैं, लेकिन सरकार भी और विरोधी दल के लोग भी, जैसा कि मैंने कई भाषणों से सुना, यही कहते हैं कि जीजाजी अभी हंस रहे हैं। हम बड़े मालदार हैं उनके दिमाग में यह विषय मैं हंसने का नहीं समझता, लेकिन उदाहरण ठीक यही घटता है। इसलिये मुझे देना पड़ा। मैं बहुत मजाक नहीं पसन्द करता, लेकिन उदाहरण इससे ज्यादा मुझे कोई फबा नहीं।

आबपाशी की दरों के बारे में हम ने कई बार कहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम से एक चौथाई आबपाशी की दरें हैं। बुन्देलखंड में उसके दुगनी हैं और बुंदेलखंड से भी दुगनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। तो तीन आने रुपया आबपाशी की दर कम की गयी है, जो उससे पहले के आंकड़े मैंने मालूम किये उसमें मैं केवल गन्ने की दर बताता हूं। ८ रुपये फी एकड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, १६ रुपया फी एकड़ बुन्लदशहर में और ३२ रुपये फी एकड़ गन्ने की दर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ठीक इसी हिसाब से जो और जिन्स हैं उनके ऊपर भी हम पर आबपाशी की दरे हैं। मैंने कई बार इस सम्बन्ध में असेम्बली में सवाल किये। इसके अतिरिक्त टैक्स भी हम पर ज्यादा हैं। चार पांच वर्ष से तो इस कदर दैवी प्रकोप वहां पर है कि जो रबी की फसल अभी हमारे यहां हुई है, कई जिलों की जानकारी मैं रखता हूं। पिछले वर्ष उन जिलों में रबी की फसल ओले से पूरी मर गयी। गवर्नमेंट ने तकावी और लगान में मदद दी। मैंने वहां दौरा किया तो किसानों का हम से यह कहना था कि साहब पिछले साल की तरह अगर यहां ओला पड़ जाता तो सरकार कुछ तकाबी और लगान में छूट तो दे देती। इस वर्ष ओले भी नहीं पड़े। हम कुछ मांग नहीं सकते सरकार से। मेरे कहने का मतलब यह है कि रबी की फसल हमारी बुलन्दशहर, मेरठ, अलीगढ़ ऐसी मरी पैदा हुई है कि किसान एक एक दाने के लिये परेशान है। मैं तो गावों की जानकारी के बाद कहता हूं कि इस समय ८० फीसदी गांव का आदमी, खेतिहर मजदूर और किसान खरीद कर खाता है।

बुलन्दशहर का मुझे मालूम है। शहर बुलन्दशहर में सस्ते गल्ले का कोई इंतजाम नहीं। कोई दस्तकारी या छोटे बड़े उद्योगों का सरकार के सामने विचार नहीं है। विचार यों नहीं है, विचार तो अब बने कि पहले हमको समझा जाय कि हमारे यहां की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। इस सदन का और सरकार दोनों का दिमाग बना ही नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कोई आवश्यकता है बल्कि यह उल्टा कहा जाता है कि वह तो इतने खुशहाल हैं, इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं और कुछ सरकार का भी खयाल है कि पूर्व के लोग पश्चिम में, पश्चिम के लोग पूर्व में, दक्षिण के लोग उत्तर में और उत्तर के लोग दक्षिण में भेजे और मैं यह बात कहता हूं कि आप जाकर देखें उन इलाकों को जहां बाढ़ लगातार आती है और जहां बाढ़ के कारण फसलों को क्षति हुई है और जहां के किसान की हालत वह नहीं है जैसी सरकार यहां सोचती है।

मैं माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव के हक में हूं कि वह प्रस्ताव पास हो, लेकिन वह इतना उसमें जोड़ लें कि इस समस्त प्रदेश में जहां अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उन सब की समस्याओं का समाधान करें। सरकार सरकारी तौर पर या गैर-सरकारी तौर पर एक कमेटी बनाये और जो उसका हल हो उसके लिये मैं तैयार हूं।

अभी रिहन्द डैम की बात हुई। कुछ दिन पहले यह सुना गया कि वह बन्द किया जा रहा है। इस सरकार में भी और विरोधी दल में भी सबका यह जोर था कि केन्द्रीय सरकार रिहन्द डैम बनवा दे। इससे पूर्वी प्रदेश की समस्या हल हो जायगी। हमारे यहां यमुना की स्कीम थी। मुझे यह बताया गया कि नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया था दस बारह साल पहले। नेहरू जी के उद्घाटन के बाद भी आज वह बन्द पड़ी है। रामगंगा स्कीम भी आज बन्द पड़ी है। जब हाफिज जी थे तो एक सवाल किया था कि आप हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये बिजली का इंतजाम नहीं कर पाते तो भाखरा नंगल डैम से अब बिजली

[श्री रामचन्द्र विकल]

लेने की कोशिश करेंगे ? उन्होंने जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम खुद इतनी बिजली पैदा करेंगे कि पश्चिमी प्रदेश में हमें भाखरा नांगल से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

उसे भाखरा नांगल से बिजली की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन आज हम यह देखते हैं कि हमारी बिलकुल सीमा पर जो पंजाब और दिल्ली है उसके गांव गांव में बिजली रोशनी के लिये साधन मौजूद हैं। आपके यहां से किसानों को तकावी तो मुफ्त दी गई, लेकिन बिजली फ्री देना तो दूर उनके गुजारे के लिये भी बिजली का प्रबन्ध नहीं हो सकता जिससे वे लोग अपने यहां कुछ उद्योग धन्धे ही चलाकर अपना काम चला सकें। हमारे यहां से मांट ब्रान्च खारिज की गई इसलिये कि आगरा, मथुरा को भेज दी जाय। वहां जो ट्यूबवैल लगाये गये उन पर बिजली नहीं है तो आखिर किसान क्या करें। जो उनका फसल पैदा करने का साधन था वह खत्म हो गया। ट्यूबवैल को बिजली नहीं दी गई तो फिर पैदावार कैसे हो। खरीफ आन्दोलन चलाया गया हमारे यहां इस खयाल से कि पैदावार ज्यादा हो, लेकिन हमारे लिये यह उलटा पड़ा। कोई भी चारा आज खरीफ का किसानों के यहां नहीं है। मक्का, ज्वार, बाजरा, गुवार वगैरह की फसल आज खरीफ में नहीं है इसलिये कि ट्यूबवेल बिजली की वजह से फेल हैं। सरकार ने नहरों को बन्द कर दिया इसलिये कि आगरा और मथुरा को पानी देंगे। मुझे यह भी मालूम है कि मथुरा और आगरा को पानी नहीं जा सका उसका कारण यह बताया गया कि बरफ बहुत कम गली है। गर्मी में पानी न मिले इसलिये कि बरफ बहुत कम गली यह कुछ समझ में नहीं आया। बिजली आप भाखरा नांगल से लेना चाहते नहीं और दूसरी आपकी कोई योजना नहीं है, बल्कि और जो थीं वह बन्द हो चुकी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो उद्योग-धन्धे चल रहे थे या चलना शुरू हुये थे वे बिजली की कमी की वजह से दिल्ली और पंजाब जा रहे हैं। किसानों की हालत मैंने अभी बयान की और उद्योग-धन्धे यहां है नहीं, जो थोड़ा बहुत शुरू करना चाहते थे वे बिजली की कमी की वजह से शुरू करना नहीं चाहते तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत कैसे ठीक की जा सकती है ? वहां पर कोई सरकार की स्कीम भी नहीं है। दुःख की बात यह है कि सरकार में सुनी उन लोगों की जाती है जो ज्यादा रोना-पीटना जानते हैं, जो रोज आये दिन शिकायतें करें। मेरे भी कभी-कभी तबियत में आता है कि गेंदासिंह जी की तरह से मैं भी अनशन करने बैठूं। यह मेरी दुर्बलता कभी दूर होगी तो ईश्वर न करे वह वक्त लाये—हम अनशन करेंगे, क्योंकि अनशन के बिना हमारा फैसला नहीं होगा। सरकार का ध्यान हमारी तरफ जाता नहीं है।

मेरी नारायणदत्त तिवारी जी से यह प्रार्थना है कि हम बराबर सरकार से तो कहते रहते हैं, भगवान् न करे आपकी सरकार बने तो कहीं हमें आपकी सरकार में भी रोना पीटना न पड़े—आप अपने संकल्प में पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन अभावग्रस्त जिलों को भी जोड़ लें जहां पर अभावग्रस्त होने के कारण आर्थिक कठिनाई है। इसलिये सरकार कमेटी बैठाकर जांच करेगी तभी सारे उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास होगा। बस यही मेरा निवेदन है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव नैनीताल जिले के माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। केवल उनसे और मान्यवर से यह प्रार्थना करता हूं कि जहां शब्द "संस्तुति" इसमें आया है वहां पर "निश्चय" होना चाहिये। यह सदन इस सरकार के ऊपर है। इस प्रदेश में जितना भी काम है उसको निश्चय करने का सब से बड़ा अधिकार इस सदन को है। सरकार से अनुरोध करने की बात नहीं है। यदि मान्यवर की स्वीकृति हो और माननीय प्रस्तावक महोदय को हो...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मान्यवर, यह प्रश्न बड़े महत्त्व का है। इस आदरणीय सदन में डेढ़ वर्ष के जीवन में जब से मैं फिर सदस्य चुनकर आया कई बार इस प्रश्न का चर्चा हुआ। इस सदन के बाहर भी यह मांग की गई। मुझे दु ख है कि इस सिलसिले में कुछ पूर्व और पश्चिम का प्रश्न भी उठाया गया। मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं होगी यदि बुलन्दशहर जिले के माननीय सदस्य जिनका सम्बन्ध बहुमत दल है, वह इस प्रकार का संशोधन सरकार से स्वीकार करा दें कि ऐसा आयोग इन क्षेत्रों के साथ-साथ और भी जितने ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें कुछ क्षेत्रों का उन्होंने जिक्र किया, उनकी भी जांच करे।

प्रश्न मान्यवर, यह है कि उत्तर प्रदेश मुख्यतः खेतिहर प्रदेश है और यह दुःख की बात है कि लगभग एक तिहाई आबादी जो पूर्वी अंचल में तथा पहाड़ों में रहती है, जो उत्तर पश्चिम में है उनमें अनाज की कमी है। बुन्देलखंड में वैसे अनाज का अभाव तो नहीं है, लेकिन यदि साधारण वर्षा न हो तो फिर सोलहों दण्ड एकादशी की दशा पैदा हो जाती है और बड़ी दयनीय दशा बुन्देलखंड की हो जाती है। इसीलिये यह तीनों क्षेत्र खास तौर पर इसमें लिखे गये थे।

मैंने कई बार कहा भी है कि हमारा प्रदेश ऐसा है कि इसको बनाने के लिये जैसी समुचित योजना होनी चाहिये वैसी नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि इतने साधन नहीं हैं, वह करें क्या ? यह प्रस्ताव इसलिये लाया गया है कि मौजूदा साधनों के अन्दर भी यह सम्भव है इस सरकार के लिये कि वह पिछड़ी हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दे सके।

इस सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि कितनी भी प्लानिंग है वह एक निगाह से की गई है। यह नहीं है कि लखनऊ में ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है और झांसी में कम या मेरठ में कम। अगर स्कूल है, अगर सड़कें हैं, अगर अस्पताल हैं, अगर गृहउद्योग हैं, सिंचाई के साधन हैं, मजबूरी है कि जहां पर नहरें नहीं निकल सकतीं, या जहां कुएं नहीं खुद सकते, जैसे बुन्देलखंड कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवेल बनाना आसान बात नहीं है वरना जो प्लानिंग है और मेरी तो यही शिकायत है कि प्लानिंग होनी चाहिये उन क्षेत्रों के लिये जहां पर इसकी जरूरत हो। यहां तो उन्होंने बटवारा सा कर दिया। अगर ४ हजार स्कूल खोले जायं तो सब जगह बराबर बराबर। अब लखनऊ जिले में मान्यवर, मैं यह निवेदन करूं कि महज २५ अस्पताल हैं आयुर्वेदिक, यूनानी और अंग्रेजी और जब यह सरकार कांग्रेस की नहीं बनी थी यानी सन् १९४६ के पहले तो भी उनकी संख्या काफी थी, लेकिन जिला बरेली में जो इसके दुगुने क्षेत्र का जिला है वहां पर कम है। प्लानिंग से यह शिकायत तो हमारी हमेशा से रही है। प्लानिंग के नाम में सदाव्रत की तरह से बांट रहे हैं कि सब को कुछ न कुछ मिल जाय। यह शिकायत हमारी है। अभी उस दिन मैंने अर्ज किया था कि नवाबगंज तहसील में एक भी जनाना अस्पताल नहीं है और लखनऊ में ४ हैं जब कि यह सब से छोटा जिला है।

प्लानिंग होनी चाहिये। जहां जिस चीज का अभाव हो उसकी पूर्ति कैसे की जाय और इस दृष्टि से देखा जाय तो हमारे जरिये हमेशा मुख्यतः दो हैं और जिनमें से एक है खेती। अगर आगरा और मेरठ डिवीजनों में देखा जाय तो एक होल्डिंग का रकबा है साढ़े ८ से १० एकड़ और बनारस और गोरखपुर डिवीजन में साढ़े ३ से साढ़े ४ एकड़ है दूने से ज्यादा फर्क है। कोई तो इसकी बात है। आबादी जिस औसत से लखनऊ में बढ़ रही है उससे ड्योढ़ी रफ्तार से बड़ी गोरखपुर डिवीजन में। डबल क्राप एरिया जिसमें दो फसलें होती थीं सारे प्रदेश में कम हो रही है, किन्तु पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा कमी हो रही है।

प्रश्न यह है कि क्या इस दशा को सुधारने के लिये किसी विशेष प्रयत्न की जरूरत है। यदि यह सदन विशेष प्रयत्न की जरूरत समझता है तो उसे होनी चाहिये।

सेन्सस रिपोर्ट, मान्यवर, विरोधी दलों ने नहीं बनाई। केन्द्रीय सरकार के और प्रदेशीय सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा जो नियुक्त किये जाते हैं वे बनाते हैं। उस में लिखा

[श्री त्रिलोकीसिंह]

हुआ है । यही नहीं कि बनारस गोरखपुर डिवीजन, बल्कि रायबरेली और लखनऊ के जिले भी अन्न की दृष्टि से खतरे के स्थान हैं । अगर यहां साधारण उपज भी हो तो भी यहां खाने भर को अन्न नहीं पैदा होता । जहां जरा सी गड़बड़ी में हालत बिगड़ जाय तो उसके लिये विशेष उपाय होने की जरूरत है । इस दृष्टि से मान्यवर, जहांतक मेरा खयाल है और मैंने प्रस्तावक महोदय से बात भी की है, इन तीन अंचलों का विशेष रूप से जिक्र किया गया था, लेकिन बहुमत दल के माननीय सदस्यों को, ऐसा मालूम होता है इस से कोई विरोध नहीं है कि जांच की जाय या यह आयोग नियुक्त किया जाय बल्कि उन्हें विरोध इस बात से है कि इसमें पश्चिम का जिक्र क्यों नहीं किया गया । मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है और मैं मान्यवर के द्वारा प्रस्तावक महोदय से भी निवदन करूंगा कि उन्हें भी कोई आपत्ति इसमें नहीं होनी चाहिये । यह न दायें बैठने की बात है और न बायें । करोड़ों आदमियों से इसका वास्ता है और इसमें उनकी भलाई की बात है ।

मैंने मान्यवर, यह निवेदन किया कि हमारी आमदनी का जरिया मुख्यतः खेती है । जब जमीन घट रही है तो क्या किया जाय ? जो ज्यादा भूखा है उसको पहले सहायता मिलनी चाहिये । बाढ़ अगर गोरखपुर में आ गई तो लखनऊ वाले भी चिल्लाने लगें कि सारा रुपया गोरखपुर में चला जा रहा है । हमको भी दिया जाय यह क्या है ? हमारे यहां बाढ़ आयेगी तो हमको भी मिलेगा । सारा प्रदेश एक है, दो नहीं ।

मुझे दुख है कि रिहन्द बांध का बार-बार जिक्र किया गया । यह सही है कि रिहन्द बांध की जिस समय योजना बनी, यह कहा गया और एलानिया कहा गया कि इसकी बिजली १४, १५ पूर्वी जिलों को पहुंचाई जायगी ताकि वहां के लोगों को गृहउद्योगों के लिये तथा सिंचाई आदि के लिये साधन प्राप्त हो सकें और सुविधा हो । किन्तु हुआ क्या ? यह बात ९, १० साल पुरानी थी । कैफियत यह है कि एक एल्युमीनियम फैक्टरी लग गयी या लगने वाली है । ४० या ५० हजार किलोवाट उसके हिस्से में । एक सोडा ऐश की फैक्टरी चल रही है उसके लिये २० या २५ हजार किलोवाट । वाराणसी के रेल के कारखानों को बिजली देने का वायदा कर दिया गया है । तो जो २ लाख ४० हजार किलोवाट बिजली पैदा करने की योजना रिहन्द बांध की थी उसमें मान्यवर आधे के करीब इसी सब में चली गई और एल्युमीनियम फैक्ट्री वाले यह कहते हैं कि उनका काम ४०, ५० हजार से नहीं १ लाख किलोवाट बिजली से चलेगा । अब सरकार भी धर्म संकट में है । अगर एल्युमीनियम फैक्ट्री लगाते हैं तो बिजली देनी पड़ेगी, नहीं बिजली देते हैं तो फैक्ट्री नहीं लग सकती । यह एक मुसीबत की बात है । यह भ्रम माननीय सदस्य निकाल डालें कि रिहन्द बांध से बहुत बिजली खेती व गृह उद्योग के लिये पूर्वी क्षेत्र को प्राप्त होगी । मैं ८, ९ साल पुरानी बात कह रहा हूं । जो नये नक्शे बन रहे हैं उनमें गोंडा, बहराइच, उन्नाव और लखनऊ को काट दिया गया है और रायबरेली और प्रतापगढ़ कटने वाले हैं । उन नकशों में ये मिले ही नहीं ।

मैं यह भी निवेदन करूं कि जिस यमुना हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स का बुनियादी पत्थर इस प्रदेश के प्रधान मन्त्री ने सन् १९४९ में रखा था । मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था कि उस समय वहां उपस्थित रहूं, वह मुल्तवी कर दिया गया इसलिये कि वह स्थान उसके बनाने के लिये उपयुक्त नहीं था । नयार डैम, जिसमें २८ लाख रुपया खर्च किया गया, उसको खत्म कर दिया गया । आज भी जिला अल्मोड़ा में वह बंगले और कोठियां बनी हुई हैं कि जिनमें इन्सान की कौन क भालू भी नहीं रहते । वह वहां नहीं बन सकता था इसलिये कि भूमि उतनी मजबूत नहीं थी । इसमें पूर्व और पश्चिम का कोई प्रश्न नहीं है । मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा बुलन्दशहर क माननीय सदस्य के सोचने के लिये कि यमुना की स्कीम समाप्त कर दी गयी थी वह इस साल फिर चालू कर दी गयी । वह बजट को पढ़ें, बजट के भाषण को, विद्युत् विभाग की जो किताबें छपी हैं, जो यहां बांटी गयी हैं, उनको देखें कि वह फिर से चालू कर दी गयी हैं । ऐसी बात नहीं है कि ए को मिल जाय और बी को न मिले । यह प्रश्न निर्विवाद होना चाहिये । इस

में दो रायों की गुंजाइश नहीं है । इसीलिये मेरे मित्र स्वतंत्र प्रगतिशील दल के नेता ने सर्वदलीय समिति की बात कही । जान बूझकर इसमें कोई दल की भी बात नहीं है । प्रस्तावक महोदय ने रखा है कि विशेषज्ञों की समिति बनाई जावे । हम लोग उसके सामने जाकर हाजिर हों और जो कुछ कहना हो कहें और अगर कोई हल हो तो उसे भी पेश करें ।

मैं यह आश्वासन दिलाता हूं उन माननीय सदस्यों को जिनको आज इस बात का भय है कि यदि कभी यह नौबत आयी कि इधर वाले उधर पहुंच जावें तो किसी प्रकार से उनके हितों की उपेक्षा की जावेगी , ऐसा नहीं होने पावेगा । मैं लखनऊ जिले का रहने वाला हूं और अलानिया कह रहा हूं कि बजाय लखनऊ के अगर वहां अस्पताल बनवाये जावें जहां उनकी ज्यादा जरूरत है तो लोगों का ज्यादा हित होगा । यह नहीं है कि हम पीछे रह जावेंगे, हम भी बना लेंगे । इसमें पूर्व और पश्चिम का सवाल नहीं है, और न उत्तर दक्षिण का है । किसी भी अंचल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव इतना मासूम है कि अगर इसकी मुखालिफत की जाय तो गलत समझे जाने का डर है, और अगर इसकी मुआफिकत की जाय तो अव्यावहारिक कहलाये जाने का आरोप भी लगाया जा सकता है । मैं यह समझता हूं कि इस प्रस्ताव के सुझाव नामुमकिन और अव्यावहारिक हैं । प्रस्ताव है कि हाई पावर कमीशन मुकर्रर किया जाय जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे । बहरहाल, थोड़ी बहुत अगर मुझे इन चीजों की जानकारी है तो उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि अगर अल्लाताला की मेहरबानी से खास किस्म के एक्सपर्टस् आये भी तो तीन महीने में इस प्रश्न पर कि अभाव रहता है, खुश्की रहती है, आबादी बढ़ी हुई है, जमीन कम है, बेकारी है, वह रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते । अगर वह चाइना के समर्थक हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं उसकी कद्र करता हूं और चाहता हूं कि यह सद्बुद्धि उनको रहे । बहरहाल, मेरा कहना इतना ही है कि यह प्रस्ताव संजीदगी के साथ सोचा नहीं गया क्योंकि यह ऐसी मौलिक बातें हैं--क्यों ड्राट आया, क्यों फ्लड आया ।

आज प्रकृति भी अप्राकृतिक तरीके से चल रही है और कोई कह नहीं सकता है कि अगर यही रफ्तार रही तो उसमें कहीं मौसम न बदल जावे, फसलों के बोने का वक्तन बदलना, कपड़े और डाइट न बदलना पड़े, क्योंकि यह समस्या महज हमारे यहां के कारण ही नहीं पैदा हो रही है । उन पर बहुत सी चीजों का असर पड़ रहा है । समस्याओं को हल करने के लिये कोशिश होनी चाहिये, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । वह ऐसा ही है जिससे इन्कार करना अपने काम को करने या या सोचने के ढंग के प्रतिकूल होगा, लेकिन जो इलाज बतलाया गया है उससे मुझे इखतिलाफ है । मुझे एक दफा अनुभव हुआ कि वैसे ही देश की समस्याओं के बारे में बातचीत हो रही थी एक जलसे में । एक साहबजादे गर्दन हिला रहे थे कि पता चले कि वह बहुत समझ रहे थे । बाद में बहुत आवेश में आकर जो सल्यूशन उन्होंने निकाला वह ऐसी बात उन्होंने कही कि जिसका खास समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं था । मुझे यहां भी ऐसा लगता है कि माननीय नारायण दत्त जी पर कमीशन और कमेटियों का बहुत असर है । मेरा निजी खयाल है कि डेमोक्रेसी में कमीशन और कमेटीज का तरीका ज्यादातर टालने का होता है, और उसका स्वागत करना कोई अच्छी बात नहीं है । इधर के लोग अगर इस पैटर्न में काम कर रहे हैं तो मुमकिन है कि उनको वह मौजूं हो लेकिन अगर आप अच्छे पैटर्न में काम करना चाहते हैं तो उसे न अपनाइयेगा । इसमें चार मुख्य बातें हैं, प्रामिज,रिकाल, प्रिपेयर और पोस्टपोन । पहले वादा करो, फिर देखो कि क्या वायदा किया है, फिर स्कीम तैयार करो कि कैसे वायदे से निकला जावे और तब एक कमेटी मुकर्रर करो और फिर कहो कि ये दुश्वारियां हैं, वे दुश्वारियां हैं । जैसा कि त्रिलोकी सिंह जी की बातों से पता चला, भविष्य में आने वाले लोग तो वही हैं और मैं शुक्रगुजार हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सहाय]

उन्होंने आज हमको यह आश्वासन दिया कि उनके राज्य में हमको कुछ सीक्यूरिटी रहेगी, लेकिन जब वे आने वाले ही हैं तो इधर की खामियों से फायदा उठायें । तो यह कमीशन मुकर्रर करने का तरीका मसलों को सुलझाने का तरीका नहीं होता है, वह उल्टे उलझाने का तरीका हो जाता है । एक्सपर्ट्स कोई आसमान से नहीं आते हैं । अगर हम सब लोग मिलकर कोई हल नहीं निकाल सकते, जोकि जनता से आते हैं और समस्याओं को समझते हैं, तो क्या यह एक्सपर्ट्स कोई स्पेशल कौम होती है ? बाज दफा ये एक्सपर्टस् काफी नुकसानात पहुंचा देते हैं और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि उनको कोई विशेष ज्ञान ऐसी बातों का होता है कि एक हाई पावर कमीशन सबसे अलग बैठकर हमारी प्राबलम्स को हल कर देगा ।

मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिससे कोई विरोध हो । ऐसा भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि इस बहस में पूर्व और पश्चिम अ.वे जिससे जायका बिगड़ जाता है । मैं चाहता हूं कि जो सुझाव दिया गया है उससे इस मर्ज के इलाज का कोई ताल्लुक नहीं है और उसे स्वीकार करने से सदन की इज्जत नहीं बढ़ेगी । बल्कि यह खयाल होगा कि सदन काफी गैरजिम्मेदार है जो कि लाइट हार्टेड मूड में बड़ी बड़ी बातें मंजूर कर लेता है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इसके मायने यह न लगाये जावें कि मैं बुनियादी बातों का विरोध करता हूं । मुझे भी इस मसले पर किसी से कम चिन्ता नहीं है । मेरा खयाल है कि इस प्रदेश में जो यह प्रश्न आज पैदा हो रहा है, खासकर ड्राट, बाढ़ आना, आबादी बढ़ना, जमीन कम होना, ये कई मसले ऐसे हैं जिनसे सरकार और सब लोगों को मिलकर बहुत संजीदगी के साथ लड़ना चाहिये । पर असल में बदकिस्मती है हमारी कि पार्टीज के अन्दर लड़ाई होती है जब कि लड़ाई होनी चाहिये गरीबी से, लड़ाई होनी चाहिये बेकारी से, लड़ाई होनी चाहिये जहालत से और इसके लिये मिल कर कोशिश होनी चाहिये । अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता तो मैं उसका स्वागत करता, बजाय इसके कि हाई पावर कमीशन के बारे में यह प्रस्ताव आया है जो कि अव्यावहारिक है और इससे कोई मतलब सिद्ध होने का नहीं है ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर यहां वाद-विवाद चल रहा है, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय है । विषम खाद्य परिस्थिति पर दो रायें नहीं हैं, लेकिन इससे जरूर दुख होता है कि हम माननीय मुख्य मन्त्री जी की भावनाओं की तो कद्र करते हैं लेकिन (truce) की बात तो उन्होंने कही इस विषय की महत्ता को देखते हुए, इसकी गम्भीरता को देखते हुए लेकिन वे यहां मौजूद नहीं हैं यहां माननीय मुख्य मन्त्री जी रहें या माननीय खाद्य मन्त्री जी रहें या माननीय राजस्व मन्त्री जी ही रहें, आचार्य जी आ गये हैं, यह तो ठीक है, लेकिन मैं तो मंत्रियों की बात कह रहा हूं । तो इस तरह से ट्रूस की बात में हमें कुछ शक की गुंजाइश होने लगी है ।

पहले श्रीमन्, यहां कुछ बात ऐसी चल रही थी, माननीय गोविन्द सहाय जी इस समय हाउस में नहीं हैं, वे फरमा रहे थे कि इन कमेटियों में उनका विश्वास नहीं है । इन कमेटियों व कमीशन वगैरह से कुछ होता जाता नहीं है । श्रीमन्, माननीय गोविन्द सहाय जी स्वयं सबसे अधिक कमेटियों में हैं और एक बहुत बड़ी महत्त्व की कमेटी जो evaluation की प्लानिंग के सम्बन्ध में है वह उन्हीं की सदारत में है । मुझे तो अब उस कमेटी के बारे में भी सन्देह होने लगा है कि उस कमेटी का हश्र क्या होगा । मुझे तो अभी से डर लगने लगा है ।

दूसरी बात जो यहां कांग्रेसी सदस्य ने साली और जीजा की तथा उनके मथुरा में डूबने की बात कही, उस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं पड़ना चाहता, वे बाहर के जीजा जानें और मथुरा की सालियां व डूबने वाले जानें।

श्री उपाध्यक्ष---इसका एक प्रस्ताव यहां क्यों न हो जाय ?

(हंसी)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---डूबने के लिये तो इधर पीछे के लोग तैयार हैं।

दूसरी बात यह है कि पश्चिमी जिलों की भुखमरी के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव में कोई जिक्र नहीं आया है। पश्चिमी जिलों में भी भुखमरी की समस्या वही है जो दूसरे हिस्सों में है। यह बात मेरे कई माननीय मित्रों ने कही। मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव में पश्चिमी जिलों का भी समावेश करलें क्योंकि भुखमरी चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूर्व में हो, सभी जगह के लिये हमें हल निकालना है। मैं समझता हूं कि कमेटी में वहां की बात भी वे अवश्य रखें। वह पश्चिमी जिले जो अन्न का भंडार हैं, जिन्होंने कभी आजतक इस बात की शिकायत नहीं की कि उनके यहां खाना नहीं है या खाने की कमी है, और न कभी उनको किसी से मांगना पड़ा है कि हमको बाहर का गल्ला चाहिये, बल्कि वे स्वयं बाहर के जिलों को अन्न देते थे (और हम उनके शुक्रगुजार हैं, इस बात के लिये), आज उस कुबेर का खजाना भी खाली हो गया है, जैसे समुद्र में पानी नहीं है और इस तरह से आज पश्चिमी जिले वालों के पास गल्ला नहीं है। अगर इसका मुकम्मल हल नहीं निकाला जाता तो भगवान ही जाने कि उसका आगे चल कर क्या हश्र होगा। आज अन्न की समस्या बड़ी गम्भीर है जिसका कोई न कोई हल निकालना चाहिये।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने प्रस्ताव किया है कि एक विशेषज्ञ समिति हो और इस सदन में जितने माननीय सदस्य आये हैं चाहे वे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों, सब के हाथ में जनता ने अपनी सत्ता दी है कि हमारी जो मुश्किलें हैं उनको हल करो। और हम लोग जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम हाथ पांव छोड़ कर बैठ जायं कि हमारी कमेटियों में कोई बात नहीं होती, हमारे सदन में कोई बात नहीं होती तो आखिर करेगा कौन ? करेंगे तो हम ही।

जहां तक सिद्धांत का मामला आता है आपको सब से ज्यादा इस बात का अनुभव है यहां पर सदन में सब कुछ डिबेटिंग मूड होता है, एक तरफ वाला कोई बात कहे उसमें चाहे कुछ तथ्य भी हो लेकिन दूसरी तरफ वाला नुक्ताचीनी कर देता है। जितना वादविवाद यहां होता है उससे कम विवाद और ज्यादा काम कमेटी में होता है। उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य यह बात स्वीकार करेंगे कि कमेटी का एक वातावरण ही दूसरा होता है। कमेटी की नियुक्ति की मांग इसलिये की गयी है कि विशेषज्ञ लोग बाहर के आ कर बैठेंगे। माना कि नहर का मसला है। आप कहेंगे किससे ? अपने विशेषज्ञों को ही बुलायेंगे। आप खुद तो कर नहीं सकते उस बात को। हम लोग तो अपनी शिकवा शिकायत उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन समस्या का हल तो विशेषज्ञ लोग ही बतलायेंगे।

मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की अनुपस्थिति में माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं अधिकारपूर्ण ढंग से जो सरकार की तरफ से कही जाती हैं। तो मुझे खुशी हुई कि अब हमारे विरोधी दल में भी कुछ लोग ऐसे जिम्मेदार हो गये हैं जो सरकार की तरफ से बातें कह सकते हैं।

श्रीमन्, पूर्व और बुन्देलखंड की बहुत सी बातें कही गयीं। एक ही इलाका ऐसा रह गया है जिसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया और मैं उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के कानों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं। वह इलाका है, पर्वतीय जिलों का जिनके लिये कुछ भी नहीं किया गया। आज वहां की हालत बहुत खराब है। शायद हमारी आवाज

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

इतनी जोरदार नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री के कानों तक पहुंच सके या यह कहिये कि हमारे यहां के विरोधी दल में एक आध ही नुमाइन्दे जीत कर आये हैं और उधर के बैठने वाले व्हिप के डर से कुछ नहीं कहते, हालांकि बाहर तो मुझसे कहते हैं। यह अन्नाभाव की (disease) डिजीज जो हमारे यहां है यह सिर्फ खाद्यान्न बढ़ाने से दूर नहीं होगी। अंग्रेजी जमाने में हम लोग पलटनों में जाते थे। अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। हमारी सब से बड़ी इंडस्ट्री पलटनों में भरती होना था। चाहे कोहिमा हो या इम्फाल वहां हमारे यहां का नौजवान अवश्य मिल जायगा। जब काश्मीर पर विपत्ति आई और जवाहर लाल जी डिफेन्स मिनिस्टर की आज्ञा हुई तो हमारे यहां के नौजवान वहां सब से ज्यादा कटे। औरतों का सुहाग मिटा और हजारों बच्चे यतीम हो गये, लेकिन उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है और न सरकार ही कुछ कर सकती है। पहले रोजगार करने के लिये हमारे यहां से काफी नौजवान बाहर बर्मा, सिंगापुर तक जाते थे। खानों और अन्य व्यवसायों में काम करते थे। लेकिन बर्मा अब दूसरा मुल्क हो गया है, हिन्दुस्तानी वहां रोजगार नहीं कर सकते, तमाम लोग बम्बार्टमेंट के बाद वापस आ गये। तो अब वह हमारा रोजगार छिन गया। तीसरा पेशा हमारा ज्यादातर था तिब्बत से। वहां से हम ऊन लाते थे, सोहागा लाते थे, और बहुत सी चीजें लाते थे, उसका व्यापार करते थे। तिब्बत में कम्युनिस्ट आ गये। यानी तीनों चीजें जिन पर हम निर्भर थे खत्म हो गई। दूसरा रोजगार हमें कोई नहीं मिला। एक रोजगार मिला है, सब जगह बर्तन मलने का जो उद्योग है वह हमारे मत्थे दे दिया गया है। अगर उस इंडस्ट्री को आप लेना चाहें तो उसमें हमें कोई गुरेज नहीं होगा।

श्रीमन्, हालत इस क़दर ख़राब हो गई है कि वहां औरतें तमाम गहने बेंच चुकी हैं। सैकड़ों आदमी घर छोड़ कर तराई भावर में ठोकरें खा रहे हैं। उनको हटाने के लिये यहां से पुलिस को भेजना पड़ा था, उनकी झोपड़ियों को जलाने के लिये। ढिमरी ब्लाक में उनसे कहा गया कि उसे खाली कर दो, उन्होंने खाली कर दिया लेकिन फिर भी पुलिस को उनकी झोपड़ियां जलानी पड़ीं। उनको कहीं बसाया नहीं गया। माननीय मुख्य मंत्री जी को सारी बातें मालूम नहीं होंगी। तो पहाड़ के लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने की तरफ मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी दिखायी है और उन्होंने नैनीताल में अपने भाषण में फरमाया भी था कि पहाड़ों में बहुत सा मैगनेसाइट वगैरह निकले हैं। वह वहां बहुत काफी मात्रा में है। लेकिन उसके एक्सप्लायटेशन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अब की माननीय राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उसमें भी कहीं यह मैग्नेसाइट या तांबा, लोहा, सीसा वगैरह जो वहां निकला है, उसके एक्सप्लायटेशन का कोई जिक्र नहीं आया। आज तक सरकार की तरफ से कोई कदम उसके लिए आगे नहीं बढ़ा है सिवाय इसके कि उन्होंने कह दिया कि कुछ निकला है।

दूसरी चीज यह थी कि ड्रिलिंग मशीन भेज कर के वहां सर्वे वगैरह कराने के लिये कहा गया था लेकिन मुझे खेद है कि आज तक प्रान्तीय सरकार की ओर से कोई ड्रिलिंग मशीन वहां नहीं पहुंची है।

तीसरी चीज यह कि तिब्बत में आज इतने अच्छे कम्यूनिकेशंस के साधन हो गए हैं कि देख कर आश्चर्य होता है। पहले जब हमारे यहां लामा आया करते थे तो हम कहा करते थे कि "लामा तेरे कपड़े में साबुन लग जाय," यह सुन कर लामा गालियां देते थे। आज वह हम लोगों से बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम लोग जो अपने को प्रगतिशील कहते थे आज उन से बहुत पीछे रह गये हैं। आपके यहां उनकी तरह कम्यूनिकेशन के साधन नहीं हैं। तो श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा कि यह जो काम है एक तो माईनिंग डाइरेक्टोरेट जो मुख्य मंत्री जी ने खोला है उसकी एक ब्रांच अल्मोड़ा में खोली जाय, ताकि लोग वहां केवल हवाखोरी के लिये न जायं, बल्कि वहां रह कर कुछ काम भी करें और सीमावर्ती प्रदेश होने के कारण उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय, नहीं तो आज वहां के लोगों में यह भावना आने लगी है। श्रीमन्, अभी भी मौका है,

आज उनको यहां का निवासी होते हुए भी, इस देश का निवासी नहीं समझा जाता, भगवान् न करे कहीं वह दिन आये कि वह लोग चीन की तरफ मुखातिब हों तब राष्ट्र हमारा गर्क हो जायगा। तो उस पर मैं आज सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।

एक चीज और है श्रीमन्, जब फसल अच्छी भी होती है तो नदियों में बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाने से वह चौपट हो जाती है। वह बाढ़ आती है कहां से है? पानी क्या यहां इतना बरसता है? पानी ज्यादा बरसता है पहाड़ों पर। वह पानी जो वहां बरसता है वह इकट्ठा यहां आ जाता है और उसी से यहां बाढ़ आ जाती है। अब यहां तो आप बांध बांधते हैं, लेकिन पहाड़ों पर काफी सस्ते में बांध बनाये जा सकते हैं। वहां दो तरफ आप को कुदरती दीवार मिलेगी। वहां बहुत कम खर्चे से आप मजबूत बांध बांध सकते हैं। उससे आप इस बाढ़ को रोक सकते हैं और उन दिनों जब कि यहां सूखा पड़ता है, वहां पर आप का काफी पानी सुरक्षित रहेगा, वह आप के काम आ सकता है। वहां उससे आप सस्ती बिजली पैदा कर चारों तरफ भेज सकते हैं। वह बिजली भी काफी सस्ती पड़ेगी।

वहां पर ऊन का जो उद्योग होता है उसमें जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी। उसमें मुख्य कारण यह है कि जो आदमी वहां गए हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो नानटेक्निकल किस्म के हैं और पालिटिक्स में ज्यादा लगे रहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह अम्बर चरखे का आप ने उपयोग किया है सूत के लिए उसी तरह कोई रिसर्च करा के ऊन के लिए अगर कोई चरखा बना सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर जिस तरह स्विटजरलैंड जो एक बिलकुल पहाड़ी मुल्क है वहां की तरह यहां भी बहुत अच्छी इकोनामी है। स्विटजरलैंड से बहुत अच्छा कुमायूं में हो सकता है, अच्छा काम-धंधा हो सकता है, बड़ी सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है।

फलों के संरक्षण की बात बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमारे यहां फलों के बहुत बाग हैं। लेकिन दुख की बात है कि इधर फल संरक्षण विभाग में ऐसी भावना आ गई है जिसको मैं विक्टिमाइजेशन या कम्युनलिज्म कह सकता हूं। यह चीज इस विभाग में फैली हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह देखें कि कोई आदमी वहां ऐसा है जो अपने ही बाप की दूकान से सामान खरीदता है। म समझता हूं कि यह चीज गवनमट सर्वेन्ट कन्डक्ट रूल्स के खिलाफ़ आती है, लेकिन फिर भी दुगने, चौगने दामों पर चीजें खरीदी जाती हैं। अगर मैं कहूं कि सारा बगलिया हो रहा है तो कोई बेजा न होगा। इस को भी देखने की जरूरत है।

अब जो यहां पर प्लानिंग हो रही है इटावा पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हो रही है। मैदान की जो समस्या है उस हिसाब से यह पायलट प्रोजेक्ट बनी है। लेकिन पर्वतों की समस्यायें भिन्न हैं, यहां के लोग हमारे यहां की समस्याओं को समझ ही नहीं पाते। इसलिये हमारे यहां की समस्याओं को देखते हुए, पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं को देखते हुये एक अलग पाइलेट प्रोजेक्ट बनवाने की मैं मांग करता हूं।

*श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का प्रस्तुत है मैं उसके सम्बन्ध में अपने दो-चार विचार प्रकट करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में हमारे बुजुर्ग नेता माननीय पालीवाल जी ने लंच के पहले यह कहा था कि सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि प्रकृति पर हमारा क्या कंट्रोल हो सकता है। आज सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई तो सरकार उसको कैसे बचा सकती है। और उन्होंने यह भी कहा कि साइंस का जमाना है जब कि स्पुतनिक से चन्द्रलोक तक जाने की मनुष्य कोशिश कर रहा है तो क्या हम बाढ़ सूखा नहीं रोक सकते। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता और समझता हूं कि मनुष्य अब तक इस प्रकार की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूरतचन्द रमोला]

खोज नहीं कर पाया कि जब चाहे तब धूप कर ले और वर्षा कर ले। मैं इस सदन के सामने इस बात को कहना चाहता हूं कि यह एक परिस्थिति है हम लोगों की और प्रदेश में, जब तक मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता, आती रहेगी और हम लोग इसके शिकार बनते रहेंगे। इसके साथ-साथ जो सरकार की ओर से इसके बचाव के साधन किये जाते हैं, आज सूखा पड़ गया सरकार ने उस के लिये पूरी कोशिश की और मैं समझता हूं कि जहां पर पानी नहीं था वहां पर उसकी व्यवस्था की गई, जहां पर अनाज नहीं है वहां उसके लिये एक स्पेशल मिनिस्ट्री खुली है जो इस बात की देख-रेख रखती है कि जहां प्रदेश में खाने की व्यवस्था नहीं है लोगों को खाना नहीं मिल पाता, या उचित दामों पर नहीं मिल पाता है, वहां इस बात का प्रबन्ध करे। मैं समझता हूं ऐसी दिक्कतें हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर ऐसी नहीं है कि वे खरीद सकें जो मंहगाई प्रदेश में बढ़ रही है उनकी इकोनोमिक हालत ऐसी नहीं है कि वे खरीद सकें, लेकिन सरकार इसके लिये प्रयत्नशील और जितनी ज्यादा सस्ते गल्ले की दूकाने खोली जा सकें खोली जायं।

इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी ऐसे प्रदेश से आता हूं जो हमेशा ही डेफिसिट है और चाहे कोई सरकार आये, आज कांग्रेस की है कल को पी० एस० पी० की या किसी दूसरी पार्टी की आये, लेकिन यह प्रदेश कभी भी फूड के मामले में सेल्फ सफिशियेंट नहीं हो सकता है। पहाड़ी प्रदेश में इस वक्त जितनी भी आबादी है और जितना भी वहां कल्टीवेशन होना सम्भव था वह सब हो चुका है और जितना लाभ उठाया जा सकता था वह उठाया जा रहा है इसलिये जब तक वहां के लिये अब नये प्रकार के उद्योग धंधे न स्थापित किये जाय, छोटे मोटे काटेज इंडस्ट्री के काम हों या हार्टिकलचर का डेवलपमेंट हो, जब तक यह नहीं किया जाता तब तक यह प्रदेश सेल्फसफिशियेन्ट नहीं हो सकता और हमेशा वहां की यह दिक्कत हमारे सामने रहेगी। इस सम्बन्ध में इस सदन के सामने कितने ही कामरोको प्रस्ताव भी आ चुके हैं और आज भी एक समिति बनाने का प्रस्ताव सदन के सम्मुख है। इस सम्बन्ध में मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि समिति बनाने का विचार तो सरकार के विचाराधीन है ही लेकिन यदि यह समिति केवल खेती के ही विषय में जांच करेगी तो वह इस बात को नहीं देख पायेगी कि किसी प्रदेश में यदि खाद्यान्नों की कमी है तो उसका आल्टरनेटिव क्या होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से मेरा विचार है कि यह प्रस्ताव संकुचित ढंग से लिखा गया है। इसलिये यह समिति जो बनायी जाय वह इस पूरे प्रश्न पर विचार करे, जैसे सार्वजनिक विभाग का कार्य है, इंडस्ट्रीयलाइजेशन का काम है वह सब वह देखे कि जो प्रदेश सेल्फसफिशियेन्ट नहीं है वहां क्या क्या आलटरनेटिव उद्योग धंधे हो सकते हैं। इसलिये यह प्रस्ताव जिस संकीर्ण ढंग से लिखा है उसका उस रूप में मैं समर्थन नहीं करता। बगैर उद्योग धंधों के, जैसा कि श्री गोविन्दसिंह जी बिष्ट ने बताया कि जैसे सोप मेकिंग है, माइनिंग है, रेजिन का काम है, हर्ब्स का कल्टिवेशन है जो मनुष्य के लिये बहुत उपयोगी है, यह सब वहां अच्छी तरह से चलाये जा सकते हैं। उनसे वहां के लोगों का ही नहीं, बल्कि सारे देश का लाभ हो सकता है।

कम्युनिकेशन्स के बारे में भी मैं कहूंगा कि जब तक वहां उनका सुधार न होगा, उनका विकास न होगा तब तक उचित मूल्य पर या सस्ते दामों पर वहां गल्ला या कोई चीज नहीं पहुंच सकेगी। सरकार को भी हर साल इसके लिये लाखों रुपया व्यय करना होता है क्योंकि लाखों रुपया खच्चरों पर अनाज ले जाने में देना पड़ता है जो सब्सीडी या ग्रान्ट के रूप में मंजूर किया जाता है। फूड मिनिस्टर साहब बैठे हैं उन को इसकी जानकारी होगी। पहले भी मैंने एक दिन रिप्रिजेन्टेशन दिया था कि चूंकि हमारे यहां हमेशा अन्न की समस्या रहती है और खाद्यान्न पूरे नहीं हो पाते हैं और हर साल सरकार को वह वहां पहुंचाने पड़ते हैं, बरसात में पुल बह जाते हैं, रास्ते खराब हो जाते हैं, इसलिये सरकार को वहां के गोदामों में गर्मी में ही पहले से स्टाक कर लेना चाहिये ताकि बरसात के बीच में लोगों को खाद्यान्न उचित दामों पर दिये जा सकें। मैंने कुछ दिन पहले वहां के दो एक क्षेत्रों का दौरा किया तो मालूम हुआ कि बाढ़ के आ

जाने से सस्ते गल्ले की दूकानों पर गल्ला नहीं था। दूकानदार जिनको लाइसेन्स दिया गया है उनके पास ही इतना पैसा नहीं है कि वह सरकारी दूकानों पर अधिक माल लाकर स्टाक कर सके और बरसात भर वह उस क्षेत्र की आबादी को फीड कर सके। जहां तक मैंने देखा बाहर के जो दूकानदार हैं उन को २० रुपये प्रति मन तक गल्ला दे सकते हैं और ट्रांसपोर्ट चार्जेज सरकार बर्दाश्त करेगी, लेकिन वह सबसीडी बहुत बाद में दी जाती है और जो ट्रांसपोर्ट के एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं वह उन्हें अपनी जेब से देने पड़ते हैं। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह उन्हें पहले से दे दिये जायं ताकि एक्स्ट्रा पैसे से गल्ला ज्यादा लाया जा सके और लोकल पापुलेशन को फीड किया जा सके।

दूसरे, जिस एरिया में मोटर हैड बन चुके हैं वहां १५ रुपये मन गल्ला है और जहां मोटर हैड नहीं बने हैं वहां पर २० रुपये मन है। यह उन लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं है। यह उसका दुर्भाग्य है कि उनके यहां मोटर हैड, नहीं बन सके हैं इसलिये उनको और ज्यादा टैक्स करना यानी २० रुपये मन गल्ला देना ठीक नहीं है। बरसात में वहां कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं और पी० डब्यू० डी० तथा जंगलात के काम भी बन्द हो जाते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा रहता नहीं है। जो पैसा मजदूरी का उसे मिलता है उससे वह दूकान से गल्ला खरीद कर काम चलाता है। आजकल के दिनों में जब कि उन्हें मजदूरी नहीं मिलती है तो २० रुपये मन गल्ला लेना पड़ता है। वहां के आदमियों की ऐसी हालत नहीं है कि वह २० रुपये मन खरीद सकें। इसलिये नतीजा यह होता है कि वह साहूकार के चंगुल में फंस जाते हैं या फिर जेवर रहन रख कर तथा बेच कर अपनी गुजर बसर करते हैं। टेहरी में मैं देखता हूं कि १०/११ सोने चांदी वालों की दूकानें हैं। बरसात में गांव से लोग आकर अपने जेवर बेच कर गुजारा करते हैं। मैं समझता हूं कि इस सिस्टम का अब अंत हो जाना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब कि हम उचित प्रबन्ध करें और उनकी गल्ला खरीदने की कैपेसिटी को बढ़ायें।

मैं एक और समस्या सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि बरसात में वहां पर सड़कें बंद हो जाती हैं। एक तो सड़कें वैसे ही बहुत कम हैं जो और हैं वह भी टूट जाती हैं। आज कल ऋषिकेश से ऊपर जाना मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है और आम आदमी नहीं जा सकते हैं, ऊपर से पत्थर गिरते हैं सड़क की हालत बहुत ही खराब है। हमारे प्रदेश में नई-नई सड़कें बन रही हैं इसके लिये इन पर मेंटीनेंस नहीं हो पाता है और न इतना पैसा दिया जाता है कि जिससे लैंड स्लाइड्स को उठाया जा सके। सितम्बर अक्तूबर तक सड़क खुल पाती हैं मैं समझता हूं कि इतने दिनों तक सड़क बन्द नहीं रहनी चाहिये। जो सरकार की ओर से मानसून डैमेजेज का अलाटमेंट होता है, वह ज्यादा होना चाहिये, ताकि सड़कें जल्द से जल्द खुल सकें और लोगों को कुछ राहत मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी खाद्यान्नों की समस्या किस तरह से सुलझ सकती है और अन्न की उपज को इस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायं या बीज गोदाम खोले जायं जिससे अच्छा बीज मिल सके। यहां पर सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे जिले में जो भी गूलें बनी हैं इन पर सरकार का रुपया बेकार व्यय कर रहे हैं, क्योंकि दस बारह लाख रुपया या इससे ज्यादा इन नहरों पर खर्च हो चुका होगा और आज तक पानी नहीं आ पाया है। जब मैं दौरे पर ग्रामों में गया तो उस क्षेत्र में मैंने देखा कि गदेलों पर पानी चल रहा है लेकिन नहर में पानी नहीं है। मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी को एक तार भी भेजा था कि आप आ कर देख लें कि सिंचाई विभाग की नहर में पानी नहीं जा रहा है। इसका नतीजा यह होता है कि गांव वालों को निराशा होती है। वह कहते हैं कि हम अपनी नहर बना लें, जिस तरह से भी हो सके हम अपनी नहर से ही सिंचाई कर लें। इसका यह भी नतीजा होता है कि सरकार की रेवेन्यू में भी अन्तर पड़ता है और गांव वालों को निराशा भी होती है इस विभाग से तथा सिंचाई की प्रगति नहीं हो पाती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिवारी जी के संशोधन का, माननीय राजनारायण जी के संशोधन के साथ समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, पूर्वी अंचल की समस्या, बुन्देलखंड की समस्या, और पर्वतीय प्रदेश की समस्या कई सालों से सबके सामने है। सरकार का कहना यह है कि लगातार उसने उस संबंध में प्रयास किये और करती जा रही है और सरकारी पक्ष के अनुसार ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से कोई खास परेशानी हो, लेकिन जहां तक अभाव का प्रश्न है उस पक्ष के लोग भी स्वीकार करते हैं कि इन क्षेत्रों में अभाव है। प्रस्ताव में इससे कोई विभेद नहीं है कि यह अंचल इतने अभाव ग्रस्त हैं जिन पर अविलम्ब कार्यवाही करने की आवश्यकता है और उसके लिये सोचने विचारने में समय लिया जाय यदि महीनों इस तरह से टलें तो समस्या का और भी बुरा हाल हो जायगा। पर साथ ही साथ इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन की आवश्यकता इसलिये प्रतीत होती है कि इसमें ऐसे जिले कि जहां पर निरन्तर बाढ़ के कारण या और किसी दैवी आपदा के कारण या सरकार की कुछ नीतियों के कारण जहां पर अभाव रहा है उनका जिक्र नहीं है। हमारे माननीय सदस्यों ने पश्चिम का जिक्र किया? पूर्व और पश्चिम की इस समस्या में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पश्चिम में भी ऐसे जिले हैं, उदाहरण के लिये बदायूं जिला ले लें जो लगातार तीन चार वर्ष से, जैसा कि माननीय टीकाराम जी ने कहा और मैं खुद भी देख आया हूं बाढ़पीड़ित है। उसके बहुत बड़े हिस्से में गंगा और दूसरी नदियों से पानी भर जाता है। यह हालत एक साल की नहीं है। वहां बाढ़ का इलाका इतना बाकी है, जिसको मैंने खुद देखा दस बीस गांव देखे। एक भी पक्का मकान मौजूद नहीं है। मकान गिरे हुये हैं। हर साल का समां है। ऐसे जिले हो सकते हैं जहां पर बाढ़ अथवा दूसरी आपदाओं के कारण अभाव रहता हो। अगर इस प्रस्ताव में वह कमी दूर कर दी जाय तो वह अधिकपूर्ण होगा और हमारी नीति के अनुसार भी सही होता कि हम लोगों का कर्त्तव्य क्या है और उस कर्त्तव्य का कैसे निर्वाह करें।

दूसरी बात यह है कि अभाव की स्थिति यकायक तो आयी नहीं। लगातार ६-७ वर्ष के बाद आयी। तो सरकार ने जो इसके लिये प्रयत्न किये उसके बावजूद समस्या ज्यों की त्यों बिगड़ती रही। इसमें दूसरा सुझाव दिया हुआ है कि उच्च स्तर की कमेटी को इन क्षेत्रों पर विचार करना सुपुर्द कर दिया जाय जो सरकार द्वारा निर्मित हो। इससे कोई लाभ होना नहीं है। सरकार की भी मंशा रही है कि इस समस्या का सुधार हो। अगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका तो इसके पीछे एक विशेष कारण है। वजह यह है कि यहां की नीति केंद्र की एक विशेष नीति के अन्तर्गत चलती है। केंद्रीय सरकार ने जो पंचवर्षीय योजनाएं बनायीं उन योजनाओं को यह सरकार कार्यान्वित करती है और उसके अनुरूप सब काम हुआ करता है। तो जब केंद्रीय सरकार की नीति, जो उन्होंने पंचवर्षीय योजना में रखी, वह असफल सिद्ध हो रही है, प्रांत में जो अभाव बढ़ रहा है उसको वह योजना रोक नहीं पाई है तो हमारा यह निश्चित मत है और इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिये कि सरकारी कमेटी से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार तो अपनी नीति के अनुसार काम करती है। माननीय तिवारी जी ने जो एक कमेटी की मांग की है वह बिलकुल व्यर्थ है। आप एक कमेटी का परिणाम देख चुके हैं जब कि माननीय गेंदासिंह जी ने अनशन किया था। उस समय सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें पालीवाल जी, त्रिलोकीसिंह जी और दूसरे सज्जन थे। उस कमेटी का यह हाल हुआ कि अब भी कभी-कभी उस कमेटी के ध्वसांवशेष सामने आ जाते हैं। कहीं पर भी उस कमेटी से समाधान नहीं हुआ। अन्ततोगत्वा बिना कुछ किये उस कमेटी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इस प्रकार की कमेटी से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि ऐसी कमेटी बनाने से यह नुकसान भी हो जाता है कि जनता में आशा हो जाती है कि इससे छ होगा, लेकिन जब कुछ नहीं हो पाता है तो लोगों पर बुरा

असर इसका पड़ता है। वह यह समझते हैं कि सरकार या विरोधी दल के पास कोई निश्चित योजना नहीं है।

इस संबंध में इस समस्या को सुलझाने के लिये सोशलिस्ट पार्टी ने कुछ खास सुझाव दिये हैं। सरकार के सामने उनको केवल कार्यान्वित करने का प्रश्न है। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब प्रश्न यह सामने आता है कि इसको कैसे सुलझाया जाय और जो समस्या को सुलझाने के उपाय हैं उनको कैसे कार्यान्वित किया जाय और सरकार उनको कर सकती है या नहीं। मैं अपने को त्रिलोकीसिंह जी से सहमत नहीं पाता हूं जो वे यह कहते हैं कि जो योजना बनी हुई है वह सब जिलों में एकसा बटवारा करती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस योजना में सबसे बड़ी खराबी यह है कि ये योजनायें सीमित क्षेत्रों के लिये हैं। ये अभाव के क्षेत्रों के लिये नहीं हैं। यह बात गलत है कि हर स्थान के लिये बराबर की यह योजना है। इसमें सबसे बड़ी खराबी यही है कि यह योजना बड़े भारी सम्पन्न लोगों के लिये है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यह सरकार केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत काम करती है। केन्द्रीय सरकार उस योजना के मातहत जो काम करती है। उसके उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि इस प्रकार की योजनाओं से यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। पिछली पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के अन्दर २।। वर्गमील में २ अरब रुपया खर्च हुआ। १ लाख वर्ग मील में हिन्दुस्तान में ११ अरब रुपया खर्च हुआ और बाकी १४ लाख वर्ग मील जो जमीन रह गई उसमें ७ अरब खर्च हुआ। ऐसी यह सरकार की योजना है। सरकार के मातहत कोई कमेटी बने वह कामयाब नहीं हो सकती है और कोई समस्या उससे सुलझ नहीं सकती है और हमें उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिये जो माननीय राजनारायण जी ने सुझाव दिया है वह ठीक है कि अगर वह कमेटी बने तो वह सरकारी कमेटी न हो बल्कि उसमें ३, ३ सदस्य प्रत्येक विरोधीदल के रहें। ७ सदस्य सरकार के रहें। विरोधीदल के कोई उसके नेता सभापति रहें। सरकार अपनी नीति के अनुसार कोई काम नहीं कर पायेगी क्योंकि उसका अपनी नीति में अटल विश्वास है, लेकिन विरोधी दल स्थिति के विषय में अच्छी तरह से समझता है। जनता की कठिनाइयों को उसको पूरा अनुभव है और जनता के विचारों को वह जानता है। इसलिये विरोधीदल के सदस्यों को उसमें अधिक रखा जाय।

दूसरी बात यह है कि अगर कमेटी बनाई जाय तो उसकी जो सिफारिशें हों सरकार एक महीने के अन्दर उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की ओर कदम उठाये। प्रस्ताव में सरकारी कमेटी बनाने के लिये तो है, लेकिन उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिये कोई गारन्टी नहीं है। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने प्रस्ताव में इस सदन की एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाने के लिये न जाने कहां से कह दिया। वास्तव में प्रस्ताव में उच्च स्तरीय कमेटी का जिक्र है। तो इस समय मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपर्ट की सलाह तो हम ले सकते हैं जो कि उस कमेटी को लेने का हक रहेगा, लेकिन एक्सपर्ट देश की समस्या को सुलझाने के लिये ऐसे सुझाव दे सकें जिससे वे सुलझ जायं यह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि एक्सपर्ट एक विषय का होता है, किंतु जो राजनीतिक पुरुष जनता में घूमते हैं वे उनके रोज के दुख दर्दों को, उनके कष्टों को जनाते हैं, उन सबका एक समन्वय एक संतुलन उनके मस्तिष्क में होता है और इसी सिद्धान्त पर मंत्री लोग बनाये जाते हैं, ताकि राज्य की कार्यकारिणी के ऊपर ये जनता के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्हें साधारण बातों का ज्ञान रहता है, लेकिन एक्सपर्ट तो किसी एक विषय का ही होगा। दूसरे दिशा में उसका ज्ञान कम होता है। इसलिये सर्वांगीण रूप से विचार करने के लिये कमेटी में ऐसे आदमी रखे जाने चाहिये जो एक्सपर्ट न हों, लेकिन उनके जीवन में सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव इतना मौजूद हो कि वे समस्याओं को सुलझा सकें। इस सदन के जो सदस्य हैं उनको जीवन

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

का तजुर्बा है और वे अभावग्रस्त क्षेत्रों के रहने वाले हो सकते हैं, या वहां गये हों या उनको वहां का ज्ञान हो सकता है। उनके आधार पर जो कमेटी बनेगी वह सर्वांगीण होगी और सर्वांगीण विकास के सुझावों को लेकर आयेगी और उन सुझावों को सरकार एक महीने के अन्दर लागू करे। अगर यह नहीं रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि फिर जो कमेटी बनती है वह लाभदायक नहीं हो सकती है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि जो कमेटियां बनती हैं उनसे हमें कोई राहत नहीं मिल पाती। उन्होंने कहा कि कमेटियां कोई खाना देती नहीं हैं कोई राहत पहुंचाती नहीं हैं। बात कुछ सीमा तक ठीक भी है। चाहे केन्द्र की कमेटी को देखा जाय या किसी भी कमेटी को देखा जाय। अभी बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रपट निकली थी। उसकी सिफारिशें न तो केन्द्र न सूबा सरकार लागू कर रही है। तो कमेटियां बनाने से ही केवल समस्या सुलझती नहीं दिखाई पड़ती यह १०, १२ वर्षों का अनुभव इस सरकार का हमें बता रहा है। इसीलिये हम कहते हैं कि अगर कोई कमेटी बनाई जाय तो वह सर्वदलीय बनाई जाय, जिसमें तीन तीन सदस्य प्रत्येक विरोधी दल के हों और सात सदस्य सरकारी दल के हों और साथ ही साथ जो वह कमेटी रपट करे उसको सरकार एक महीने के अन्दर लागू करे इस बाध्यता के साथ अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो कोई लाभ हो सकता है अन्यथा नहीं। तभी वहां के लोगों के जीवन के सपने पूरे हो सकते हैं अन्यथा नहीं। उनकी स्थिति दो शब्दों में यों है:—

"उर में अमावस भार लिये,
आंखों में कुछ अस्थिर सपने।
अवरुद्ध कंठगत प्राण लिये,
गाते हैं करुण गीत अपने ॥"

यदि यह नहीं होता है तो श्रीमन् जैसा कि वह भाव अपने दिल में रखते हैं वह पूरा नहीं होने का है। इसी के लिये वह सर्वदलीय कमेटी की रपट को एक महीने में लागू करने का सुझाव है।

जहां तक सुझाव का सम्बन्ध है मैं दावे के साथ कहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, लेकिन मुझे इस सरकार से उम्मीद नहीं है कि यह सरकार क्योंकि यह सरकार पूंजीवादी है इस लिये उससे कुछ हो पायेगा। मेरा यह निश्चयमत है कि इसकी योजनाओं से कुछ आदमियों को तो लाभ पहुंचता है, लेकिन देश के जो ३९ करोड़ गरीब हैं उनको उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या सरकार ने अलाभकर जोतों से लगान वसूली बन्द करने की बात सोची? क्या सरकार जमीन का बंटवारा करके अधिक जमीन को किसानों को बांटने की बात सोच रही है जिससे पैदावार बढ़े और क्या सरकार बेकार आदमियों के लिये जिनके पास खरीदने की ताकत नहीं है उनको लाभ में लगाने की बात सोच रही है? parity of prices (मूल्यों में समानता) का प्रस्ताव वह पास कर रही है चाहे मिलों की पैदावार हो और चाहे खेतों में पैदा होने वाली चीज हो उसके दामों में समानता स्थापित करने को बात सोच रही है? क्या सरकार जमीन की (ceiling) अधिकतम सीमा तय करके जमीन का बंटवारा करके तब चकबन्दी की योजना लागू करने की बात सोच रही है? और क्या सरकार ऊसर जमीनों को उर्वर बनाने की बात सोच रही है? जब सरकार इस तरफ नहीं बढ़ सकती तब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वे इस बात पर गम्भीरतापूर्वक सोचें और मुझे आशा है कि माननीय तिवारी जी भी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे, ताकि प्रस्ताव के महत्त्व को हम प्रतिपादित कर सकें और हमारे प्रस्तावों का प्रदेश के लोगों में विश्वास बढ़ जाय और इसके बाद उनका कुछ दुख दूर हो। अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि तिवारी जी इस संशोधन को स्वीकार करें।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभासचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, अभी मेरा अमेंडमेंट तो उपस्थित ही नहीं हुआ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस पर एक क्लोजर मूव हुआ था और क्लोजर मूव होने के पूर्व ट्रेजरी बेंचेज के एक माननीय सदस्य जो इस समय हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उन्होंने यह कहा था कि आज के दिन के समय का बंटन हो जाय। आप स्वतः देखेंगे कि एक प्रस्ताव तो नारायणदत्त जी का चल रहा था और दूसरा प्रस्ताव टीकाराम जी का है जो कि अलाभकर जोतों पर से सरकारी मालगुजारी हटा देने के बारे में है। मगर सदन ने उस क्लोजर प्रस्ताव को उस समय स्वीकार नहीं किया, फिर अब क्लोजर आ गया और . . . .

श्री उपाध्यक्ष—कुछ क्लोजर विरोधी दलों के पक्ष में होते हैं कुछ विपक्ष में।

श्री राजनारायण—माननीय मदन जी अभी नहीं बोले हैं, उग्रसेन जी नहीं बोले हैं। उनका भी एक संशोधन है। पता नहीं कि उनका अमेंडमेंट मेल खाता है या नहीं। आप स्वीकृति देंगे या नहीं। तो मेरा निवेदन यह है कि हम उस तमाम टेक्निकेलिटीज में तो नहीं जाना चाहते और दिल खोल कर बात करना चाहते हैं। यदि सरकार माननीय तिवारी जी के प्रस्ताव को मानने के लिये तैयार है, तो जैसा क्लोजर शांतिप्रपन्न जी ने मूव किया, वह ठीक है। मैं तो यह कहूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान लें . .

श्री उपाध्यक्ष—क्लोजर के प्रस्ताव पर बहस नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण—मैं निवेदन करूंगा कि मेरी एक शंका है। अगर हमारे संशोधन के साथ वह इस प्रस्ताव को मान लें, और सरकारी पक्ष के लोगों का दिमाग ठीक हो गया हो, तो मैं मदन जी से कहूंगा कि वह विरोध न करें क्योंकि वह एक चीज हो जायगी। नहीं तो क्लोजर आ जाय। क्योंकि जो नारायणदत्त जी का प्रस्ताव है उसकी बहुत बड़ी पूर्ति करता है टीकाराम जी का प्रस्ताव। जहां देश में इस समय खाद्य संकट है और अन्न संकट है वहां के किसानों पर लगान नहीं होना चाहिये। इसलिये इसको वे मान लें. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिये। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप बैठिये। काफी हो गया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमको काफी, चाय की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात कहना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दो दिन के करीब इस वादविवाद पर हो गये हैं और हर दल की तरफ से चाहे काफी ज्यादा संख्या में सदस्यों ने अब तक भाग न लिया हो, लेकिन जो मूल रूप से बातें कही जानी चाहिये थीं, वह सब हो गयी हैं और साथ ही जो आगे का प्रस्ताव है विरोधी दल का, वह भी आना चाहिये इसलिये कि आमतौर पर यह शिकायत रही है कि एक प्रस्ताव होता है, दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं आते। तो आगे भी माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं सरकारी और गैरसरकारी, इसलिये इस समय मैं प्रश्न उपस्थित करने की इजाजत देता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—डिवीजन।

श्री उपाध्यक्ष—जब मैंने फैसला दे दिया तब आप ने डिवीजन की मांग की है। जब बीच में चेअर रुकती है तभी फौरन् आपको डिवीजन की मांग कर देना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब साथियों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। केवल माननीय गोविन्दसहाय जी ही एक ऐसे माननीय सदस्य थे जिन्होंने कुछ मूल आपत्ति मेरे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में की। उनका ऐसा विचार था कि किसी भी पूंजीवादी प्रजातंत्र में कमेटियों और कमीशन के नाम से जो काम किया जाता है, वह टालने के लिये किया जाता है। मैं समझता हूं जो माननीय सदस्य सामने बैठे हुये हैं कदाचित यह स्वीकार नहीं करेंगे कि इस समय जो सरकार है वह पूंजीवादी सरकार है। लेकिन गोविन्दसहाय जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह बात स्वीकार कर ली, इसलिये मैं उनको बधाई अवश्य देता हूं। मुझे जरूर इस बात में शक है कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं या जो उनके साथी माननीय सदस्य हैं वे उनके इस मत से सहमत होंगे कि इस समय केपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है।

मेरा ऐसा विश्वास है कि कमेटियों और कमीशनों के द्वारा ही प्रजातंत्र चलता है। अगर कुछ लोगों के कहने के अनुसार ही काम होने लगे तो वह प्रजातंत्र रह नहीं जाता। कुछ लोग किसी के बारे में कुछ तय कर दें और बस वही मान लिया जाय तो वह जनतंत्र की पद्धति या मर्यादा के अनुसार कार्य नहीं समझा जा सकता। इस समय प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग बोर्ड है, अन्तरिम जिला परिषद् है और हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि ग्राम सभाओं के स्तर पर भी प्लानिंग या नियोजन समितियां होंगी। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों से लेकर ऊंचे से ऊंचे स्तर तक कमेटियों और बोर्ड्स के द्वारा प्लानिंग और नियोजन के कार्य होते हैं। इसलिये यह बात इससे कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती कि इसके लिये यदि कोई समिति का निर्माण होगा तो वह कोई अजनतांत्रिक बात होगी। अतः उनकी यह बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। माननीय गोविन्दसहाय जी भी इवेल्युएशन कमेटी के चेयरमैन हैं और उसका एक सदस्य होने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं तो यह नहीं समझता कि यहां वे यह समझ कर कार्य करते हैं कि यह कमेटी गवर्नमेंट ने टालने के लिये बनायी है। मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट टालने के लिये कोई कमेटी नहीं बनाती।

दूसरी बात जो कही गयी वह यह कि यह प्रस्ताव एक मासूम प्रस्ताव है। वास्तव में यह एक मासूम प्रस्ताव है क्योंकि इसमें जो बात कही गयी है उस को हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर चुके हैं। यह मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर भी एक सांकेतिक रूप से कह देना चाहता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी से माननीय मुख्य मंत्री जी का जो पत्र-व्यवहार हुआ उससे मालूम होता है कि अशोक मेहता कमेटी के सम्मुख वह रिफरेंस देने की बात स्वीकार कर चुके हैं और यू० पी० सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा भी था। वह तो केन्द्रीय सरकार असमर्थ रही इस माने में, क्योंकि यह प्रश्न केवल केन्द्र के फूड डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नहीं था बल्कि और डिपार्टमेंट्स से भी सम्बन्धित था। इसलिये यह बात होते होते रह गयी। अब केवल प्रश्न इतना है कि जिस प्रश्न को हमारे प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सम्मुख रखा था और उसमें कोई बात आपत्ति की नहीं थी तो उस ओर अब स्वयं प्रादेशिक सरकार कदम उठावे और आप कमीशन के नाम से कहें, चाहे कमेटी के नाम से कहें, चाहे समिति के नाम से कहें, कमीशन नाम बहुत बड़ा है, इसलिये मैंने कमेटी रखा है जो समिति भी हो सकती है। जिस नाम को आप ठीक समझें उसको रख लें।

दूसरी बात यह कि इसमें जो मैंने ३ मास की बात रखी है, मुमकिन है वह समय कम हो, तो माननीय मुख्य मंत्री जी उचित समझें तो ३ मास के स्थान पर उतना समय रख लें जितना वे उचित समझें। उतना समय मैं अपने प्रस्ताव में रखने को तैयार हूं।

जहां तक पश्चिमी, पूर्वी या केन्द्रीय हिस्से की बात है, मुझे यह जान कर दुख हुआ कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी पूरब और पश्चिम का विवाद खड़ा कर दिया गया जिस समय मैंने यह प्रस्ताव रखा था उस समय मेरा कतई यह विचार नहीं था, किसी प्रकार का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह इरादा नहीं था कि प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से से कोई होड़ की भावना हो। श्रीमन्, आप को भी शायद याद होगा कि जिस समय मैंने प्रस्ताव रखा उस समय जो भाषण मैंने किया, उसमें मैंने एक शब्द भी ऐसा प्रयुक्त नहीं किया जिससे यह भावना झलके कि पश्चिमी जिलों का विकास किसी प्रकार से रुक जाय और किसी जिले में अभाव की स्थिति पैदा हो गयी हो तो वहां विकास का कार्य न किया जाय मेरी कतई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसी भावना लोगों में हुई तो मैं उस सुझाव को मानने के लिए तैयार हूं कि चाहे प्रदेश के किसी हिस्से में ऐसी स्थिति हो, चाहे केन्द्र में, चाहे पश्चिम में, चाहे पूर्व में हो, चाहे मध्य पश्चिम में हो, चाहे मध्य पूर्व में हो, चाहे मध्य केन्द्र में हो, चाहे ईशान कोण में हो, चाहे नैऋत्य कोण में हो, चाहे आग्नेय कोण में हो, चाहे किसी भी स्थल पर हो जहां ऐसी अभाव की स्थिति पैदा हो गयी हो तो उसका हल हल निकालना है। तो इस सम्बन्ध में माननीय मोतीलाल अवस्थी का जो संशोधन है उसको मैं स्वीकार करता हूं और जहां तक बुन्देलखंड के अंचल तथा अन्य अंचल की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी जिले के किसी हिस्से में ऐसी स्थिति है तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी इस बात को मानने में कोई आपति नहीं होगी।

जहां तक और जिलों का मसला है हम सब देश को एक शरीर के रूप में कल्पना कर सकते हैं, अगर शरीर हमारा कमजोर है और रक्त कम है, लेकिन कान में दर्द है तो कान का इलाज तो करना ही पड़ेगा, अगर दांत में दर्द है तो दांत का इलाज तो करना ही पड़ेगा। उसी तरह से प्रदेश के किसी हिस्से में, किसी जिले में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो उसका हल भी ढूंढ़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि लोगों के मन में पश्चिम और पूर्व की भावना इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी पैदा हो गयी। हमको तो इस समस्या के ऊपर गम्भीरता से सोचना चाहिये और दलगत भावनाओं को छोड़ कर सोचना चाहिये कि वाकई इस का हल कैसे निकल सकता है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार भी पहले इस सिद्धान्त को मान चुकी है। इस सिद्धान्त को केवल व्यवहार रूप में परिणत करना है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और यह सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी को एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये धन्यवाद देता हूं और उन्होंने अपने प्रस्ताव को किस प्रकार उपस्थित किया उसके लिये भी उनको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। साथ ही उनके साथ समवेदना भी प्रकट करता हूं। मैं जानता हूं कि उनको भी इस बात से कष्ट हुआ होगा कि जो अच्छे पर्यावरण को तैयार करने का उन्होंने प्रयत्न किया था उसको उनके आंशिक समर्थकों ने चौपट कर दिया। उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि शान्तिपूर्वक इस प्रश्न पर विचार हो, कोई गर्मी लाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से राजनीतिक या इस प्रकार के प्रश्नों को बचाने की कोशिश की थी, मगर अफसोस की बात है कि वे बातें आईं। किसी ने यह अनुमोदन पेश किया कि सर्वदलीय हो, हर दल के लोग हों। इतना ही काफी नहीं था अनजाने में माननीय नारायण दत्त जी से किस जमाने का बैर निकाल कर माननीय राजनारायण जी ने जो अनुमोदन पेश किया उसे अंग्रेजी शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है "रिडक्शो एड एब्सर्डम" (Reductio-ad absurdum) कमेटी नियुक्त हो, कमीशन, कमेटी या जो कुछ कहा जाय, उसको गवर्नमेंट नियुक्त करे या सदन नियुक्त करे। उसमें एक्सपर्ट्स न हों। उसमें अमुक-अमुक दल के इतने-इतने सदस्य हों। कोई-कोई दल तो इतना छोटा है कि उसके सभी सदस्य उस कमेटी में आ जायंगे। २ महीने के अन्दर उसका काम समाप्त करना है। माननीय नारायण दत्त जी के प्रस्ताव में तीन महीने हैं और यह भी कहा कि समय बढ़ सकता है यानी ४-६ महीने तक हो सकते हैं। लेकिन राजनारायण जी का कहना है कि कमेटी को २ महीने के अन्दर काम को खत्म करना है। इस कमेटी को दौरा करने की जरूरत नहीं है, न विषय का अध्ययन करने की जरूरत है, न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रश्नावली निकालने की जरूरत है, न राय लेने की जरूरत है। भीतर जो कुछ ज्ञान का भंडार है सब राजनीतिक पार्टियों में उन्हीं के जरिये रिपोर्ट तैयार होगी और २ महीने के अन्दर वह रिपोर्ट आ जायगी और गवर्नमेंट को उस रिपोर्ट को एक महीने के अन्दर कार्यान्वित करने के लिये कदम उठाना पड़ेगा। कमेटी कुछ न कुछ खर्च की बात कहेगी। वह ५ पैसे हो– ५ करोड़ हो या ५०० करोड़ हो। वह रुपया आयेगा कहां से? मानों घड़ों में रुपया भरा हुआ है, उन पर सांप बैठा है और उस सांप को मार कर खजाना निकाल लिया जायगा और उस रिपोर्ट को एक महीने के अन्दर कार्यान्वित कर दिया जायगा। बड़ा सुन्दर काम है। मैं समझता हूं कि इस अनुमोदन के साथ इस प्रस्ताव की क्या दुर्गति हुई और उसमें क्या व्यावहारिकता रह गयी इसके सम्बन्ध में अब मुझे अधिक कहने की जरूरत नहीं है।

बहुत सी बातें जिनके लिये माननीय नारायण दत्त जी ने कहा था नहीं होंगी उनका जिक्र हुआ। उनके कहे बिना शायद काम नहीं चल सकता था। पहाड़ों का और बुन्देलखंड का जिक्र किया गया। बुन्देलखंड का जिक्र करते हुये एक माननीय सदस्य ने प्राचीन इतिहास का जिक्र किया। वहां के बड़े बड़े आदमियों का नाम लिया। महाराज छत्रसाल और महारानी लक्ष्मी बाई का। लेकिन माहिल मामा, उरई वाले, उन्होंने भी उसी बुन्देलखंड में जन्म लिया था, उनका नाम लेना शायद वे भूल गये।

उन्होंने यह भी फरमाया कि गवर्नमेंट बुन्देलखंड को सौतेली मां की निगाह से देखती है। मैं जानता नहीं कि उनके ध्यान में कौन सी सौतेली मां है। लेकिन हम लोगों की जिस भारतीय संस्कृति पर आस्था है उसमें हमारे सामने जब सौतेली मां का शब्द आता है तो हमारे सामने एक ही नाम होता है और वह नाम है महाभारत में कुन्ती का जिसने माद्री के लड़कों, नकुल व सहदेव को अपने लड़कों से भी अच्छी तरह पाला था युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से। यदि यह आदर्श हो सौतेली, मां का तो इसमें कोई संकोच नहीं है हमें कि हम बुन्देलखंड को सौतेली मां की निगाह से देखते हैं। अस्तु, इन बातों की चर्चा छोड़ दी जाय।

मैं माननीय सदस्यों के सामने इस वक्त जो विकास की सूरत है उसको रखना चाहता हूं। प्रदेश के कुछ जिलों में और वह कौन से जिले हैं कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक वाकई बात है कि लोगों का ध्यान पूर्वी जिलों की तरफ जाता था। कुछ और बढ़ा तो जाता था पहाड़ों की तरफ, कुछ और आगे बढ़ा तो बुन्देलखंड की तरफ जाता था। लेकिन अब कुछ दो-तीन वर्षों से दुर्भाग्य से जो पश्चिमी जिले हैं जिनकी बाबत यह समझा जाता था कि वह इस प्रकृति के प्रकोपों से मुक्त है, उनकी तरफ भी प्रकृति की बुरी दृष्टि पड़ी है और आज वह भी कई तरह की मुसीबतों के शिकार हो गए हैं। इसलिए अब तो यह कहना मुश्किल हो रहा है कि हमारे प्रदेश के वह कौन से जिले हैं जो कि दुर्दशाग्रस्त नहीं हैं या आज नहीं हैं तो कल नहीं हो जायंगे। इसलिए जब ऐसी दशा में हम अभाव के प्रश्न को उठाते हैं तो इतना हमको खयाल रखना चाहिए कि अभाव का प्रश्न अकेले इन आइसोलेशन नहीं लाया जा सकता। अभाव के प्रश्न का विचार करते समय केवल खेतों में कुछ अन्न उपजा देने की बात नहीं सोची जा सकती। हम जब इस अभाव के प्रश्न को लेते हैं तो उसको विकास का जो प्रश्न है उससे अलग नहीं कर सकते और विकास के प्रश्न में अन्न के उत्पादन की बात भी होती है। विकास के प्रश्न में फलों के उत्पादन की बात भी होती है, विकास के प्रश्न में तरकारियों के उत्पादन की बात भी होती है, फिशरीज की बात भी होती है। मैं स्वयं मछली नहीं खाता, लेकिन फिर भी सवाल तो उसका भी आता ही है। विकास के प्रश्न में सड़कों का भी सवाल आता है, छोटे बड़े उद्योग-धंधे और कुटीर उद्योगों का भी सवाल आता है। जितने भी इस प्रकार के प्रश्न हैं उन सब को उसमें लाना होता है। इतना ही नहीं कुछ और भी प्रश्न हैं जिनका भौतिक बातों से सम्बन्ध हो या न हो उनको भी शामिल करना पड़ता है जैसे एक शिक्षा का प्रश्न है। शिक्षा को बिलकुल अलग नहीं किया जा सकता विकास से। इतना ही नहीं स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को भी उससे अलग नहीं किया जा सकता। जो लोग मलेरिया

से ग्रस्त हों, या और किसी बीमारी में ग्रस्त हों, वह क्या उत्पादन कर सकेंगे, किस काम में उनका उत्साह लगेगा ? यह बिलकुल असम्भव बात है। इसलिए हमारे सामने जब कभी यह सवाल आता है अभाव का तो खाली अन्न के अभाव को दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। आज विकास का काम जो हो रहा है वह माननीय सदस्यों को मालूम न हो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह एक उसकी बैकग्राउन्ड की बात है, भूमिका की बात करूंगा।

जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उसकी बाबत शिकायतें हो सकती हैं। यह मैं नहीं कहता कि वह बिल्कुल निर्दोष है। शिकायतें होंगी, जरूर होंगी। लेकिन आज जो सूरत है वह यह कि उस को हम छोड़ भी नहीं सकते। प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी। दूसरी पंचवर्षीय योजना आज चल रही है। यह योजना कैसे बनी ? कुछ सरकारी अफसरों ने वर्षों के अनुभव से जो उनके पास वर्षों की रिपोर्टें पड़ी हुई थीं उनके आधार पर सोचा। फिर कुछ हमारे विशेषज्ञ, कुछ केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञ, कुछ हमारे और केन्द्रीय सरकार से अलग जैसे अर्थ शास्त्र इत्यादि के पंडित, उनकी सलाह ली गयी। समय-समय पर राजनीतिक दलों के प्रस्ताव होते हैं, उनके प्रस्तावों को, कान्फ्रेंसों के जो प्रस्ताव थे उनको सामने रखा गया। इन सब बातों को लेके लोगों की राय जानने के बाद प्रादेशिक सरकार की तरफ से कोई योजना तैयार हुई। फिर वह चीज प्लानिंग कमीशन के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास गई। उनके साथ साथापच्ची करनी पड़ी, बहस मुबाहसा करना पड़ा। उनसे जो हम मनवा सके, वह चीज सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्दर आयी और मैं आप को बतलाऊं इस वक्त सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जो पहले प्लान के अन्दर पहली पंचवर्षीय योजना में जो काम होने चाहिये थे, जितना करने का विचार था उसमें से १ करोड़ ७० लाख रुपये का काम रह गया था, इस पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में नयी योजना हमने बनायी, उसमें हमने जो चाहा कि वह शामिल कर लिया जाय---मैं पूर्वी जिलों के के लिए कह रहा हूं ---वह ३ करोड़ १० लाख रुपये का हमने चाहा जिसका जोड़ इस तरह हुआ ४ करोड़ ८०-८१ लाख। तो ४ करोड़ ८०-८१ लाख की योजना हमने चाही कि पूर्वी जिलों के लिये शामिल कर ली जाय। वहां से बहुत बहस मुबाहसे के बाद प्लानिंग कमीशन से, केन्द्रीय सरकार से बहस के बाद १ करोड़ ८१ लाख रुपया हम मंजूर करा सके जो कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्दर मौजूद है। यानी ३ करोड़ रुपये की योजना रह गई जिसे कि हम चाहते थे कि आ जाय। इसी तरह से दूसरे जिले जो थे, पहाड़ी जिलों को लेकर ४ करोड़ ७९ लाख रुपये की योजना जो पहले रह गई थी १० करोड़ ३२ लाख रुपये की योजना हमने और बनायी। इस तरह दोनों जोड़कर के १५ करोड़ ११-१२ लाख रुपये का हमने चाहा कि यह उसमें शामिल कर लिया जाय। सेकेंड फाइव ईयर प्लान में मैं वहां से बहस-मुबाहसा करने के बाद कुल शामिल किया गया ६ करोड़ ६ लाख रुपया। इसी तरह से जो हमने चाहा था कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान के अन्दर आ जाय उसमें से ९ करोड़ ५ लाख रुपये की चीजें बाकी रह गईं। क्योंकि प्लानिंग कमीशन की जेब में तो रुपया था नहीं, केंद्रीय सरकार को तो सारी प्रादेशिक सरकारों की आवश्यकताओं को देखना होता है।

अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास योजनायें नहीं हैं। शायद माननीय सदस्यों ने देखा हो, न देखा हो तो माननीय राजनारायण जी चाहें देख सकते हैं। हमारे पास पूरी योजनायें हैं। यह जो स्कीम है यह नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और जौनसार बावर परगनाज आफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इन के बैकवर्ड क्षेत्रों के लिये पूरी स्कीम हमारे पास मौजूद है। हमारे पास बुन्देलखंड के क्षेत्र के लिये भी योजना है। मिर्जापुर के दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज के लिये भी योजना है। यह जो स्कीमें हैं इन सब का थोड़े में सारांश बतलाता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

इस वक्त जो हमारे पास योजनायें तैयार हैं जो इतने वर्षों के परिश्रम और अनुभव के बाद बनाई गई हैं उसमें पूर्वी जिलों के लिये ७ करोड़ ५३ लाख, हजारों को छोड़े देता हूं, की योजना है। गढ़वाल, कुमायूं और देहरादून के जौनसार बावर के लिये मिलाकर २ करोड़ ९१ लाख की योजना है। और बुन्देलखंड के लिये १ करोड़ ८३ लाख रुपये की है। मिर्जापुर के दुद्धी क्षेत्र के लिये ५० लाख रुपये की योजना है। इसके अलावा प्रदेश के और ऐसे हिस्से हैं जो बैकवर्ड हैं, इन सब हिस्सों के अतिरिक्त, उनमें सड़कों के बनाने के लिये १ करोड़ ९६ लाख रुपये की योजना है। तो इस तरह से १४ करोड़ ७३ लाख रुपये की हमारी स्कीम्स हैं।

देहाती क्षेत्रों में जहां और चीजों की आवश्यकता है वहां अस्पतालों की भी आवश्यकता है। देहातों में डाक्टर रहना पसन्द नहीं करते हैं। तो हमने यह भी रखा है कि अगर ८१ लाख रुपये और रखा जाय और मिल जाय तो देहातों में डाक्टरों के रहने के लिये प्रबन्ध कर दिया जाय। इस तरह से कुल मिलाकर १५ करोड़ ५४ लाख रुपये की हमारी योजना है। तो इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें पूर्वी जिले भी हैं, बुंदेलखंड भी है, पहाड़ों के क्षेत्र भी हैं और मिर्जापुर का दुद्धी क्षेत्र भी है।

अब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनने के दिन करीब हैं, क्योंकि सेकेंड फाइव ईयर प्लान के तो तीन वर्ष बीत चुके हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना बन रही है। हमारे आदमी, प्लानिंग कमीशन के आदमी, केंद्रीय सरकार के आदमी तीनों को बैठना है और यह तय करना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या रखा जाय। जाहिर बात है हमारी पूरी कोशिश होगी कि यह जो हमारी १५ करोड़ ५४ लाख रुपये की स्कीम्स हैं यह तो पूरी की पूरी शामिल ही ही जायं।

इसके अलावा जैसा मैंने कहा जो पश्चिमी जिले हैं उनकी समस्यायें अभी तक हमारे सामने नहीं थीं। लेकिन आज हैं। और सबसे बड़ी समस्या है ड्रेनेज की। पानी बरसता है उसके निकास का कोई रास्ता नहीं है। जिसकी वजह से वाटर लागिंग होता है। इसकी भी स्कीम बना रहे हैं। हम यह भी कोशिश करेंगे कि जितनी स्कीम्स हैं यह सब तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल हों।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर इस समय किसी कमेटी को बनाया जाता है तो उससे कनफ्यूज होगा। कई वर्षों के परिश्रम से और इतने अनुभव के बाद कहां-कहां क्या कमी रह गई, कहां-कहां लोगों की क्या शिकायतें रही हैं, क्या-क्या सारे राजनीतिक दलों ने कहा, और क्या-क्या हमने देखा सुना, तो इतने परिश्रम के बाद चीजें बना रहे हैं। उस पर हमको २,३ महीने के अन्दर बहस करना है, एक एक पैसे के लिये लड़ना है केंद्रीय सरकार से। तो ऐसे मौके पर अगर कोई कमेटी बैठती है तो सिवाय इसके कि हमारा ध्यान बटे, उनका ध्यान बटे और इससे कोई फायदा नहीं होगा।

यह हो सकता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के खत्म होने के बाद ऐसा मौका हो सकता है कि आगे क्या हो। पूरा हो जायगा या नहीं हो जायगा। अगर हमारी सारी योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना में दाखिल कर ली जाती हैं तब जरूर सोचना होगा कि आगे क्या करें। हो सकता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के शुरू होते-होते आर्थिक अवस्था सुधरे। हालांकि मुझको इसके बारे में विश्वास भी नहीं होता है कि हो सके, लेकिन हो तो शायद कुछ और ज्यादा हो सके, लेकिन इस वक्त संभव नहीं है। इस वक्त ध्यान भी दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिये, यह बेवक्त चीज है, यह मैं नहीं कहता कि यह अनावश्यक है, न मैं इस को टालने की बात कहता हूं, यह भी नहीं कहता कि यह कार्य नहीं होना चाहिये, लेकिन इस समय यह अनावश्यक है, बेमौके है, इस से इस वक्त नुकसान भी हो सकता है और ध्यान भी बंट सकता है और एक कनफ्यूजन हो सकता है कि हम किस चीज को प्रेस करें और किस चीज को प्रेस न करें, इसलिये इस से इस वक्त दिक्कत पैदा हो जायगी।

ऐसा भी नहीं है कि इस तरह की कोई समिति न बिठाई गई हो। अभी प्रत्यक्ष उदाहरण है अशोक मेहता कमेटी का जिक्र किया गया और सन् १९५७ के नवम्बर में प्लानिंग कमीशन की ओर से भी एक टीम आई थी जिस ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विषय में एक रिपोर्ट भेजी है और हम ने योजना बनाते समय उस में दिये हुये विचारों को भी सामने रखा है। इसलिये इस समय हमें उस कन्फ्यूजन में न पड़ना चाहिये। प्रस्ताव बहुत अच्छा है और जो कुछ कहा गया उसके बारे में हमने बहुत दिन से समझ रखा है कि जिस के ऊपर शासन की जिम्मेदारी है उन को गालियों के लिये और उचित अनुचित सब कुछ सुनने को तैयार रहना चाहिये। तो मैं यह कह रहा था कि इन कारणों से इस समय इस प्रकार की कोई कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है और न उसकी उपयोगिता है। फिर भी जो बहस हुई उससे हमें लाभ ही हुआ हमको अब प्लानिंग कमीशन के सामने बातें रखने में, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपना व्यू प्वाइंट रखने में और अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को सामने रखने में मदद मिलेगी और एक तरह की इस विचार से मारल सपोर्ट भी मिलती है। इसके लिये हम श्री नारायणदत्त जी तिवारी के कृतज्ञ हैं, उस पर जो कुछ भी किसी ने कहा हो, लेकिन सरकार को इससे मदद मिली है और वह कृतज्ञ है परन्तु मैं उन से अनुरोध करूंगा कि जिन कारणों का मैंने जिक्र किया उनको ध्यान में रखकर वह अपने प्रस्ताव को इस समय प्रेस न करें। जैसा मैंने कहा कि उनका प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त उसके लिये उचित अवसर नहीं है।

एक बात अन्त में और कहूंगा कि यद्यपि इस तरह का कोई खास कन्वेंशन भी नहीं है और न हमारे यहां इस तरह का कोई रूल है परन्तु हमारे यहां एक राज्य नियोजन बोर्ड है जिसमें विशेषज्ञ भी हैं और गैरसरकारी आदमी भी हैं और उसमें कुछ सरकारी पक्ष के भी आदमी मौजूद हैं। उसके सदस्यों की नामावली शायद माननीय सदस्यों के सामने होगी। उस में सब मिलाकर ३१ आदमी हैं जिन में पार्लियामेंट के सदस्य भी हैं और हमारे यहां के दोनों सदनों के माननीय सदस्य भी हैं। आजकल की जो आवश्यकतायें हैं उनको देखते हुये हम ने समिति का विस्तार करना चाहा और उसमें दूसरे लोगों को लेना चाहा। पुनर्गठित राज्य नियोजन बोर्ड के सदस्यों के नाम यह हैं:—

डा० सी० डी० पांडे, एम० पी०; प्रोफेसर रामसरन, एम० पी०; श्री त्रिभुवन नारायण, एम० पी०; श्री राधा मोहन, एम० पी०; श्री वीरेंद्र वर्मा, एम० एल० ए०; श्री फतेहसिंह राणा, एम० एल० ए०; श्री गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०; श्री गेंदासिंह, एम० एल० ए०; श्री सुल्तान आलम खां, एम० एल० ए०; श्री वीरेंद्रशाह, एम० एल० ए०; श्री मलखान सिंह, एम० एल० ए०; श्री पी० सी० आजाद; एम० एल० सी०; श्री पी० एन० भट्ट, एम० एल० सी०; श्री कुंवर गुरुनारायण, एम० एल० सी०; श्री के० एन० पांडेय, एम० पी०; श्री रामेश्वर प्रसाद, एम० एल० ए०; श्रीमती तारा अग्रवाल, एम० एल० सी०; एडवोकेट, श्री घनानन्द पांडेय, डाक्टर ए० के० दास गुप्त, अर्थशास्त्र विभाग, वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, श्री ए० एन० खोसला, वाइस-चांसलर, रुड़की विश्वविद्यालय, श्री धुरजाती प्रसाद मुकर्जी, अर्थशास्त्र विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, श्री गूजरमल मोदी, श्री पद्मपत सिंघानिया, श्री जे० के० श्रीवास्तव, श्री शांति प्रसाद जैन, श्री द्वारिका नाथ, प्रेसीडेंट फैक्ट्रीज एसोसियेशन मुरादाबाद, श्री आनन्द प्रसाद अग्रवाल, मैनेजर बुनकर सहकारी समिति, वाराणसी, श्री विश्वमान सिंह, श्री एस० एन० घोष, संपादक पायनियर, श्री विद्या भास्कर, संपादक अमृत पत्रिका, इलाहाबाद, श्री महावीर प्रसाद, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, मसूरी।

श्री राजनारायण—इस कमेटी का काम क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नियोजन बोर्ड का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि सरकार को नियोजन के प्रश्न पर सलाह दे यानी किन लाइन्स पर राज्य की योजनायें बनाई

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जायं और किन अवस्थाओं में उनको निष्पादित किया जाय और विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन के लिये गैर सरकारी एजेंसियों से किस तरह से काम लिया जाय।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो १५ करोड़ रुपये की स्कीमें भेजी गई हैं, वह सेकिंड फाइव ईयर प्लान में हैं या थर्ड फाइव ईयर प्लान में हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन्, जैसा कि मैंने बतलाया कि यह स्कीमें थर्ड प्लान में ही जायेंगी। हमने जो ९ करोड़ की स्कीमें भेजी थीं उनमें से एक करोड़ की ही मंजूर करा पाये हैं और १० करोड़ की जो अन्य जिलों के लिये गई थीं उनमें ६ करोड़ की ही स्कीमें मंजूर करा पाये। अब हम जो यह १५ करोड़ ५४ लाख की स्कीमें भेज रहे हैं यह थर्ड प्लान के लिये हैं। मैं इसलिये यह कह रहा था कि यह बात नहीं कि हमारे पास सलाह देने को कोई नहीं है। हम सलाह ले रहे हैं जिनमें बिजनेसमैन हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं, ऐक्सपर्ट्स हैं और असेम्बली तथा कौंसिल के मेम्बर्स भी हैं। मैं खत्म करना चाहता हूं और नारायणदत्त जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको प्रेस न करें, क्योंकि यह वक्त किसी ऐसी कमेटी के लिये उपयुक्त नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आगे चलकर किसी कमेटी का वक्त हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो १५ करोड़ की स्कीमें हैं क्या इसमें साढ़े पांच करोड़ वाली पूर्वी जिलों की नारायणी और सरजू नदी के कटाव को रोकने की स्कीम भी शामिल है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह तो बहुत बड़ी स्कीम है अगर हम इस सात करोड़ वाली स्कीम में शामिल कर लेते तो अस्पताल, सड़कें वगैरह के लिये एक पैसा भी नहीं बचता। उसके लिये अलग से बात कर रहे हैं।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, जो योजनायें भेजी जा रही हैं उनकी एक-एक कापी माननीय सदस्यों को भेज दी जायं तो बड़ी कृपा होगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतनी छपी हुई कापियां नहीं हैं। यह गुप्त नहीं है। अगर कोई सदस्य चाहें तो देख सकते हैं। अगर हो सकेगा तो जल्दी नहीं, मैं सरक्युलेट भी करा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं नारायणदत्त जी के प्रस्ताव में जो संशोधन आये हैं उनको एक-एक करके लेता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शायद नारायणदत्त जी ने मेरा निवेदन मान लिया हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, राजनारायण जी की इच्छा को देखते हुये और उनको भेद तो मालूम हो ही जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—आप डर के मारे कोई बात न कहें बल्कि आप असली बात कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सिद्धांत को तो स्वीकार कर लिया है, इसलिये मैं इसको वापस लेना तो उचित नहीं समझता हूं अगर हम इस पर विचार कर लें तो हमको मदद ही मिलेगी और प्लानिंग कमीशन को भी मालूम होगा कि विरोधी दल ने भी इस मसले को जरूरी समझा इसीलिये उसने प्रेस किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द 'एक' तथा शब्द 'उच्चस्तरीय' के बीच में शब्द 'सर्वदलीय एवं विशेषज्ञों की' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति १ में शब्द 'प्रदेश के' और शब्द 'पूर्वी' के बीच शब्द 'उन' शब्द में 'में' तथा शब्द 'निरन्तर' के बीच शब्द 'जहां' पंक्ति २ में शब्द 'रहने' के स्थान पर शब्द 'रहती है' एवं शब्द 'से' तथा शब्द 'उत्पन्न' के बीच शब्द 'उससे' बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संकल्प की—

(१) तीसरी पंक्ति में शब्द 'राज्य सरकार' के स्थान पर शब्द "सदन" रख दिया जाय।

(२) पंक्ति ४ में शब्द 'आयोग की स्थापना करें' के आगे शब्द 'जिसमें विधान सभा में प्रत्येक राजनीतिक दल के तीन-तीन सदस्य रहें और कांग्रेस पार्टी के सात सदस्य' बढ़ा दिये जायं।

(३) पंक्ति ४ में शब्द 'तीन मास' के स्थान पर शब्द 'दो मास' रख दिये जायं।

(४) पंक्ति ४ में शब्द 'रिपोर्ट दे दे' के आगे शब्द 'और यह सरकार रिपोर्ट पाने के एक महीने के अन्दर उसकी सिफारिशों को लागू करने का कदम उठावें' बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८,

विपक्ष में —१०२।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि 'यह सदन निश्चय करता है कि प्रदेश के पूर्वी, पर्वतीय तथा बुन्देलखंड अंचलों में निरन्तर अभाव (scarcity) की स्थिति बनी रहने से उत्पन्न महान् संकट का समुचित एवं स्थायी हल निकाले जाने हेतु गम्भीरता-पूर्वक विचार करने के लिये राज्य सरकार एक उच्चस्तरीय (high power) समिति अथवा आयोग की स्थापना करे, जो तीन मास के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

दो संकल्पों को एक साथ लेने का सुझाव

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे और आपके द्वारा सदन से और विशेषरूप से माननीय राजनारायण जी से यह निवेदन है कि टीकाराम जी के बाद मेरा एक छोटा सा संकल्प है जो दीन से दीन लोगों की स्थिति से संबंध रखता है। इसलिये कृपया मुझे इसको पेश करने की इजाजत दे दी जाय, जिससे यह समाप्त न हो और अगले दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। मैं टीकाराम जी के समय को काटना नहीं चाहता हूं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मेरी यह प्रार्थना स्वीकार की जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, महीलाल जी ने जो भाव प्रकट किये हैं, मैं उनको बहुत कदर करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिये कोई ठोस कदम उठाये जायं मगर मेरी जो शंका है उसको भी आप की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। माननीय महीलाल जी की पार्टी की ही यह सरकार है। सोशलिस्ट पार्टी की सरकार यह नहीं है। वही यह संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं कि शासन शीघ्र से शीघ्र एक समिति का निर्माण करे। मेरा निवेदन यह है कि अगर उनकी सरकार कुछ करना चाहती है भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों के संबंध में तो उसके लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं। बराबर पहले भी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से बहुत सुझाव दिये गये हैं तो सरकार खुद उस पर कुछ काम करे। अगर वह चाहते हैं तो टीकाराम जी का प्रस्ताव भी आ जाय और इस संकल्प के बाद उनका हो जाय। हम इस सरकार द्वारा बनाई

[श्री राजनारायण]

गई कमेटी के विरोधी हैं। हमारा यह निश्चित मत है कि हम उस कमेटी में काम नहीं कर सकते हैं। अब अगर महीलाल जी का प्रस्ताव आयेगा तो हम संशोधन कब देंगे ? अगर आपकी व्यवस्था हो तो हम दोनों प्रस्तावों पर एक साथ विचार कर लें। जो लोग टीकाराम जी के संकल्प पर बोलना चाहें वह उस पर बोल लें और जो महीलाल जी के प्रस्ताव पर बोलना चाहें वह उस पर बोल लें। मगर हमारा संशोधन जरूर आ जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---मैं, महीलाल जी के प्रस्ताव के औचित्य को देखते हुए और इस बात को देखते हुये कि वह एक विशेष वर्ग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, खेतिहर मजदूरों की ओर, विशेष परिस्थिति में मैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में हूं। लेकिन मेरा विचार यह है कि यह दोनों प्रस्ताव साथ-साथ नहीं चल सकते ; टीकाराम जी का अलाभकर जोतों के संबंध में है और महीलाल जी का खेतिहर मजदूरों के संबंध में है। राजनारायण जी के संशोधन का अधिकार सुरक्षित है वह किसी अगले दिन भी दे सकते हैं। सब लोग इसको स्वीकार कर लें तो इस पर बहस हो जाय।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---मेरी समझ में राजनारायण जी का जो सुझाव है यदि दोनों साथ-साथ चल सकें तो दोनों को आज ले लिया जाय यह अच्छा होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय पांडेय जी ने कहा है अगर दोनों प्रस्ताव एक साथ लिये जा सकें और उसमें कोई दिक्कत न हो तो दोनों के लिये जाने पर दोनों के लिये काफी समय मिल जायगा। आज भी थोड़ा समय मिलेगा और दूसरे दिन भी मिलेगा। वरना पहले के लिये २ घंटे का समय मिलेगा और उसके बाद दूसरा आयेगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर दोनों को साथ लिया जा सके तो अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---अगर महीलाल जी कहें तो महीलाल जी के संकल्प को हम टीकाराम जी के प्रस्ताव में संशोधन के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि अलाभकर जोत भी किसानों के लिये है और खेतिहर मजदूर भी किसानों से संबंध रखते हैं। श्री टीकाराम जी का प्रस्ताव यह है कि सदन का यह निश्चित मत है कि अलाभकर जोत के किसानों के हितार्थ १३६६ फसली से ६।। एकड़ तक की जोत की जमीन रखने वाले किसानों पर लगान न लगाया जाय इसमें 'तक' के बाद यह जोड़ दिया जाय कि 'जो अलाभकर जोत के किसान हों वे सरकारी लगान और मालगुजारी से मुक्त हों' तो महीलाल जी यह जानते होंगे कि छोटे किसान इसमें आ जायेंगे। इसलिये उनका संकल्प संशोधन रूप में आ जाय तो उससे उनका काम भी बन जायगा और कोई गड़बड़ी नहीं पड़ेगी।

***श्री महीलाल**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह समझ कर कि माननीय राजनारायण जी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के बहुत बड़े हितैषी हैं और उनके हृदय में मुझसे कहीं ज्यादा उनके प्रति सहानुभूति है उनसे यह प्रार्थना की थी कि मेरा संकल्प समाप्त न हो और वह अगले दिन के कार्यक्रम में शामिल हो जाय।

जहां तक टीकाराम जी के संकल्प का सम्बन्ध था उस पर मेरे संकल्प के पेश हो जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस पर जिस समय तक चाहे विवाद हो किन्तु मेरे पेश कर देने का फल यह होगा कि यह अगले दिन के कार्यक्रम में शामिल हो जायगा।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में, मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं माननीय राजनारायण जी से ज्यादा जानता हूं किन्तु इन दोनों में फर्क है। खेतिहर मज-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूर उनको कहते हैं जिनके पास जमीन हो सकती है और वे खेतों पर मजदूरी भी करते हों, लेकिन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से मतलब उनसे है जिनके पास कोई भूमि न हो और खेतों पर मजदूरी करते हों।

श्री उपाध्यक्ष—बस पर्याप्त हो गया। मैं समझ गया। यह जो प्रस्ताव इस समय रखा गया है इसमें कुछ मौलिक बातें माननीय सदस्यों को समझ लेनी चाहिये।

पहली बात यह है कि हर माननीय सदस्य इस बात का प्रयत्न करता है कि बैलट में उसका प्रस्ताव आ जाय और बैलट में जिस क्रम से आवे उसी क्रम से वे लिये जायं। तो इसमें मैं कम से कम अपनी तरफ से व्यवस्था नहीं कर सकता हूं कि चार या छः प्रस्ताव एक साथ ही ले लिये जायं तो फिर एक ही दिन दूसरे प्रस्ताव नहीं आ सकते। दूसरे शुक्रवार को हो सकता है कि चार छः सदस्यों का प्रस्ताव न आवे और फिर बैलट में दूसरे प्रस्ताव आ जायं और उन पर बहस हो। इस तरह से माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होता है। इसलिये बैलट का जो तरीका है उसी क्रम से संकल्प लिये जायेंगे। इसलिये मैं आज केवल माननीय टीकाराम जी के प्रस्ताव की इजाजत दूंगा। जब वह खत्म हो जायगा तब उसके आगे आने वाले महीलाल जी के और उसके बाद उसी क्रम से दूसरे प्रस्तावों की इजाजत दूंगा। अगर एक माननीय सदस्य के लिये मैं आज छूट देता हूं तो दूसरे भी माननीय सदस्यों को छूट देने का प्रश्न सामने आ सकता है। इसलिये मैं नियमानुसार महीलाल जी के प्रस्ताव को उपस्थित करने की इजाजत नहीं दे सकता। जब माननीय टीकाराम जी के प्रस्ताव पर विचार समाप्त हो जाय तब आगे उसी क्रम से प्रस्ताव आयेंगे।

साढ़े छः एकड़ तक की जोत को लगान मुक्त करने के संबन्ध में संकल्प

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"सदन का यह निश्चित मत है कि अलाभकर जोत के किसानों के हितार्थ सन् १३६६ फसली से साढ़े छः एकड़ तक की जोत की जमीन रखने वाले किसानों पर लगान न लगाया जाय।"

श्रीमन्, अब से कई साल से बराबर बारिश और सूखा के कारण यू० पी० के किसानों की हालत इतनी खराब हो गयी है और इतनी गिर गयी है कि उपज गिर जाने और आपत्तियों के कारण उसकी कमर टूट गयी है और वह इतना कराह रहा है कि आज के दिन रोजी और रोटी चलनी मुश्किल हो रही है। जानवरों को चारे की परेशानी है, वे बिलकुल तबाह हो रहे हैं और ऐसी मुसीबत है कि पेड़ों के पत्ते खिलाकर भी, व अपने जानवरों को घास खिलाकर भी अपने को बचाना उन्हें मुश्किल पड़ रहा है। ऐसी दशा है। मेरा यह प्रस्ताव है कि जब इतनी मुसीबत सब पर आ गई है तब सरकार से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह इस बात को समझ कर के किसानों को राहत देने के लिये मेरे इस प्रस्ताव को मान ले। इस सूबे की आबादी ६ करोड़ ३२ लाख है जिसमें ४ करोड़ कुछ लाख के करीब किसान हैं। ३६ लाख मजदूर हैं। ४ करोड़ ३६ लाख की आबादी खेती पर निर्भर करती है। बाकी में और दूसरे पेशे वाले लोग हैं। अब आप देखें कि इन खेतों की तादाद क्या है? १० एकड़ से कम रकबे के खेतों पर ६१ फीसदी किसान ऐसे हैं कि जो काबिज हैं। तो ऐसी दशा में उन के खेतों में जो पैदावार होती है उसमें काफी गिरावट हुई है और होती जा रही है। इसलिये मैं यह बात कहता हूं कि इन लोगों के लिये लगान हटाना लाजमी है।

१९४६ में जमींदारी एबालिशन की सरकारी रिपोर्ट थी और उसमें माननीय माल मंत्री जी ने खुद माना है कि अलाभकर जोत पर से लगान नहीं लिया जाना चाहिये, लेकिन अलाभकर जोत की तफसील नहीं दी गयी है कि वह क्या होगी। गाजियाबाद, मेरठ, बदायूं में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

छः एकड़ जोत भी लाभकर मानी जा सकती है, बुन्देलखंड में २० बीघा पुख्ता भी अलाभकर जोत मानी जा सकती है। जहां पानी के साधन और जमीन की किस्म अच्छी हो वहां थोड़ी जमीन भी लाभकर हो सकती है और जहां पानी के साधन न हों, जमीन खराब हो, वहां बहुत सी जमीन भी अलाभकर हो सकती है। और यह शब्द अलाभकर जोत है। इसका फैसला कि कितनी जमीन की जोत अलाभकर होगी और कितनी लाभकर, बाद में होगा, लेकिन मैं यह मांग रख रहा हूं कि कम से कम इस वक्त तो साढ़े छः एकड़ तक की जोत को अलाभकर मान लें माननीय मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में खुद माना है और जिसमें उनका बयान है कि उसको हम अलाभकर जोत समझते हैं।

अब रहा यह कि छः एकड़ वाले किसान की स्थिति क्या है और किस तरह से और कितनी उसकी उपज है और क्या खर्चा है। हम देखते हैं कि हमारा जो किसान है उसकी उपज जब तक उसके घर पर रहती है उसका दाम मिट्टी के मोल होता है। मूंगफली हमारी ११ रुपये मन में बिकती है और बनिये के घर पहुंचते ही वह १८ रुपये मन में बिकना शुरू हो जाती है। गुड़ हमारे यहां १४ रुपये मन बिकता है जो बाहर निकलते ही २४, २८ और ३२ रुपये मन तक बिकता है। हमारे घर से निकलते ही वह चीज दूने दाम की हो जाती है और उसका फायदा व्यापारी उठाता है। हम लोगों के लिये यह एक मुसीबत का सामना करना है। इसमें कोई ऐसी बात होनी चाहिये ताकि किसानों का फायदा हो सके।

सरकार ने अब तक व्यापारियों के लिये कोआपरेटिव सोसाईटीज कायम कर रखी हैं, उनके बाजार बना रखे हैं, उनको माल खरीदने के लिये वह रुपया देती है। इसी तरह से किसान की उपज के लिये भी सरकार कोई न कोई इंतजाम करे। वह उसकी उपज को वक्त पर अपने तरीके से रखे और उसका नफा बचा कर उसको दिलाये ताकि उसको उतना घाटा न रहे, जैसा कि उस उपज को उसको बेवक्त बेच कर होता है।

दूसरी बात यह कि साढ़े छः एकड़ की उपज क्या होगी? औसत उपज आज आपके सूबे की १० मन प्रति एकड़ है। इससे ज्यादा नहीं है। १० मन के हिसाब से साढ़े छः एकड़ की उपज का कुल औसत ६५ मन आता है। अगर एक घर में पांच आदमी हैं और उनकी रोटी का रोज का खर्चा लगाया जाय तो साल भर में वह ३६ मन अनाज खा जायंगे। इस के बाद लुहार, बढ़ई, नाई, धोबी, भंगी, भिश्ती, सब का खर्चा किसान अनाज से ही देता है और हर एक को एक-एक मन अनाज वह देता है। तो इस हैसियत से वह अगर अनाज देता है तो ४३ मन अनाज तो निकल जायगा। अब उसके पास २२ मन रहा।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसके अलावा खेती के हथियार, गाड़ी है, बैल हैं, लड़के पढ़ते हैं, ब्याह है, शादी है, कपड़ा-लत्ता है, यह सब उसके खर्च में आयगा। अगर एक किसान परिवार में एक लड़का, एक लड़की, एक बीबी और एक खुद और एक आदमी और मान लिया जाय तो कुल पांच आदमी होते हैं। कपड़े का खर्चा एक लड़के का और एक किसान का कम से कम ४५ गज होता है और बीबी का ९० गज बैठता है। इस हिसाब से १५० गज के लगभग कपड़ा वह एक साल में इस्तेमाल करता है। इसमें कोई घटाया नहीं जा सकता है। आज बाजार भाव यह है कि कोई मोटा-झोटा कपड़ा भी १२ आने, ८ आने और रुपये से कम में नहीं मिलता है। औसत १२ आने भी लगाया जाय तो १२५ रुपये उसके कपड़े में ही निकल गये। ६५ मन अनाज १२, १४ रुपये के हिसाब से १,००० रुपये से कम का बैठता है। कोई भी पुख्ता जमीन आज ३।।) से कम नहीं है, हक़दारी ७) से कम नहीं है, अधिवासी पर २, ३ रुपये कच्चे बीघे तक का हो गया। एक खेत मेरे गांव में तीन बीघे चार बिस्वे का है जिसका ९) लगान है और आज उसके अधिवासी से २२) लगान लिया जाता है। इस तरह से बढ़े हुये लगान को भी जोड़ा जाय तो

उस किसान के पास जिसकी ६।। एकड़ जमीन है, चाहे वह गाजियाबाद या बदायूं के पानी के इलाके में ही हो, तब भी उसकी गुजर नहीं हो सकती है। अगर उसे एक बैल भी लेना पड़ जाता है तो ५००) से कम में आज कल जोड़ी नहीं आती और इस हिसाब से १ बैल २५०) का हो गया, साथ ही गाड़ी लेनी हुई तो २५०) से कम वह भी नहीं मिलती। तो यह साढ़े छः एकड़ की ऐसी लिमिट है कि इसमें एक किसान मामूली तरीके से गुजर कर सकता है।

सरकार ने दूसरी तरफ यह रखा है कि जिनकी आमदनी ४,२०० रुपये हो और म्युनिसिपल एरिया में रहते हों उनसे ३,००० रुपये से ऊपर की आमदनी पर ही टैक्स लिया जायगा। लेकिन किसान बेचारा जिसकी आमदनी १,०००) हो, २५, ३० बीघा खेत जोते, उसे भी ३०) लगान का देना पड़ता है। उससे ३०) टैक्स तो पहले ही ले लिया जहां कि शहर में ३,०००) आमदनी वाले को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो यह टैक्स अनुचित है और उसके साथ यह दूसरी तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये। सरकार यह कहती है कि हम जमीन के मालिक हैं और किसान किरायेदार हैं, लिहाजा हम तो किराया लेते हैं।

हमें यह सोचना है कि सरकार की जमीन जंगल, खालसा थी और किसान ने तोड़कर जोत कर उसे काबिल बनाया ताकि उसका लगान सरकार को मिले। मैंने इस रिपोर्ट में देखा है कि ट्रैक्टरों पर तक़ावी दी गई है कि जमीन तोड़ो और बाद में लिख दिया कि इसमें तो कुछ उपजा ही नहीं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर हम साढ़े छः एकड़ का लगान माफ करेंगे तो १० करोड़ रुपये का घाटा होगा। उन्होंने कहा कि यह १० करोड़ का घाटा कैसे पूरा होगा। मैं माल मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि जहां वे करोड़ों का और बातों में नुक्सान उठाते हैं वहां यह १० करोड़ इन किसानों के जीने के लिये, जिनकी आबादी १।।, २ करोड़ है, उनकी जिन्दगी के लिये छोड़ दें। उनके घर में अनाज नहीं है और उन्हें पकड़-पकड़ कर लगान वसूल किया जाता है। यह नहीं होना चाहिये। यह देखना चाहिये कि वह भूखा और नंगा है। आप की यह सन् १९५७ की रिपोर्ट है जिसमें आपने लाखों रुपया औरों पर छोड़ा है, लेकिन इसमें हमें कहीं यह नहीं दिखाई दिया कि कोई पैसा आपने किसान पर भी छोड़ा हो। इसमें आप ने लिखा है "ऋण और ब्याज का वसूल न किया जाना"। दूसरी मद इसमें है "सरकार को देय धनराशि का वसूल न किया जाना"। यह तकावी में दिया हुआ धन सोसाइटी से वसूल नहीं किया और कह दिया कि उसके मेम्बरों का पता ही नहीं चलता है। जब लाखों रुपये के लिये मेम्बरों का पता नहीं लगता है, न मालूम तकावी में जिम्मेदारी किसकी लिखायी थी जब कि उन मेम्बरों का पता भी नहीं लगता। इसी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब डिपार्टमेंटों में आप घाटा उठा रहे हैं और बड़े-बड़े लोगों के साथ आप रियायत कर रहे हैं, लेकिन आप को यह नहीं मालूम कि किस न आप का कमाऊ बैल है। इसके ऊपर अगर आप का कोई पैसा रह जाता है तो आप उसको छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं।

आज स्थिति ऐसी है कि लोग चना और दूसरी चीजें खाकर बीमार हो रहे हैं। दाता-गंज में कसारी खाकर लोगों के गोड़ मारे गये। मैं २६ तारीख को वहां गया। डिप्टी हल्का भी गये थे। उन्होंने कहा कि कसारी खाकर रोग पैदा हुआ है। उनकी यह हालत फिर भी तिन पर पैसा कैसे रहे। अरे भाई! उनकी इस दयनीय दशा की तरफ तो देखो। मालिक और कम्पनियों से आप बिजली का खर्चा गन्ने की फैक्ट्रियों से अपना रुपया आप वसूल नहीं कर सकते, लेकिन इस गरीब किसान पर ही सरकार का काबू रह गया है कि पकड़-पकड़ कर वसूल करते हैं। इसलिये उनकी दयनीय दशा की तरफ देखो।

आप तो काश्तकार वर्ग के हैं, काश्तकारों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप तो ऐसी जमीन के रहने वाले हैं जहां छः एकड़ की आराजी अच्छी मानी जाती है। इसलिये इस बात को देखते हुये कि इस समय किसान बड़ी आपत्ति में है मैंने यह प्रस्ताव रखा है जिससे आपको पता चल जाय। मैंने बदायूं जिले का नक्शा पेश किया। १२ लाख एकड़ जमीन है। १० लाख एकड़ में खेती होती है। दो लाख एकड़ में सिंचाई है अब इस आठ लाख एकड़ में से तीन लाख एकड़ रेतीली और भड़ है तथा खादर वाली जमीन है, उसमें पानी भरा हुआ है

[श्री ठीकाराम]

तीन लाख एकड़ में रूख के ठूंठ रह गये हैं। इसको व झूड की जड़ को किसान काट-काट कर जानवरों को खिला रहे हैं। फिर भी लड़ते झगड़ते हैं और चारे के लिये परेशान हैं। ऐसी हालत बदायूं जिले की है जो अन्न पैदा करता है, गन्ना, कपास की पैदावार के हिसाब से भी बहुत अच्छा समझा जाता है। ऐसी हालत में आपसे हमारी प्रार्थना है कि सवा छः एकड़ वाली बात को आप मान लें क्योंकि इसको तो आप भी स्वीकार करते हैं कि यह अलाभकर है। इसलिये आप उसके लगान को रोक दें और उनको सहायता दें क्योंकि आपने जो जमींदारी एबालीशन किया था वह किसान को राहत देने के लिये ही किया था, २० करोड़ रुपया वसूल करने के लिये नहीं। २२ करोड़ रुपया आप जब ज्यादा वसूल कर रहे हैं तो आप उसमें से १२ करोड़ रखिये और १० करोड़ आप छोड़ दीजिये। किसान आपका वही अंग है जो किसान के लिये बैल है, जिससे वह खेती करता है। अगर किसान का बैल राजी नहीं है तो उस किसान को बरबाद ही समझिये। इसी तरह से किसान भी आप की रीढ़ की हड्डी है। अगर उसकी ओर आप ने ध्यान नहीं दिया तो वह आगे नहीं चल सकता और फिर आप की यह सरकार भी नहीं चल सकती। वैसे आप को करोड़ों रुपये की क्षति होती है, उसको तो आप सहन करते हैं, लेकिन किसान वाली बात को सहन नहीं करते।

मेरे भाई देवरिया की बातें रोज-रोज करते हैं और वहां के लिये सहायता की प्रार्थना करते हैं। हम तो पश्चिमी जिले के हैं हम छूट नहीं मांगते। भीख मांगने से आदत बिगड़ती है। हम इसको पसंद नहीं करते हैं। भिखारी की आत्मा पतित हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि चाहे भूखों मर जायं, लेकिन यह मांग न करें कि तुम हमको सहारा दो, हम अपने बल से कमायेंगे, खायेंगे और अपनी ताकत से जियेंगे। हम इस तरह से भिखारी बन कर नहीं रहना चाहते हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)-- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आकस्मिक रूप से आज पेश हो गया। जितनी तैयारी दलीलें देने के लिये इसके पक्ष में होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी है। लेकिन प्रस्ताव पेश हो गया है और यह इतना आवश्यक है कि इसके ऊपर सदन जितना समय ज्यादा लगा सके उतना लगाना चाहिये और इसके ऊपर जितना विचार कर सके करना चाहिये। साढ़े छः एकड़ से कम के जोत अलाभकर हैं, इसके बारे में कोई सन्देह की गुंजाइश की बात तो है नहीं। क्योंकि पिछले दिन जब यहां खाद्य स्थिति पर विचार हो रहा था तो माननीय माल मंत्री जी ने अकेले गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी के आंकड़े पेश किये थे और एक एकड़ से कम जोत वालों की संख्या उन्होंने लगभग १६ लाख से ऊपर बतलायी थी। इस तरह से अगर कुल सूबे की संख्या जोड़ी जाय तो करोड़ों की तादाद में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अलाभकर जोत हैं और उनके सामने भीषण समस्या बनी हुई है कि उसमें जो पैदावार होती है वह तो इतनी काफी नहीं होती है कि वे अपने भरण-पोषण अथवा और किसी प्रकार की जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको पूरी तरह से निभाने के बाद लगान का रुपया भी उसमें से निकाल कर अदा कर सकें। तो वे करें क्या, इसका बहुत बढ़िया निदर्शन जब से विधान सभा का अधिवेशन हो रहा है, तब से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कि किसी न किसी भाग के माननीय सदस्य द्वारा विभिन्न तरीके से लगान वसूली में जो ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर ध्यान न दिलाया जाता रहा हो। जिनके ऊपर यह ज्यादती हो रही है, माननीय माल मंत्री जी के शब्दों में जो कोअसिव मेजर के शिकार होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो राज्य के पूर्वी हिस्से में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेशों में हैं तथा जिनके पास सवा ६ एकड़ से कम के जोत हैं। क्या इतने दिनों के तजुर्बे के बाद भी कोई शक बाकी रहता है कि जिनके पास अलाभकर जोत हैं उनसे लगान वसूल करना उसी प्रकार है जिस प्रकार का एक पम्फलेट कल या परसों रावण द्वारा ऋषियों से कर में खून वसूली के बारे में माननीय हरनसिंह द्वारा पढ़ा गया था। यह उदाहरण शायद माननीय माल मंत्री जी को खटके, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब लगान वसूली में ज्यादती

होगी, तो ज्यादती कोई तभी बर्दाश्त करता है जब उसके पास देने के लिये नहीं होता है, और जब देने के लिये नहीं होता है तो उससे जबरदस्ती वसूल किया जायगा। तो उस की उपमा रावण से न दी जाय तो किससे दी जाय? क्या उसकी उपमा राजा बलि से दी जाय जिसने दान के लिये अपने शरीर को भी नाप दिया था। ऐसी उपमा खटकने की या उससे चिढ़ने की बात नहीं है।

मैं चाहता हूं कि ठंडे दिल से इसके ऊपर विचार किया जाय कि साढ़े छः एकड़ से कम के जोत जो अलाभकर हैं कर मुक्त किये जायं, हमारे यहां तो और भी कम के जोत हैं, इसलिये इस प्रस्ताव पर अपने विचार को जाहिर करते हुए मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उनको चिढ़ने की या खटकने की कोई बात नहीं है। हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि लगान की वसूली में जो कोआर्सिव मेजर्स इस्तेमाल किये जाते हैं, माननीय माल मंत्री जी जवाब देते समय उसकी ओर भी जरूर संकेत करेंगे।

जहां तक अलाभकर जोतों की लगान माफी का सवाल है, हमारे ही प्रदेश में नहीं बल्कि इस दुनिया में भूमि सम्बन्धी जो समस्यायें हैं उनमें से यह एक प्रमुख समस्या है। हमारे यहां सवा छः एकड़ से कम की जितनी जोतें हैं, अगर उनका लगान न लें तो मैं समझता हूं कि राज्य के कोषागार को जो नुक्सान होगा वह करोड़ों तक पहुंच सकता है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह संख्या करोड़ों तक होगी तो इसके साथ ही साथ कोई रिलेटिव फार्मूला भी निकाले जाने की जरूरत है। जिनके पास सवा छः एकड़ या साढ़े छः एकड़ से कम के अलाभकर जोत हैं उनसे लगान न लिया जाय और जिनके पास फार्म्स हैं, बड़ी-बड़ी जोतें हैं, जो थोड़े परिश्रम से अधिक पैदा कर सकते हैं, साइंटिफिक तरीके अपना सकते हैं, फर्टिलाइजर व ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उनके ऊपर लगान को अधिक बढ़ा कर घाटे को पूरा किया जाय। यह प्रयोग पहले थोड़े ही अंश पर किया जाय, लेकिन इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---ट्रैक्टर वाले कितने किसान हैं?

श्री मदन पांडेय---आंकड़ों के समुद्र में आप डूबिये। माननीय माल मन्त्री जी आंकड़े हमको अक्सर दिया करते हैं उनके आधार पर गन्ना हमारे यहां बहुतायत से होना चाहिये और हमको भूखे नहीं मरना चाहिये, लेकिन हम भूखे मर रहे हैं और हमसे पूरी तरह से लगान वसूल किया जा रहा है, हमारे खड़े खेत बिकवा लिये जाते हैं। लिहाजा आंकड़ों का युद्ध इस समय नहीं है। हम तो सीधे-सीधे अपनी दुर्दशा का वर्णन यहां कर रहे हैं कि सवा ६ एकड़ से कम की जोतों पर लगान नहीं लगाना चाहिये। यह हम अपनी आंखों से देख कर कह रहे हैं। साथ ही अभी हाल में आपने जो रिपोर्ट व आंकड़े दिये हैं उनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर हम यह मांग करते हैं।

माननीय मन्त्री बतलायें कि अभी जो गिरफ्तारियां हुईं उनमें से ऐसे कितने थे जो दो चार या सवा छः एकड़ की जोत वालों से अधिक रहे हों? जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं अधिकांश उनमें वही रहे हैं जिनके पास अलाभकर जोतें हैं, उन्हीं के लिये कोआर्सिव मेथड्स इस्तेमाल हुए। यह नहीं कि कोई जानबूझ कर आपने शिकार बनाया, लेकिन जो अलाभकर जोत वाले हैं वही लगान नहीं दे सके हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम रही है जो लाभकर जोत वाले हैं और उन्होंने न दिया हो। कम से कम हवालात तक पहुंचने की नौबत उन्हीं लोगों की आई है जो सवा छः एकड़ से कम जोत वाले रहे हैं। और अधिक आंकड़ेबाजी के फेर में मैं जाना नहीं चाहता। अगर अलाभकर जोत वालों से लगान लिया जाता रहेगा तो किसान उन्नति नहीं कर सकेगा और न वह तकावी का रुपया वापस कर सकेगा। जितनी भी सरकारी रकम बकाया है वह भी वसूल नहीं हो सकेगी और अन्त में तकावी देते देते सरकार परेशान हो जावेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टीकाराम जी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जो प्रस्ताव आज सदन के सामने माननीय टीकाराम जी ने रखा है वह इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि सोशलिस्ट पार्टी बाहर और हम लोग इस सदन में बार-बार इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करते रहे हैं। यह हमारी पार्टी की मुख्य मांग रही है कि अलाभकर जोतों से लगान हटाया जाय। हम बाहर कहते रहते हैं।

"बिना मुनाफाखोरी खेती बारी,
उस पर लगे न मालगुजारी"।

यह नारा आज गांव गांव में हर शख्स तक पहुंच गया है। जो खेती करता है, जिसका जीवन खेती पर आधारित है उस तक यह नारा पहुंच गया है। यह बहुत बड़ी समस्या है खेती की और अलाभकर जोत रखने वालों की।

मैं अभी संयुक्त प्रान्तीय सरकार की जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैं उसमें से दो, तीन बातों का जिक्र कर देना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ३०-४० साल पहले जहां औसत आराजी का रकबा ८-१० एकड़ होता था अब वह घटते-घटते दो, ढाई, तीन एकड़ रह गया है। मैं श्रीमन्, दो लाइन आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं इस कमेटी के समक्ष गवाही दी जिसकी चर्चा इस कमेटी की रिपोर्ट में है। उसके पृष्ठ २१ पर लिखा हुआ है कि श्री चरणसिंह का कहना यह है। यह श्रीमन्, संयुक्त प्रान्तीय सरकार की जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट है। श्री चरणसिंह का कहना है कि--

"सामान्य रूप से सवा छः एकड़ की आराजी लाभकर मानी जा सकती है। हम लोगों के सामने गुजरे बहुतेरे व्यक्तियों के बयान से इस मत की पुष्टि होती है। इस प्रान्त में हल पीछे सवा छः एकड़ जमीन काश्त की जाती है।" माननीय मन्त्री जी मानते हैं कि सवा छः एकड़ से नीचे की जमीन अलाभकर है और उससे कोई फायदा नहीं होता।

श्रीमन्, "अलाभकर" शब्द सुनने में बड़ा शूद्रवत है। लाभ का क्या अर्थ होता है? श्रीमन्, हम लोग भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारे यहां यह कहा गया है कि "जौने खेते से पेट न चले, दवा दारु न चले, लड़िका का पढ़ाई लिखाई न चले ऊ खेत से हमरा कौनों लाभ नहिंखे"। अभी मैं इस कमेटी की रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था मिस्टर बेनेट ने १८७० में गोंडा की सेटिलमेंट रिपोर्ट में लिखा है कि खेत जिस तरह से बढ़ते चले जाते हैं, उससे जो नीचे की आराजी है उन आराजियों के लोगों को उससे अपना खाना, पीना, पहरना दूभर है, वह मालगुजारी कहां से दे पायेंगे। तो जब से अंग्रेज गये, बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट बना, हमेशा यह महसूस किया जाता रहा है कि दिन पर दिन बड़ी आराजियां छोटी होती चली जा रही हैं। आबादी का भार जमीन पर सारे देश में और विशेषकर इस उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता जा रहा है। श्रीमन्, हमारे यहां माननीय मन्त्री जी के बकौल सवा छः एकड़ लाभकर आराजी हो सकती है। मैं विदेशों का आंकड़ा भी देना चाहता हूं। डेन्मार्क में औसत आराजी ४० एकड़ है, हालैंड में २६ एकड़ है, जर्मनी में २१·५ एकड़ है, फ्रांस में २०·५ एकड़ औसत आराजी है, बेल्जियम में १४·५ एकड़, ब्रिटेन में १० एकड़ है और अमेरिका में १४५ एकड़ औसत आराजी है। उत्तर प्रदेश में बकौल माननीय मन्त्री जी के सवा छः एकड़ है और उसमें भी फ्रैगमेंटेशन इतनी तेजी से होता चला जा रहा है कि मुश्किल से ढाई एकड़ और तीन एकड़ आयेगा।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह जो हमारे यहां छोटी-छोटी जोतें हैं उनके जोतने वालों का प्रतिशत देखा जाय तो बहुत लम्बा-चौड़ा है, बहुत बड़ा है सम्भवतः ८४ प्रतिशत है तब से भी ज्यादा किसानों की जोतें इतनी हैं, छोटी-छोटी हैं, जिनको कि अलाभकर कहा जा सकता है, जिनके खेती करने से कोई लाभ नहीं होता। तो हमारी मांग जो है इस प्रस्ताव में माननीय टीकाराम जी के वह यही कि इनसे लगान और मालगुजारी न ली जाय।

श्रीमन्, एक बात की याद मैं माननीय मन्त्री जी को दिलाना चाहता हूं। पारसाल श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह छिड़ा था और उसकी प्रमुख मांगों में एक मांग थी कि अलाभकर खेतों से मालगुजारी हटा ली जाय। हमने जेल में अखबारों में पढ़ा कि श्री कृष्णमचारी ने मैसूर की किसी सभा में यह वक्तव्य दिया कि अगर लगान लेने का तरीका बदल दिया जाय और जिन खेतों से कोई फायदा नहीं होता है, प्राफिटलेस खेतों से लगान उठा दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। श्रीमन्, दूसरे ही दिन नेशनल हेराल्ड में माननीय मन्त्री जी का बयान निकला कि सवा छः एकड़ से कम की जोतों से अगर लगान उठा लिया जाय तो १० करोड़ की कमी हो जायगी राजस्व में, जो कि साढ़े बाइस करोड़ राजस्व आता है उसमें दस करोड़ की कमी हो जायगी। अगर केन्द्र इस कमी को पूरा कर दे तो हम उस पर से लगान उठा देंगे। ऐसा ही भाषण माननीय मन्त्री जी ने दिया था और हमने जेल में अखबारों में पढ़ा था। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह अलाभकर खेतों से मालगुजारी उठाने का जो सिद्धान्त है उसको केन्द्रीय सरकार मान रही है। पता नहीं इस सिलसिले में प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ कहा या नहीं कहा, यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा।

माननीय मंत्री जी कम्पेन्सेशन की बात करते हैं। कहते हैं कि यह १० करोड़ का रेवेन्यू कम्पेन्सेट कैसे हो। उस पर मैं बाद में कहूंगा। मगर इस सम्बन्ध में एक प्रश्न और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी को भली-भांति विदित है और वे आंकड़ों के, रेवेन्यू मैनुअल के और खेती सम्बन्धी कानूनों के प्रकांड विद्वान हैं। आज सारे हिन्दुस्तान में और खासकर उत्तर प्रदेश में जमीन की भूख कितनी बढ़ी है? मंत्री जी जो आंकड़े बराबर रजिस्ट्रेशन आफिस के दिया करते हैं, उनको पूरा विदित है। किसान में हंगर फार लैंड इतनी ज्यादा है कि गांव सभाओं में, जो शासन की प्रथम इकाइयां हैं, उनके काम में आये दिन झगड़े उठा करते हैं, वह ठीक से काम नहीं कर रही है। उसका एक मात्र कारण हंगर फार लैंड है। काफी प्रतिशत लोगों के पास जमीन नहीं है। मैं देवरिया जिले की बात करता हूं। बाबू साहब कुड़वा के पास तीन हजार एकड़ जमीन है, बाबू साहब मुंडेरा, राजा साहब पडरौना, तमकोही के पास दो-दो, तीन-तीन हजार एकड़ जमीन है। सरदार मजीठिया साहब के पास साढ़े आठ हजार एकड़ जमीन है और हरिजनों के पास एक इंच भी जमीन नहीं है। जब हम लोग बच्चे थे और बाबा राघव दास पैदल घूम रहे थे तो उन्होंने एक भाषण में बताया था कि गोरखपुर की बांसगांव तहसील ऐसी है जहां ऐसे लोग हैं कि जिनके पास मूसल रखने को, गाय के खुर के बराबर भी जमीन नहीं है। तो जहां इतनी विषमता हो मन्त्री जी समझ सकते हैं कि हंगर फार लैंड कितनी बढ़ जायगी।

चीन का सिद्धान्त हमारे सामने है कि वहां जमीन का बटवारा किस प्रकार हुआ। वहां के माओ-से-तुंग ने किसान की जमीन की भूख को मिटाया, जो वहां के किसान में असंतोष था जमीन न होने के कारण उसको समाप्त किया और उसी का नतीजा यह हुआ कि चीन के निर्माण में किसानों का बहुत बड़ा सहयोग हुआ, कोआपरेटिव फार्मिंग में वह अपनी मदद दे रहे हैं। स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने बताया था कि जब वे चीन गये तो उन्हें एक किसान पकड़ कर ले गया, जो पहले भूमिहीन था। वहां बटवारा इस प्रकार हुआ कि एक परिवार में पांच आदमियों की फेमली मानी गई और जितनी जमीन अवेलएबिल थी और जितने आदमी थे उतनों का भाग दे कर एक आदमी को जितनी जमीन पड़ी उस हिसाब से बांटी गई। वह भूमिहीन किसान जिसको कि चार एकड़ जमीन मिली थी उसने अपनी जमीन पर एक बोर्ड लगा दिया और लिख दिया कि "माओ की असीम कृपा से"। उसने आचार्य जी को दिखलाया, एक तरफ मुर्गी पाल रखी थी, और सुअर पाले हुए था। जमीन से उसके परिवार का पूरा नहीं पड़ता था मगर वह उतनी ही जमीन से काफी खुश था। हमारे यहां पूर्वी जिलों में एक वक्त भरपेट भोजन कर ले तो समझता है कि किस्मत खुल गई। तो जमीन की भूख कतई पूरी नहीं हो सकती जब तक कि नीचे के लोगों को जिनके पास अलाभकर जोतें हैं मालगुजारी से छुटकारा नहीं मिलता।

[श्री उग्रसेन]

मेरे पास बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है । मैं मन्त्री जी से उसकी एक लाइन पढ़ने की सिफारिश करूंगा। इस कमीशन की रिपोर्ट को लिखने वाले हैं काका कालेलकर, जो महान विद्वान हैं, सामाजिक सुधारों के नेता हैं तथा महात्मा गांधी जी के विशिष्ट अनुयायियों में से हैं । जिसको न केन्द्र की सरकार ने और न राज्य की सरकारों ने लागू किया है । उसमें लिखा गया है एक जगह :—

"The economic policy and ideology behind this Five-Year Plan do not inspire sufficient confidence."

पंचवर्षीय योजना के पीछे जो आर्थिक व्यवस्था है और जो सिद्धान्त है वह हमारा विश्वास नहीं पकड़ पाता है, उन सिद्धान्तों पर हमें विश्वास नहीं होता है, हमें कुछ मिलने वाला नहीं है । उस में आगे यही लिखा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और कोई सीलिंग आफ लैंड अवश्य मुकर्रर की जाय जिस से गरीब लोगों का भला हो और उनको भी कहीं कुछ ठिकाना मिल सके, लेकिन हम देखते हैं कि इस फाइव ईयर प्लान में भी कोई इस तरह की उत्साहवर्द्धक चीज नहीं है । अब लाल बत्ती हो गई, अध्यक्ष महोदय, मैं तो अधिक समय चाहता था । इस प्रदेश के कितने ही गरीब लोग हैं जिनके पास बिसवा भर जमीन भी नहीं है । वह कहते हैं कि १० करोड़ रुपया कहां से आयेगा। मेरा कहना यह है कि अगर केवल चीनी मिल मालिकों का हिसाब केवल गोरखपुर बस्ती और देवरिया का ही निकाल लिया जाय तो पांच साल में उन्होंने डेढ़ करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया है । जिस गन्ने का रेट सरकार मुकर्रर करती है उससे कहीं सस्ता गन्ना वह किसान से जबरदस्ती लेते हैं और पूरे दाम नहीं देते और शक्कर को मनमाने दामों पर सरकार उनसे नफा कमवाती है, वह शीरे तक को खाद्य के लिये बेचते हैं । केन सेस के हिसाब से भी आप देखें तो ६ रुपया और ७ रुपया मन का मुनाफा सरकार गोरखपुर, देवरिया और बस्ती की मिलों से कमवा रही है । यह डेढ़ करोड़ की रकम पांच साल की ही अगर ले ली जाय तो लाखों किसानों का भला हो जायगा ।

जब हम सीलिंग की बात करते हैं तो उधर से मन्त्री जी की तरफ से कहा जाता है कि जब सीलिंग लगे तो साढ़े छः एकड़ पर ही क्यों न लगे और साढ़े छः एकड़ पर लगे तो सात एकड़ वाले का क्या हो, उसकी सीमा होगी या नहीं । उत्तर प्रदेश वृहत् जोत विधेयक में भी ३२ एकड़ की सीमा रखी गयी है । ३७ रुपये वाले को देना पड़ेगा । ऐसा नहीं होगा कि साढ़े छः एकड़ छोड़कर एक एकड़ ले लिया जायगा । वह यह दलील देते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी दें तो भी यू० पी० के किसानों का भला नहीं होगा । आज जिन बेचारे गरीब किसानों से सरकार एक-एक, दो-दो रुपये की वसूली के लिये सख्ती करती है, उनको मुर्गा बनाकर रुपया वसूल किया जाता है, उनके वारंट निकाले जाते हैं, उनके बैल खोले जाते हैं जो एक बीघा, ५ डिसमिल, १० डिसमिल के काश्तकार हैं वे बेचारे सताये जाते हैं, लेकिन मजीठिया पर ३८ लाख रुपया सरकार का बकाया है उसको एक दिन भी मुर्गा नहीं बनाया गया, उस को मन्त्री जी ने एक दिन भी अपने ड्राइंग रूम में बुलाकर खड़ा नहीं किया । केवल किसानों पर ही अत्याचार होता है । लेकिन मैं सरकार को इस बात से आगाह किये देता हूं कि अगर सरकार ने इन गरीबों को जमीन नहीं दी तो यहां एक बहुत भारी विस्फोट होगा, मैं चेतावनी देता हूं किसान अब ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकता । जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट पर पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने कहा था सन् १९३६–३७ में, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि किसानों की हालत बहुत खराब है उद्योग धंधे भी उनके लिये नहीं हैं, उनकी गरीबी दिनों दिन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है और लोगों की भूख बढ़ती जाती है । इसलिये मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्वीकार करें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने आप के पास कुछ संशोधन भेजे थे ....

श्री अध्यक्ष—आप सामान्य बहस कर लें, संशोधन आपके मैं नहीं ले रहा हूं, आप इस समय संशोधन पर नहीं बोल सकेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—बहस तो श्रीमन्, अभी आगे भी चलेगी.....

श्री अध्यक्ष—संशोधन फिर किसी दूसरे रोज़ आ सकते हैं, समय होगा तो वह आ जायेंगे, लेकिन इस समय संशोधन नहीं लिये जायंगे । जो आपके असंगत नहीं होंगे वह आ जायेंगे । इस समय आप बोलना चाहते हैं तो संशोधन पर नहीं बोल सकेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बड़ी दया हुई कि आपने मुझे समय दिया.....

श्री अध्यक्ष—इसमें दया की कोई बात नहीं है क्योंकि आपके अलावा और कोई खड़ा नहीं हुआ था ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जी खड़े हुये थे ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझा कि वह बैठे हो इतने ऊंचे प्रतीत होते हैं । क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा—हम संशोधन पर बोल लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—जब तक मैं संशोधन वैध निश्चित नहीं करूंगा तब तक कैसे बोल सकते हैं ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । यह जो अलाभकर जोतों में लगान माफ करने का प्रश्न है, बहुत गम्भीर है और जैसा कि एक दिन माल मंत्री जी ने बताया था कि अगर इस तरह की रकमें माफ की जांय तो करोड़ों में पहुंचती हैं और सरकार का बड़ा नुक्सान होता है, लेकिन जो अलाभकर जोत वाले लगान देते हैं उनके लिये जरूर थोड़ी-थोड़ी रकमें हैं और अगर उन को माफ कर दिया जाय तो उनकी आमदनी में कोई ऐसा इजाफा नहीं होता है जिससे उनके स्तर को ऊंचा उठाने में उन्हें कोई मदद मिल सके ।

अब प्रश्न यह है कि जो अलाभकर जोत वाले हैं उनको किस तरह उद्योग धंधे जुटाये जांय, जो थोड़ी खेती होने के कारण अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं जिससे वह अपना तथा परिवार का भरण-पोषण कर सकें । इस पर प्रस्तावक ने कोई प्रकाश नहीं डाला कि किस तरह से उनकी आमदनी बढ़ सकती है । इसके साथ ही साथ ऐसे उद्योग धंधे बताये जाते जिससे उनकी आमदनी बढ़ सकती । लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं बताई और वह एक ही बात पर जोर देते रहे कि लगान माफ किया जाय जो इतना थोड़ा होता है कि उससे उनकी आमदनी में कोई खास इजाफा नहीं होता है जिससे उन्हें कोई सहारा मिल सके ।

श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि अलाभकर जोतों को लेकर भूमि का इस तरह से वितरण हो कि जिससे अलाभकर जोतों की जगह लाभकर जोत हो जांय, तब समस्या हल हो सकती है, क्योंकि जिनके पास अलाभकर जोत हैं और हल-बैल रखते हैं तो उन्हें जानवरों (बैलों) का प्रबंध करना पड़ेगा और जब तक वह जानवर रखेंगे तो साल भर लगा रहना पड़ेगा । ऐसी हालत में वह कोई दूसरा धंधा भी नहीं कर सकते हैं और न खेती को ही पूरी तरह से देख सकते हैं । इसलिये भूमि का वितरण इस तरह से किया जाय कि सब लाभकर जोत बन जांय और जो लोग बच जांय उनके लिये ऐसे धंधे बताये जांय, चाहे वह कुटीर उद्योग हों या बड़े उद्योग धंधे हों । उन्हें उन स्थानों पर ले जाकर बसाया जाय जहां धंधे अधिक हों और लेबर कम हो या वहां उन को ले जा कर बसाया जाय या जहां पर अधिक भूमि हो या छोटे कुटीर

[श्री मुरलीधर कुरील]

उद्योगों की व्यवस्था की जाय। उनके जीवन निर्वाह के लिये इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाय तो भले ही यह समस्या हल हो जाय वरना इस तरह से लगान माफ करने से काम चलने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, क्या मैं आपके द्वारा निवेदन कर सकता हूं कि चूंकि सैद्धांतिक विषय है इसलिये अगर चौधरी साहब की स्पीच हो जाती और हम सुन लेते.....

श्री अध्यक्ष—मैं उन्हीं को बुलाने जा रहा था। लेकिन चूंकि आप खड़े हो गये इसलिये नहीं बुलाया।

*श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा बोलने का विचार तो नहीं था, लेकिन चूंकि आपका आदेश हुआ इसलिये जो पुरानी बातें कई दफा कह चुका हूं उन्हीं को दोहराना पड़ेगा।

प्रस्तावक महोदय ने और जितने मित्र और विरोधी पक्ष की तरफ से बोले हैं उन्होंने किसानों की दयनीय दशा, उनकी गरीबी वगैरह का बड़ा दारुण चित्र खींचा है। मैं उस चित्र से बहुत हद तक सहमत हूं। कोई अच्छा चित्रकार, बहुत अच्छा साहित्यकार, बहुत अच्छा वक्ता हो तो चित्र और ज्यादा काला खिंच सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है। अपने लोगों की जो गरीबी है उससे किसी को इनकार नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि इस गरीबी को अगर घटाना है तो उसके लिये साधन कहां से आयेंगे? जितनी तकरीरें इस विषय पर हों कि यह टैक्स कम कर दो, उस रुपये को घटा दो तो जहां तक उसके पीछे भावना है आपके जरिये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं अपने मित्रों को, उस भावना से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। उसमें मतभेद हो ही नहीं सकता कि बड़ी गरीबी है लोगों में। लेकिन केवल उस गरीबी पर बोल देना, आवेश में आ कर कुछ कह जाना, जैसा मदन पांडेय जी और उग्रसेन जी कह कर बैठ गये इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। माननीय उग्रसेन जी ने कहा मैं गवर्नमेंट को चेतावनी देता हूं कि भस्म हो जायगी अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यह बात ठीक है यह गवर्नमेंट भस्म हो जायगी। इसके मैं दो जवाब देना चाहता हूं। अगर यह गवर्नमेंट भस्म हो जायगी तो आप को इस गवर्नमेंट को नेक सलाह नहीं देनी चाहिये। जो गलत राय हो वह दीजिये ताकि आपका मंशा पूरा हो जाय। एक बात।

दूसरी बात यह है, मैं बहुत ठंढे दिल से कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से बातें की जाती हैं यहां और असेम्बली के बाहर उनसे यह गवर्नमेंट भस्म होने वाली नहीं है, यह सूबा भस्म होने वाला है क्योंकि नुक्ताचीनी करना, दोष निकालना अपने साथियों के जो कि इत्तफाक से यहां रूलिंग पार्टी के मेम्बर हैं यानी अपने प्रदेश के निवासियों में बड़े से बड़े आदमी, उनमें से चाहे कितने ही देश के पुराने तजुर्बेकार लोग क्यों न हों, जिनको हम सब आज तक नेता मानते आये हैं उनकी नीयत पर हमला करना, इससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। उससे और ऐसा वातावरण पैदा होता है जिससे इस प्रदेश और देश को हानि होगी।

अध्यक्ष महोदय, परसों मैं इस विषय पर बोलते हुए कुछ कहना चाहता था। आज जो बात मेरे माननीय मित्र उग्रसेन जी और मदन पांडेय जी या राजनारायण जी कहने वाले हैं मैं सिर्फ उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह वही बातें कहें जो अगर वह कल को यहां पर आ जायें तो उनको पूरा कर सकेंगे या नहीं। राजनीतिक ईमान्दारी का तकाजा यह है और इस देश के हित का यह तकाजा है कि इख्तलाफ रखते भी हम केवल वही बात कहें कि अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी आजाय तो हम उसको निभा सकेंगे या नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण---आप छोड़िये तो सही ।

श्री चरणसिंह---मैं छोड़ने के लिये तैयार हूं, लेकिन उस वक्त हिसाब लगाना पड़ेगा और आंकड़े देखने होंगे । आज आप आंकड़े नहीं देखते हैं और कहते हैं कि इन आंकड़ों के जंजाल में हमको फांस लेते हो । आंकड़ों से मतलब यह है कि आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा । उस हिसाब लगाने का केवल मतलब यह है कि कैलकुलेशन से यह देखना होगा कि क्या चीज मुमकिन है और क्या चीज मुमकिन नहीं है । अगर उन आंकड़ों में कोई भ्रम हो या कोई फैलेसी बतलाई जाय तो बात समझ में आती है । जैसा कि मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि मालगुजारी ट्रैक्टर वालों पर लगाई जाय । लेकिन जब हम बजट बनायेंगे तो हमको यह देखना पड़ेगा कि ट्रैक्टर वालों पर अगर मालगुजारी लगाई जाय तो उनसे कितनी मालगुजारी आयेगी । आज जो २२ करोड़ आती है वह आयेगी, या ११ करोड़ आयेगी या ५ १/२ करोड़ आयेगी या २ ३/४ करोड़ आयेगी या १ करोड़ आयेगी या नहीं और जो रुपया आयेगा उससे काम चल जायेगा या नहीं ।

मैं यह निवेदन करूंगा कि आज सत्याग्रह की बात बहुत होती है । मदन पांडेय जी भी २१ तारीख से सत्याग्रह में शामिल होने वाले हैं । अब तक जो लोग दिन रात सत्याग्रह की बात कहते थे देश के एक छोटे से कोने में उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई । आज जब उनके खिलाफ सत्याग्रह होता है तो माननीय झारखंडेराय जी का पहली तारीख के 'पायनियर' में बयान निकलता है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों में एक कोड आफ कंडक्ट स्वीकृत हो जाना चाहिये कि अपोजिशन पार्टी को किस हद तक जाना चाहिये और किस हद तक नहीं जाना चाहिये क्योंकि उनको तजुर्बा हुआ । अभी तक व्याख्यान रोज होते थे कि गोली नहीं चलनी चाहिये । गोली चलने से किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन कभी-कभी जनहित का तकाजा होता है और गोली चलानी पड़ती है देश के हित में, यह सोचने के बाद भी कि जो बच्चे मरेंगे उनके लिये रो लिया जायगा लेकिन फिर भी चलानी पड़ती है । चलाई गई है और वह पार्टी जो सब से ज्यादा मुखालफत किया करती थी उसने चलाई है ।

इसी तरह से तरह-तरह के सत्याग्रह के तरीके लोग अख्तियार करते हैं । घेरा डालो आन्दोलन है जो दफ्तर या कचहरी के लिये इस्तेमाल किया जाता है । मालगुजारी माफ करो । काम दो या रोटी दो या जेलखाना दो । हम तहसील बन्द कर सकते हैं । कह दें कि फरेन्दा और गोरखपुर में तहसील बन्द । क्या इससे रोटी मिल जायगी ? नहीं मिलेगी । अब अगर हमारे स्टोर में गल्ला भरा पड़ा है और स्टोर का ताला खोल दें और कहें कि लूट लीजिये । तो क्या इससे रोटी मिल जायगी ? नहीं मिलेगी ।

मैं आपके जरिये से यह अर्ज करना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो टैक्टिक्स है यह आपको आज वर्तमान समय में तो रिटर्न दे सकती है, लेकिन अन्त में जाकर देश को नुकसान देने वाली है । जब आपकी पार्टी पावर में आ जायगी तो इन टैक्टिक्स से प्रवीण हम लोग अपोजिशन में होंगे तो आपकी गवर्नमेंट को चलना असम्भव कर देंगे । मेरे मित्र श्री ऊदल और पब्बरराम जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा । मैं समझता हूं कि अगर उनके हाथ में दिल्ली की बागडोर आजाय तो यह होगा कि सत्याग्रह करना बन्द, अखबारों में तकरीर देना बन्द । केराला में वह चीज अभी इसलिये नहीं है कि वहां पर एक कोने में उनकी हुकूमत है इसलिये वे डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं । मेरा निवेदन यह है कि गरीबी मन्जूर लेकिन सवाल सारा यह है कि इस गरीबी को मिटाने के लिये रुपया आना चाहिये । एक मिसाल मैं देता हूं । दौलत खेत में पैदा होती है । तब खेत की पैदावार बढ़ाने के लिये सबसे जरूरी चीज है कि सिंचाई की सहूलियतें हों । एक ट्यूबवेल के बनाने में ६५ हजार रुपये खर्च होते हैं मय बिजली के खर्च के और उससे चार सौ एकड़ की आबपाशी करते हैं । अगर चार सौ एकड़ की आबपाशी करते तो मेरा अन्दाज है कि अगर एक साल उस में अच्छी फसल हो जाय तब एक ही साल में ६५ हजार रुपये वसूल हो जायेंगे । लेकिन पहले ६५ हजार रुपये कहीं से खर्च करने होंगे । जो गंगा की

[श्री चरणसिंह]

नहर १८५३ में बनाई गई तब से उसकी जो आमदनी हुई है, जो किसानों को उससे आमदनी होती है उस नहर से करोड़ रुपये हर साल वह उससे कई गुना हो गया है यानी मेरा खयाल यह है कि ५०–६० करोड़ की आमदनी १५ पश्चिम के जिलों में हो गयी होगी। जो गवर्नमेंट को टैक्स उससे मिलने लगा उसके मेंटिनेंस और रिपेयर्स और जो पुराना कैपिटल था उसकी बेबाकी करने के बाद कई करोड़ रुपया उस नहर के किसानों से गवर्नमेंट एक्सचेकर में आया। लेकिन वह ६ करोड़ ६६ लाख रुपये पहले लगाने पड़े। इसी तरह से यह ६५ हजार रुपये लाने पड़ेंगे। अब वह कहां से आवे? अगर राजनारायण जी या माननीय मदन पांडेय बता देंगे तो मुझे खुशी होगी। क्यों? इसलिये खुशी होगी क्योंकि मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उनको यह तो मानना ही चाहिये कि जो उनकी नीयत है वह हमारी भी है। हम कब चाहते हैं कि गरीब भाइयों को तकलीफ पहुंचे। और गरीब भाई ही क्या, हमारा तो सारा प्रदेश गरीब है। इसे कहने से काम नहीं चलेगा कि डेढ़ करोड़ रुपये का मुनाफा गोरखपुर मिल का हुआ। उस मुनाफे को ले लीजिए। मिल बन्द हो जायगी। अगर अपनी मिल बनायेंगे तो डेढ़ करोड़ का मुनाफा नहीं रहेगा। लेबर गवर्नमेंट जिसके हाथ में ब्रिटेन की हुकूमत रही है वे अब पुनर्विचार कर रहे हैं इस बात पर कि नेशनलाइजेशन से कोई फायदा है या नहीं। उनके यहां सोशलिस्ट यूनियन है जो बड़े-बड़े थिंकर्स हैं वहां आज वे बड़ा चिंतन कर रहे हैं, वहां बड़ा ऊहापोह हो रहा है, वे बड़े असमंजस में पड़े हुये हैं कि हमारा जो आदर्श था जिसको हम स्वर्ग समझे हुये थे कि सब का नेशनलाइजेशन करो फैक्टरीज का, माइन्स का और रेलवेज का तो वह नहीं दिखाई दे रहा है।

खैर, बड़ी बातों को छोड़ दीजिये, दूसरे देशों की बातों को छोड़ दीजिये। दूसरे देशों की मिले लीजिये। जहां तक दूसरे देशों का सम्बन्ध है सारे लोगों ने माना है कि एक ही फैक्टरी में यू० एस० एस० आर० उसी तरह के कैपिटल से उसी इंटेंसिटी से अगर कोई एन्टर-प्राइज करता है तो यू० एस० ए० में जो पैदावार एक फैक्टरी से उसी प्रकार होती है वह यू० एस० एस० आर० में नहीं होती। तो जहां प्राइवेट कैपिटल है वहां लोगों में इंसेंटिव प्राइवेट तौर से ज्यादा होता है।

हमें अपने देश का ही तजुर्बा क्या बताता है? क्या वह यह बताता है कि अगर फैक्टरी स्टेट की हो जायं तो पैदावार ज्यादा होगी? कल मैं आपसे यह कह रहा था कि बिजली फैक्टरी को ले लीजिये पैदावार भी उतनी अगर हो जाय तो उससे कितना मुनाफा होगा। चार फैक्टरी गोरखपुर की ले लीजिये, १४ देवरिया को ले लीजिये तो उनसे कितना मुनाफा होगा? फिर अगर यह फैक्टरियां लीजियेगा तो उनको कम्पेंसेशन दीजिएगा या वैसे ही जब्त कर लीजियेगा। अगर कम्पेंसेशन दीजियेगा तो कितने सालों में वह कम्पेंसेशन वगैरह का धन बेबाक हो जायगा और इतने ही सालों में कई प्रकार की बातें जैसे पापुलेशन ही कितना बढ़ जायगा और उस समय आपको मुनाफा मिलना शुरू होगा। कम्पेंसेशन अदा करने के बाद और कितनी समस्यायें शुरू हो जायेंगी।

मैं जानता हूं कि राजनारायण जी कोई नुस्खा हमें बताने वाले ही हैं जिसका हिसाब-किताब से कोई वस्ता नहीं होगा। तो गरीबी मानता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह जो गरीब हड्डियां हैं, गरीब की इन्हीं हड्डियों में से पैसा आना है, इसी बालू में से तेल निकालना है। जो गवर्नमेंट आयेगी उसको यही करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। अगर आप इस स्थिति को मेन्टेन करना चाहते हैं तब तो ऐसे ही टैक्स लगाये रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डेवलेपमेंट करना चाहते हैं और इससे और ज्यादा विकास करना चाहते हैं तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो टैक्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। हम जितने यहां बैठे हैं, दो तरह से सोचते हैं। गरीबी देखते हैं तो कहते हैं कि विकास होना चाहिये। किसी दिन विकास पर स्पीचेज होती हैं तो कहा जाता है कि सड़कें, अस्पताल, स्कूल, ट्यूबवेल, नहरें और यह और वह सब बनना चाहिये और उसके बाद जब किसी रोज टैक्सेज पर बहस होती है तो कहा जाता है कि टैक्स

माफ किया जाना चाहिये। बड़ी गरीबी है। तो हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक नहीं दो बार कहा था.....

श्री अध्यक्ष—आप २५ मिनट बोलेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

श्री अध्यक्ष—५ बजने के बाद भी अगर बैठना हो तो समय बढ़ाना चाहिये।

श्री चरणसिंह—मैं अभी बैठ जाता हूं, बाद में बोल लूंगा। क्या २० मिनट हो गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—अभी १५ मिनट हुये हैं।

श्री चरणसिंह—तो यह मेरी इब्तदाई तकरीर समझ ली जाय। मैं और बाद में बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप समय बढ़ने के बाद २५ मिनट बोल सकते हैं।

श्री चरणसिंह—तो बढ़ाइये।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के बैठक का समय २५ मिनट के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—या काम की समाप्ति तक, जो पहले हो। तो माननीय मंत्री जी अपना भाषण २५ मिनट का समाप्त कर दें उसके बाद थोड़ा सा काम और होगा, उसके बाद बैठक समाप्त होगी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—अभी श्रीमन्, कांग्रेस के एक साहब बता रहे थे कि १९ तारीख को नागपंचमी की छुट्टी है। तो अगर यह अभी मालूम हो जाय तो हम लोगों को प्रोग्राम बनाने में सहूलियत हो जाय।

श्री अध्यक्ष—यह बाद में देखा जाय।

प्रश्न यह है कि २५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय इस बैठक का।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—(श्री चरणसिंह से) आप जारी रखें और आप ५ बजकर ५ मिनट तक भाषण दे सकते हैं।

श्री चरणसिंह—तो श्रीमन्, मैं प्रधान मंत्री जी के एक कथन का जिक्र करने जा रहा था, लेकिन विस्तार बढ़ जायगा इसलिये उसको छोड़ कर इस पर आता हूं कि जो रेजोल्यूशन है कि मालगुजारी को घटना चाहिये। वह घटना तो जरूर चाहिये, लेकिन २२ करोड़ में से अनुमान मेरा यह है कि आपको साढ़े १२ करोड़ की मालगुजारी घटानी पड़ेगी। यह कम हो जायगी। तो यह साढ़े १२ करोड़ रुपया कहां से आयेगा ? जो मित्र यह सुझाव दें कि मालगुजारी घटा दी जाय उनके लिये मुनासिब यह है कि साथ-साथ यह भी वह बतला दें कि यह रुपया कहां से आयेगा ?

दूसरी बात यह है कि यह बात ठीक है कि दूसरे देशों में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स है। हमारे यहां लैन्ड रेवेन्यू का सिस्टम है सारे देश में और अपने प्रदेश में भी। माननीय टीकाराम जी ने कहा कि इन्कम टैक्स ३,६०० रुपये से ज्यादा की आमदनी पर लगता है। मगर किसान पर तो ऐसा नहीं है। किसान यहां कितना ही गरीब हो उसको लगान या मालगुजारी देनी पड़ेगी। बात उनकी बिलकुल मुनासिब और बजा है, लेकिन सारा सवाल तो उस मजबूरी का है। जिन देशों में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगता है उन देशों में १०० में से

[श्री चरणसिंह]

पांच आदमी खेती करते हैं और ९५ आदमी और दूसरा पेशा करते हैं, कहीं १५ आदमी खेती करते हैं, कहीं १९ और बाकी आदमी और दूसरे पेशे अपनाये हुए हैं। तो उनकी ज्यादा आमदनी नान-एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज से आती है। इस देश के अन्दर ७० फीसदी खेती के ऊपर निर्भर है, इस सूबे में १०० में से ८५ आदमी खेती पर निर्भर करते हैं। यहां १३–१४ फीसदी ऐसे हैं कि जिनको खेती के अलावा आमदनी के जरिये हैं और ८५ फीसदी ऐसे हैं कि जो खेती से ही आमदनी करते हैं। कुल १५ फीसदी ऐसे हैं कि जिन्हें और दूसरे पेशों से आमदनी होती है। तो अब अगर ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाया जाय और ३,००० या ३,५०० या ४,२०० रुपये की लिमिट कर दी जाय तो भी २–४ करोड़ का ही नहीं होगा। नान-एग्रीकल्चरल पेशेवाले इतने नहीं हैं कि उनसे वसूल कर लें। इसलिये क्योंकि यहां ज्यादा आदमी खेती करते हैं और हर आदमी को इस देश के विकास के यज्ञ में आहुति देनी है, उसका सबसे बड़ा पैमाना यह है कि हर एक अपनी जमीन के अनुसार दे इसलिये मालगुजारी ली जाती है, चाहे उसे रेंट कह लीजये या लगान कह लीजिये तो जब तक नान-एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक मालगुजारी देनी ही होगी।

यह एक पुस्तिका "उत्तर प्रदेश में भू-क्रांति" नाम की छोटी सी पिछले साल तकसीम की गई थी। इसमें मालगुजारी माफ़ की जाय या घटा दी जाय इसकी सब दलीलें मौजूद हैं, जिन्हें पढ़ने का शायद कष्ट नहीं किया गया। अगर उन दलीलों का जवाब टीकाराम जी देते तो मुझे भी अपना उत्तर देने में सहूलियत होती। इसके पेज ४८ पर देखने से मालूम होगा, मैं आंकड़ों में जाकर ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि ७ करोड़ रुपये से २२ करोड़ मालगुजारी बढ़ गई, लेकिन किसानों पर बोझ नहीं पड़ा क्योंकि जो कुछ वे जमींदारों को देते थे वही गवर्नमेंट ले रही है। बावजूद इसके, जैसे अब हम ढंग देख रहे हैं, उनसे बजाय २२ करोड़ के १९–२० करोड़ ही आती है, लेकिन २२ करोड़ आने पर स्टेट की कुल आमदनी का २२ १/२ परसेंट पड़ता है। जैसे-जैसे सूबा तरक्की करता चला जावेगा यह घटती चली जावेगी। लेकिन यह अनुपात तभी घटेगा जबकि गैर जराअती पेशों का विकास होगा।

टीकाराम जी ने पूछा कि किसान को क्या फायदा हुआ। लेकिन इधर भी तो देखिये कि चार करोड़ रुपया सालाना तो सरकार दे रही है मुआवजे का जमींदारों को और चार करोड़ रुपये के करीब बांड्स मिलने पर वह ४० साल तक देना होगा। २५ साल तक देनी होगी रिहैबिलिटेशन ग्रांट। इसके अलावा और खर्चे हैं जो मैंने इस किताब में गिना रक्खे हैं। अगर २२ करोड़ पूरा भी वसूल हो जाय तो गवर्नमेंट को मुश्किल से चार, पांच करोड़ का मुनाफा होगा, और यह चार करोड़ रुपया फिर उन्हीं किसानों के विकास के लिये खर्च होता है। गवर्नमेंट उसका क्या करती है। शायद राजनारायण जिक्र करेंगे १९३१ के कराची कांग्रेस के हिस्टारिक प्रस्ताव का। वह कहेंगे कि यह कहा था कि अन-इकानामिक होल्डिंग्स को मालगुजारी से बिलकुल मुस्तसना कर देना चाहिये। वह ठीक है, लेकिन पोलीटिकल पार्टीज के प्रस्ताव वेद मंत्र की तरह या कुरान की आयत की तरह अनआल्टरेबिल ला आफ आर्कमिडीज की तरह से तो होते नहीं हैं। पालिटिक्स में जो बातें कही जाती हैं वे हमेशा के लिये और हर समय के लिये तो सत्य नहीं हो सकतीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—कुछ बातें तो ऐसी होती ही हैं जो हमेशा और हर समय के लिये सत्य होती हैं।

श्री चरणसिंह—हां, कुछ बातें होती हैं, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव नहीं होते हैं। सन् १९३१ में इकानामिक डिप्रेशन शुरू हो चुका था। उस समय ढाई रुपये मन गेहूं और ३ या २ आने मन गन्ना बिकता था और उस वक्त लगान बोझ था। लेकिन क्या आज लगान बोझ है? कोई ऐसा मान सकता है कि आज लगान बोझ है? कोई नहीं। आज वह बोझ नहीं है।

एक बात और कह दूं। हम तो प्रतिक्रियावादी हैं, लेकिन प्लानिंग कमीशन इस बारे में क्या कहता है? हम बहुत सी बातों में केरल की तरफ देखते हैं, वह प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट समझी जाती है और हमको रिऐक्शनरी कहा जाता है। प्लानिंग कमीशन कहता है कि जहां पांचवें हिस्से से ज्यादा लैन्ड रेवेन्यू हो वहां पर घटा दी जाय। सेकेंड फाइव ईयर प्लान को आप पढ़ लीजिये। अब अपने यहां आप देखिये, एक एकड़ की जिसके पास आराजी है उस पर लगान का औसत करीब पांच रुपये के है। अब इस एक एकड़ की पैदावार को लीजिये तो वह २५ रुपये से बहुत ज्यादा है। अगर दसवां हिस्सा भी उसको कर दिया जाय तो भी हमारे यहां घटाने की गुंजाइश नहीं है।

अब केरल की गवर्नमेंट को ले लीजिये। उस लगान को अगर देखा जाय जो वह नयी जमीनों पर मुकर्रर कर रही है तो आपको मालूम होगा कि उसका कहना है कि इर्रीगेटेड लैन्ड का चौथाई से लेकर १/८ तक होना चाहिये और जो नान-इर्रीगेटेड लैन्ड है उसका १/६ से १/१२ तक होना चाहिये। और जो पैदावार है उससे लैन्ड रेवेन्यू फिक्स करना चाहिये। अब बताइये, हू इज मोर प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस मीन्स रिडक्शन आफ रेंट।

अब मान लीजिये कि सवा छः एकड़ पर मालगुजारी माफ कर दी। वह हुई ६ एकड़ और ८ बिस्वा तो जिस पर छः एकड़ और नौ बिस्वा जमीन है उससे क्या लगान लिया जायगा? एक बिस्वे का लिया जायगा या छः एकड़ नौ बिस्वे का लिया जायगा? अगर एक बिस्वे का लिया जायगा तो १२-१३ करोड़ की माफी देनी होगी। और बाकी जिन पर १० एकड़ है, उनसे क्या पौने चार एकड़ का लिया जायगा? इस प्रकार यह कितना मुश्किल हो जायगा। लेकिन अगर आप उससे जिसके पास छः एकड़ नौ बिस्वा है पूरा लगान लेते हैं तो वह तीन बिस्वा मदन पांडेय जी के नाम गिफ्ट कर देगा। जो उसका कांस्टीट्यूशनल राइट है। उसको आप रोक नहीं सकते।

इस तरह से मालगुजारी खाली सवा छः एकड़ वालों की ही माफ हो जायगी, यही नहीं होगा मालगुजारी करीब-करीब सब गायब हो जायगी। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं वैसे मुझे इसकी नीयत के साथ हमदर्दी है, लेकिन प्रैक्टीकल स्टेट्समैनशिप मुझसे कहती है कि यह मंजूर नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--अब यह दूसरे असरकारी दिन होगा।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ के लिये जो संयुक्त प्रवर समिति बनेगी, उसमें निम्नलिखित नाम यहां से रख दिये जायं :--

सर्व श्री--

१--लक्ष्मीरमण आचार्य,
२--उबैदुर्रहमान,
३--अजीज इमाम,
४--रामनाथ पाठक,
५--शिववचन राव,
६--रामसनेही भारतीय,
७--हरीसिंह,
८--जगदीशशरण अग्रवाल,

[श्री मोहनलाल गौतम]

सर्व श्री--

९--शिवशरणलाल श्रीवास्तव,

१०--श्रीमती चन्द्रावती,

११--ब्रजनारायण तिवारी,

१२--भगवतीसिंह विशारद,

१३--टीकाराम (बदायूं),

१४--अवधेशप्रतापसिंह,

१५--यादवेंद्रदत्त दुबे,

१६--सजीवनलाल।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ के लिये जो संयुक्त प्रवर समिति बनेगी उसके लिये विधान सभा द्वारा निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं--

सर्व श्री--

१--लक्ष्मीरमण आचार्य,

२--उबैदुर्रहमान,

३--अजीज इमाम,

४--रामनाथ पाठक.

५--शिववचनराव,

६--रामसनेही भारतीय,

७--हरीसिंह,

८--जगदीशशरण अग्रवाल,

९--शिवशरणलाल श्रीवास्तव,

१०--श्रीमती चन्द्रावती,

११--ब्रजनारायण तिवारी,

१२--भगवतीसिंह विशारद,

१३--टीकाराम (बदायूं),

१४--अवधेशप्रतापसिंह,

१५--यादवेंद्रदत्त दुबे,

१६--सजीवनलाल।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--माननीय कृषि मंत्री जी संबंधित मंत्री होने के नाते समिति के सदस्य रहेंगे और मैं उन्हीं को मनोनीत करता हूं कि वे उसके सभापति होंगे।

कार्यक्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--ब्लिट्ज द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध में नेता सदन ११ अगस्त को एक प्रस्ताव उपस्थित करने वाले थे। चूंकि उस रोज ऐडवोकेट जनरल को भी मैंने यहां आमंत्रित किया था कि वे उस केस के संबंध में जो-जो कार्यवाही हुई है,

कुछ थोड़ा सा संक्षेप में इस आदरणीय सदन को बतला दें। लेकिन वे बहुत सख्त बीमार हो गये हैं इसलिये वे ११ तारीख को नहीं आयेंगे। और इस प्रकार उक्त प्रस्ताव को किसी अन्य दिन के लिये रखा जायगा।

दूसरी सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर बहस के लिये पहले दो घंटे रखे गये थे। ११ तारीख को जब उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, चार बजे समाप्त हो जायगा उस वक्त आयोग पर उसके ऊपर चार बजे बहस प्रारम्भ होगी और इस तरह से एक घंटा उस दिन हो जायगा और फिर १२ तारीख को एक घंटा बहस होगी, इस तरह से दो घंटे उसके ऊपर बहस होगी।

इसके बाद जो कार्यक्रम लिया जायगा वह इस तरह से होगा। १--गोरखपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९५८ लिया जायगा। इसके बाद तीन और विधेयक हैं:-

१--उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५८।

२--उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (संशोधन) विधेयक, १९५८।

३--उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

उक्त विधेयकों की मियाद ३० सितम्बर तक शायद खत्म होने वाली है और शायद यह आर्डिनेंस वाले हैं। इनके बाद उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, १९५८ लिया जायगा जो सात रोज के बाद संयुक्त प्रवर समिति से आ जायगा। फिर नगर निगम विधेयक लिया जायगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि आपने जैसा निर्माण कार्य विनियमन विधेयक के बारे में कहा, क्या उस पर ११ तारीख को चार बजे बहस खत्म हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) विधेयक, १९५७ पर तो चार बजे बहस समाप्त हो जायगी ।

श्री राजनारायण--अभी तो उस पर सामान्य विवाद ही हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--उसमें कोई विशेष संशोधन तो है नहीं ?

श्री राजनारायण--संशोधन बहुत हैं।

श्री अध्यक्ष--सात घंटे उसके लिये निश्चित थे। तो सात घंटे में से पहले रोज कुछ समय लिया गया, फिर दूसरे रोज कुछ समय लिया गया, इस तरह से चार घंटे खत्म हो गये, अब तीन घंटे बाकी हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ब्लिट्ज के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में कोई प्रस्ताव सदन में उठाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--नहीं वे एक प्रस्ताव लाने वाले हैं। ब्लिट्ज ने माफी मांग ली है। जब प्रस्ताव आवे तो उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं।

श्री राजनारायण--मैं चाहता हूं कि जब बहस हो तो दोनों कोर्ट्स के जजमेंट्स की कापी हम लोगों को मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--कापी तो मुझे ही एक बड़ी मुश्किल से मिली है। आप लोगों को मैं कैसे दे सकता हूं। अगर आप मेरे कमरे में या दफ्तर में आ जायं तो जो कुछ फैसला हुआ है उसको संक्षेप में आपको बता सकता हूं। पूरा फैसला तो बांटा नहीं जा सकता है क्योंकि इतनी प्रतियां तो हैं नहीं।

अब हम उठते हैं, अगले सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ११ मिनट पर सोमवार, ११ अगस्त, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
८ अगस्त, १९५८ ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर)

तपेदिक अस्पतालों तथा उनमें शय्याओं की सूची

राज्य सरकार द्वारा संचालित क्षय रोगाश्रम व चिकित्सालय—पलंगों की संख्या

१—के०ई०सप्तम क्षयरोगाश्रम, भुवाली, नैनीताल	..	३२६
२—क्षयरोगाश्रम, गेठिया, नैनीताल ..	..	५०
३—सरोजनी नायडू स्मारक अस्पताल तथा क्षयरोगाश्रम, फीरोजाबाद, आगरा। ..	..	९०
४—टी०बी० अस्पताल, जिला जेल, सुलतानपुर	..	११८
५—टी०बी० अस्पताल, इलाहाबाद ..	..	४५
६—टी०बी० अस्पताल, इटावा ..	..	२८
७—टी०बी० अस्पताल, हाथरस ..	..	२५
योग..		६८२

राजकीय अस्पतालों में राज्य सरकार द्वारा संचालित टी० बी० वार्ड

१—जिला अस्पताल, मैनपुरी ..	..	३
२— " " सीतापुर ..	..	४
३— " " मुजफ्फरनगर	..	८
४— " " बस्ती ..	..	६
५— " " बदायूं ..	..	१४
६— " " अलीगढ़	..	१२
७— " " बरेली ..	..	६
८— " " झांसी ..	..	३
९—लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर	..	२२
१०—सरोजिनी नायडू, अस्पताल, आगरा ..	..	२०
११—लावेट अस्पताल, रामनगर, वाराणसी ..	..	२६
१२—संक्रामक रोग अस्पताल, कानपुर ..	..	५०
१३— प्यारेलाल शर्मा अस्पताल, मेरठ ..	..	२०
योग	..	१९४

राजकीय टी० बी० क्लीनिकें

१—टी० बी० क्लीनिक, इलाहाबाद ..	..	..
२— " " बरेली ..	..	..
३— " " वाराणसी	..	..
४— " " देहरादून ..	..	..
५— " " झांसी ..	..	..
६— " " कानपुर मजदूरों के लिये	..	..
७— " " बुलन्दशहर	..	..
८— " " भुवाली ..	..	..

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित टी० बी० अस्पताल व क्षयरोगाश्रम

१—श्री बृज सेवा समिति क्षयरोगाश्रम, बृन्दावन, जिला मथुरा	१५०
२—कस्तूरबा टी० बी० क्लीनिक व अस्पताल, लखनऊ	८०
३—टी० बी० अस्पताल, बस्ती	३०
४—मिशन अस्पताल, फतेहगढ़	२८
योग	२८८

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित टी० बी० क्लीनिकें

१—टी० बी० क्लीनिक, मेरठ	६
२— ,, ,, ,, मुरादाबाद	४
३— ,, ,, ,, मुजफ्फरनगर	..
४— ,, ,, ,, मथुरा	..
५— ,, ,, ,, गोरखपुर	४
६— ,, ,, ,, सहारनपुर	४
७— ,, ,, ,, कानपुर	१२
८— ,, ,, ,, गोंडा	..
९— ,, ,, ,, रामपुर	६
१०— ,, ,, ,, हरदोई	..
११— ,, ,, ,, लखनऊ	..
१२— ,, ,, ,, सीतापुर	..
१३— ,, ,, ,, गाजीपुर	..
१४— ,, ,, ,, अल्मोड़ा	..
१५— ,, ,, ,, खीरी	..
योग	३६
कुल योग ..	१,२००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५९ पर)

तालिका

नाम ग्राम सभा	मात्रा मनों में
१—जिगिना	१०
२—सूर्यपुरा	२४
३—बेलहिया	१२०
४—बगहा	६०
५—बरवाकलां	९३
६—गणेशपुर	१२७
७—सिरसिया	२१
८—खैराती	९९
९—शीशमहल	८
१०—पुरसोत्तमपुर	६ मन ३० सेर
११—जमुहारी	..
१२—बरनहवा	..
१३—खोरियाग्राम	..

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—११८ एल० ए०—१९५८—८३७ ।